

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड 'इरकॉन पीबीटीएल'

तीसरी वार्षिक रिपोर्ट (वि.व: 2016-17)



भारत के विकास में साझेदारी सहित राजमार्ग परियोजनाएं

कंपनी की परियोजना

"भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित समझौता करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलोदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण"

निदेशक मंडल

श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक
श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक
सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री एक.के.सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री संजय पोदार, मुख्य वित्त अधिकारी
श्री सुदोधनी, कंपनी सचिव

बोर्ड समितियां

1. लेखापरीक्षा समिति - श्री आनन्द कुमार सिंह, अध्यक्ष
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष
3. सीएआर एवं धारणीयता समिति, श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

श्री प्रशांत मेहता,
मैसर्स लीगा सीएस कार्पोरेट सर्विसेस एलएलपी

कंपनी के बैंकर

इंडियन ओवरसीस बैंक, आर.के.पुरम
नई दिल्ली

कंपनी का ईपीसी कांट्रैक्टर

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

सम्पर्क अधिकारी

सुश्री सुदोधनी कंपनी
सचिव
ईमेल आईडी: busi.info.irconpbt@gmail.com
दूरभाष: 011-26545767, मो.: 9818119256

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई
दिल्ली - 110017

विजन एवं मिशन विवरण

विजन

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर बीकानेर-फलौदी खंड की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और विकास तथा इससे राजमार्ग परियोजना प्रयोक्ताओं के लाभ को सुनिश्चित करना और निर्मित टोल प्लाजा से उच्च राजस्व सुनिश्चित करना और कंपनी को इष्टतम समयावधि के भीतर अनुमानित परियोजना परिणामों के निर्धारित मानकों के स्तर तक पहुंचाना।

मिशन

- (i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।
- (ii) परियोजना के क्रियान्वयन और प्रचालनीकरण की उत्तरदायित्वपूर्ण मॉनीटरिंग करना।
- (iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।
- (iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

~~~~~\*\*\*~~~~~

## कंपनी का सृजन

कंपनी का शिलान्यास 30 सितंबर 2014 को किया गया था  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार के अनुसार रियायतग्राही के रूप में निगमित

## व्यावसायिक उद्देश्य

### परियोजना राजमार्ग का निर्माण, अनुरक्षण, कार्य आरंभ एवं प्रचालन

राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार ले  
तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण

## रियायत अवधि : 26 वर्ष

दिनांक 07.11.2014 को हस्ताक्षरित रियायत करार के माध्यम से परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए विशिष्ट अधिकार,  
लाइसेंस और प्राधिकार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रियायत प्रदान की गई है।

## वित्तीय समापन और नियुक्ति तिथि

वित्तीय समापन प्राप्त करने की तिथि: 30.04.2015  
(प्रमुख ऋणदाता के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर की तिथि)

एनएचएआई द्वारा अधिसूचित नियुक्ति तिथि: 14.10.2015  
(बीकानेर-फलौदी परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियों के  
आरंभ होने की तिथि)


## वर्तमान परियोजना स्थिति

विकास अवधि (चरण): परियोजना निर्माण कार्य  
प्रचालन अवधि: निर्माण समापन पूर्व

## इरकॉन पीबीटीएल की वित्तीय विशेषताएं

(31 मार्च 2017 को)

| शेयर पूंजी का विवरण                                                                       | राशि रूपए में  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| प्राधिकृत शेयर पूंजी<br>(प्रत्येक 10 रूपए के 17,50,00,000 शेयर)                           | 1,75,00,00,000 |
| अंशदायी एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी<br>(प्रत्येक 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर) | 165,00,00,000  |



## इरकाँन पीबी टोलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल

[अंशकालीन (नामिती) निदेशक]



श्री दीपक सबलोक

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

पदनाम: निदेशक (परियोजना), इरकाँन



श्री अशोक कुमार गोयल  
निदेशक

डिन: 05308809

पदनाम: पदनाम: कार्यपालक  
निदेशक/परियोजना, इरकाँन



श्री आनन्द कुमार सिंह  
निदेशक

डिन: 07018776

पदनाम: महाप्रबंधक/  
निगमित/वित्त



श्री राजेन्द्र सिंह यादव  
निदेशक

डिन: 07018776

पदनाम: मप्र/राजमार्ग,  
इरकाँन




सुश्री अनुपम बेन  
निदेशक

डिन: 07797026

पदनाम: मप्र/एचआरएम,  
इरकाँन

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के प्रमुख कार्यपालक



श्री अजय कुमार सिंह  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी



श्री संजय पोद्दार  
मुख्य वित्त अधिकारी



सुश्री शुद्धनी  
कंपनी सचिव

## परियोजना चित्र

(प्रगतिरत निर्माण कार्य)



किमी 52+00 पर डीबीएम बिछाना



किमी 33+00 पर डब्ल्यूएमएम लगाना/रोलिंग



किमी 17+500 पर आरई वॉल/बैकफिसलिंग



किमी 32+500 पर जीएसबी लगाना/रोलिंग



किमी 15+000 पर मेडिन कर्ब लगाना/रोलिंग



किमी 18+300 पर मिलिंग कार्य

## अध्यक्ष का संबोधन



### प्रिय गणमान्य शेरधारकों/सदस्यों

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल) की तीसरी वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस वार्षिक रिपोर्ट में दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल है, जिसे आपको परिपत्रित किया गया है और आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा।

### परियोजना का परिचय

कंपनी का निगमन राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया है। वर्तमान में, परियोजना विकास चरण में है और निर्माण चरण समाप्त होने पर प्रचालन तथा अनुरक्षण चरण आरंभ होगा। परियोजना की कुल लागत 844.08 करोड़ रुपए है और इसकी ईपीसी संविदा लागत 646 करोड़ रुपए है। निर्माण किए जाने वाले सड़क की कुल लंबाई 159.30 किमी और दो लेनों के समतुल्य 210.35 किमी है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने परियोजना पर 165 करोड़ रूपए की पूरी प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी का प्रयोग किया है और परियोजना निर्माण लागत को पूरा करने के लिए 352 करोड़ रूपए की स्वीकृत ऋण राशि में से 80 करोड़ रूपए का ऋण प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय 177.89 करोड़ रूपए हैं और दिनांक 31 मार्च 2017 को संचयी पूंजीगत व्यय 223.78 करोड़ रूपए है।

### **अनुसूचित निर्माण अवधि**

परियोजना के इसके आरंभ होने की तिथि यथा 14.10.2015 से 910 दिनों के भीतर यथा 11.04.2018 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है और निर्माण कार्य उपलब्ध क्षेत्रों में अनुसार प्रगतिरत है। तथापि, दायित्वों से मुक्त 44 किलोमीटर भूमि की अनुपलब्धता के कारण काम पूरा होने में देरी हो सकती है।

लगभग 44 किमी की भूमि में दायित्वों के बावजूद पूर्ण कार्य क्षेत्रों पर टोल प्रचालन आरंभ करने के लिए परियोजना राजमार्ग की कुल लंबाई के 75% कार्य पूरा होने पर रियायत समझौते के खंड 14.3 के अनुसार अनंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

### **राजस्व अनुमान**

परियोजना की अनुमानित आरंभिक प्रतिफल दर (आईआरआर) 14.59% है और इक्विटी आईआरआर 15.86% है।

### **परियोजना की प्रगति : भौतिक एवं वित्तीय**

1. 210.35 किमी (दो लेन के समतुल्य) के समापन कार्य के कुल कार्यक्षेत्र में से जीएसबी के 136 किमी, डीबीएम के 67 किमी और बीसी के 1.67 किमी का काम दिनांक 31 मार्च 2017 तक पूरा कर लिया गया है।

2. जहां तक 844.08 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) के 10%, 30%, 70% और 100% खर्च से संबंधित रियायत करार की अनुसूची-जी में निर्दिष्ट अनुसार वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि की स्थिति निम्नानुसार है : -

क) 84.40 करोड़ रूपए के टीपीसी के 10% का प्रथम वित्तीय लक्ष्य दिनांक 10 अप्रैल 2016 को देय था और इसे भूमि की अनुपलब्धता तथा वन क्लियरेंसों में विलंब तथा अन्य कारणों की वजह से 82.19 करोड़ रूपए के मूल्य हेतु 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि के साथ दिनांक 09 जुलाई 2016 को प्राप्त किया गया था और स्वतंत्र इंजीनियर (आईई) ने बिना किसी क्षतियों के दिनांक 10 जुलाई 2016 को प्रथम लक्ष्य की स्वीकृति की सिफारिश की थी।

ख) 253.20 करोड़ रुपए के टीपीसी के 30% का दूसरा वित्तीय लक्ष्य दिनांक 16 नवंबर 2016 को देय था और दायित्वों से मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण इसे प्राप्त नहीं किया जा सका है।

ग) कुल वित्तीय लागत का 70% से संबंधित तीसरे वित्तीय लक्ष्य को भी दायित्वों से मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। तथापि, इस संबंध में प्रस्ताव एनएचएआई को प्रस्तुत किया गया है।

### **वित्तीय निष्पादन**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इरकॉन पीबीटीएल, ने सफलतापूर्वक इंड एस ( भारतीय लेखा मानकों) की स्वीकार कर लिया है और और वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के तुलनात्मक आंकड़ों सहित इंड एस के अनुसार तैयार किया गया है।

पूर्ववर्ती लेखा मानकों अर्थात् भारतीय जीएएपी के अनुसार, निर्माणाधीन परियोजना में, प्रचालनों के लिए शून्य राजस्व दर्शाया जाता था और केवल बैंक जमा राशियों से प्राप्त ब्याज आय को अन्य आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। किन्तु इंड एस विशिष्ट रूप से इंड एस-11 'सेवा रियायत समझौते के लिए लेखांकन' की प्रयोज्यता के कारण, परियोजना विकास व्यय को निर्माणाधीन परियोजना के स्थापन पर प्रचालन से राजस्व के रूप में रिकार्ड किया गया है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, प्रचालन से राजस्व 17789 लाख रुपए और कुल वृहत आय 53.77 लाख रुपए है, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, प्रचालन से राजस्व 4589 लाख रुपए और कुल वृहत आय 381.50 रुपए है।

लेखांकन मानकों में भारतीय जीएएपी से इंड एस में परिवर्तन को कंपनी के वित्तीय लेखों में प्रदर्शित किया गया है और सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें।

### **अनुपालन और प्रकटन**

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत इसके संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुपालन और प्रकटनों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी लोक उपक्रम विभाग (डीईपी) द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

## समझौता ज़ापन (एमओयू)

आगे यह भी नोट किया जाए कि आपकी कंपनी ने दिनांक 12.06.2017 को धारक कंपनी इरकॉन के साथ दूसरे समझौता ज़ापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने पहले समझौता ज़ापन पर दिनांक 26.07.2016 को हस्ताक्षर किए थे।

## समापन टिप्पणियां

मैं इन शब्दों के साथ अपने संबोधन का समापन करता हूँ कि इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन द्वारा निर्मित एसपीवी के रूप में निर्धारित समय सीमा में इस परियोजना को पूरा करने के प्रति सर्वोत्तम प्रयास करेगी और सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक पद्धतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी।

## आभारोक्ति

मैं धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को निरंतर समर्थन और सहयोग तथा वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट करता हूँ।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड हेतु तथा की ओर से

ह0/-

दीपक सबलोक

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 25.09.2017

स्थान: नई दिल्ली

## इरकॉन पीबीटीएल की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

| क्र.सं                                        | विवरण                                     | पृष्ठ सं |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 1.                                            | निदेशक की रिपोर्ट                         | 14-65    |
| 2.                                            | लेखापरीक्षक की रिपोर्ट                    | 53-66    |
| <b>इंड एस वार्षिक वित्तीय विवरण (2016-17)</b> |                                           |          |
|                                               | ➤ तुलन पत्र                               | 79       |
|                                               | ➤ लाभ और हानि विवरण                       | 80       |
| 3.                                            | ➤ रोकड़ प्रवाह विवरण                      | 81       |
|                                               | ➤ इक्विटी में परिवर्तन का विवरण           | 82-83    |
|                                               | ➤ लेखों के नोट महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 84-99    |
|                                               | ➤ वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नोट     | 100-129  |
| 4.                                            | नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां | 130      |

# बोर्ड की रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष : 2016-17)

# निदेशक की रिपोर्ट

कंपनी के सदस्य

**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड**

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यावसाय तथा प्रचालनों पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

**व्यावसायिक परिदृश्य : गतिविधियों की वर्तमान स्थिति**

इरकॉन पीबीटीएल का निगमन दिनांक 30.09.2014 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") द्वारा एक एसपीवी के रूप में हुए है और दिनांक 21.09.2015 को इसकी पहली वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष 2014-15 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम निदेशक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे व लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थीं।

इरकॉन पीबीटीएल राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना के निर्माण का कार्य कर रही है, जिसकी कुल परियोजना लागत 844.08 करोड़ रुपए और ईपीसी लागत 646 करोड़ रुपए है, तथा एनएचएआई द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2015 को निर्धारित तिथि अधिसूचित किए जाने पर, कंपनी ने परियोजना राजमार्ग के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है और यह कार्य निरंतर प्रगति पर है।

कंपनी निर्धारित तिथि यथा दिनांक 11 अप्रैल 2018 ('प्रचालनों की वाणिज्यिक तिथि - सीओडी) से 910 दिनों के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने और टोलवे प्रचालनों को आरंभ करने के लिए एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार भौतिक और वित्तीय प्रगति कर रही है। तथापि, एनएचएआई द्वारा सौंपे जाने वाले दायित्व मुक्त कार्यक्षेत्र की अनुपलब्धता के कारण, 44 किलोमीटर के भूभाग के निर्माण कार्य में विलंब हो सकता है और इससे सीओडी प्रभावित प्रभावित हो सकती है।

ईपीसी संविदाकार - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ( इरकॉन) को सौंपा गया **संचयी परियोजना भौतिक प्रगति** (कुल कार्यक्षेत्र से संबंधित) दिनांक 31 मार्च 2017 तक परियोजना स्थल पर कुल निर्माण कार्यों का 41.71% है।

**संचयी परियोजना वित्तीय प्रगति** (यथा कुल परियोजना लागत के सापेक्ष पूंजीगत व्यय) का मूल्य 223.78 करोड़ रुपए है, क्योंकि परियोजना विकास पर खर्च की गई राशि "अमूर्त विकासाधीन परिसंपत्ति" के मूल्य के बराबर है। उक्त वित्तीय प्रगति को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत निम्नानुसार हैं: -

- इक्विटी शेयर पूंजी: 165 करोड़ रुपए (इसमें सम्पूर्ण इक्विटी पूंजी शामिल और विस्तारित है)
- रक्षित ऋण (उधार): 80 करोड़ रुपए (352 करोड़ रुपए के अनुमोदित ऋण के प्रति)

### **वित्तीय निष्पादन**

#### **(इंड लेखांकन मानक लेखा विवरण)**

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने पूर्ववर्ती भारतीय सामान्यत स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) से अनुक्रमण सहित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। इंड एस के अनुपालन हेतु तदनुसार लेखांकन नीतियों को पुनःनिर्धारित किया गया है।

भारतीय जीएएपी के स्थान पर इंड एस के अनुप्रयोग विशेष रूप से इंड एस-11: "सेवा रियायत व्यवस्थाएं" के कारण कंपनी के वित्तीय लेखों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है, जैसा कि 31 मार्च 2017 को समाप्त लाभ एवं हानिविवरण में परिलक्षित किया गया है, जिसमें

1. **परियोजना विकास व्यय (पूंजीगत व्यय) को 'प्रचालन से राजस्व'(संविदागत राजस्व)** के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि इस प्रकार के व्यय से कंपनी के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, हालांकि परियोजना निर्माण चरण में है और अभी तक इसके टोलवे प्रचालन आरंभ नहीं हुए हैं; तथा

2. **परियोजना निर्माण व्यय** जो ईपीसी ठेकेदार को भुगतानों, निरीक्षण और भू-तकनीकी अन्वेषण व्यय, परियोजना कार्य के लिए बीमा, मशीनरी के लिए किराया प्रभार, सीएसआर प्रावधान और इस प्रकारके अन्य व्ययों के भुगतान के रूप में हैं और इन्हें 'प्रचालनिक और प्रशासनिक व्यय' के रूप में स्वीकार किया गया है।

पूर्व में भारतीय जीएएपी के तहत, संपूर्ण परियोजना निर्माण व्यय को तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में 'अमूर्त विकासाधीन परिसंपत्ति' के रूप में परिलक्षित किया जाता था।

इसके अतिरिक्त, चूंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में पिछले वित्तीय वर्ष यथा 2015-16 के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाया गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के आंकड़े भी इंड एस के अनुसार पुनःनिर्धारित किए गए हैं और इसी के अनुसार इनमें समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, लेखों के भाग और प्रमुख मदों के रूप में दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी और कुल वृहत आय हेतु समाधान विवरण नीचे दिए गए हैं:

**इंड एस समायोजन: लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण - वित्तीय वर्ष 2015-16**

(राशि लाख रुपए में)

| विवरण                  | भारतीय जीएएपी | समायोजन | इंड एस  |
|------------------------|---------------|---------|---------|
| 1. प्रचालनों से राजस्व | शून्य         | 4589.25 | 4589.25 |
| 2. प्रचालनिक व्यय      | 0.17          | 4521.77 | 4521.94 |
| 3. प्रशासनिक व्यय      | 0.57          | 0.00    | 0.58    |

इसप्रकार, उपयुक्त सूचना के अनुसार, इंड एस के अनुसार 31 मार्च 2017को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सारबद्ध वित्तीय स्थिति निम्नानुसार तालिकाबद्ध है:

(रुपए लाख में)

| विवरण                                     | 31.03.2017 को   | 31.03.2016 को   |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                           | समाप्त वर्ष     | समाप्त वर्ष     |
|                                           | (लेखापरीक्षित)  | (लेखापरीक्षित)  |
| 1. इक्विटी शेयर पूंजी                     | 16500           | 9000            |
| 2. अन्य इक्विटी (आरक्षित एवं अतिरेक सहित) | 310.23          | 263.95          |
| 3. धार कंपनी के ऋण (उधार)                 | 8000            | -               |
| 4. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां         | 22378.20        | 4589.25         |
| 5. कुल परिसंपत्तियां और देयताएं           | <b>25379.32</b> | <b>12021.68</b> |
| 6. प्रचालनों से राजस्व (संविदा राजस्व)    | 17788.96        | 4589.25         |
| 7. अन्य आय                                | 87.93           | 578.33          |
| 8. कुल आय (6) + (7)                       | <b>17876.89</b> | <b>5167.57</b>  |
| 9. प्रचालनिक और प्रशासनिक व्यय            | 17487.34        | 4522.52         |
| 10. कर्मचारी लाभ व्यय                     | 206.29          | 65.06           |

|                                                           |                 |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 11. वित्तीय लागतें                                        | 100.38          | 10.15          |
| 12. मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि                            | 0.18            | 0.14           |
| <b>13. कुल व्यय (9) + (10) + (11) + (12)</b>              | <b>17794.18</b> | <b>4597.87</b> |
| <b>14. कर पूर्व लाभ (8) - (13)</b>                        | <b>82.71</b>    | <b>569.70</b>  |
| <b>15. कर पश्चात लाभ</b>                                  | <b>53.77</b>    | <b>381.50</b>  |
| 16. अन्य वृहत आय                                          | -               | -              |
| <b>कुल वृहत आय (लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय सहि + (16)</b> | <b>53.77</b>    | <b>381.50</b>  |

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, परियोजना निर्माण व्यय के रूप में विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वृद्धि हुई है, जो निर्माण कार्यों में प्रगति के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल वृहत आय 381.50 करोड़ रुपए से घटकर 53.77 करोड़ हो गई है और यह इस तथ्य के कारण हुआ है कि जमा राशियों पर बैंक ब्याज का मूल्य कम हो गया है जो ईपीसी ठेकेदार को भुगतान और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए नियमित भुगतानों के कारण बैंक जमा राशियों में कमी के कारण हुआ है।

### परियोजना रोकड़ प्रवाह

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से सृजित रोकड़ प्रवाह निम्नानुसार है:

#### व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह (वित्तीय वर्ष: 2016-17)

(राशि लाख रुपए में)

| क्र.सं | विवरण                                                       | 31 मार्च 2017<br>को | 31 मार्च 2016<br>को |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.     | प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह                          |                     |                     |
|        | कर पूर्व निवल लाभ                                           | 82.71               |                     |
|        | निम्न हेतु समायोजन :-                                       |                     |                     |
|        | मूल्यहा, परिशोधन और हानि                                    | 0.18                | 0.14                |
|        | ब्याज आय                                                    | (87.93)             |                     |
|        | अग्रिम कर के अल्प भुगतान पर ब्याज व्यय                      | -                   | 7.88                |
|        | प्रावधान - सीएसआर                                           | 4.13                | -                   |
|        | <b>कार्यशील पूंजीगत प्रभारों से पूर्व प्रचालनिक लाभ (क)</b> | <b>(0.92)</b>       | <b>(0.60)</b>       |
|        | कार्यशील पूंजी और प्रदत्त कर हेतु समायोजन (+ / -)           | (3564.18)           |                     |

|    |                                                             |            |           |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|    | प्रचालनों से सृजित रोकड़ (क)                                | (3565.10)  |           |
| 2. | निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह                            |            |           |
|    | स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद (पूँजीगत प्रगतिरत कार्यों सहित) | (0.35)     | 0.48      |
|    | अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद                                | (17788.96) | (4589.25) |
|    | प्राप्त ब्याज                                               | 87.93      | 578.33    |
|    | निवेशों से सृजित रोकड़ (ख)                                  | (17701.37) | (4010.44) |
| 3. | वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह                          |            |           |
|    | ऋण                                                          | 8000       | -         |
|    | इक्विटी शेयरों का इश्यु                                     | 7500       | 8500      |
|    | संव्यवहार लागत                                              | (7.50)     | (8.97)    |
|    | शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन                                 | -          | (8500)    |
|    | वित्तीय स्रोतों से सृजित रोकड़ (ग)                          | 15492.50   | (8.97)    |
|    | सृजित कुल रोकड़ प्रवाह (क) + (ख) + (ग)                      | (5773.97)  | (2460.93) |

उपर्युक्त तालिका स्पष्ट रूप से कंपनी के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में इंड एस-7 (रोकड़ प्रवाह विवरण) को तैयार करने के लिए प्रयुक्त विधि के समान रूप से, "अप्रत्यक्ष विधि" पर आधारित वित्त वर्ष 2016-17 के लिए विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों को दर्शाती है।

### पूँजी संरचना

844 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) के वित्तपोषण के संबंध में यथानुमोदित कंपनी की पूँजीगत संरचना को 165 करोड़ रूपए की इक्विटी शेयर पूँजी, 352 करोड़ रूपए के ऋण तथा एनएचएआई से 327 करोड़ रूपए के अनुदान में विभाजित किया गया है।

स्वीकृत पूँजी संरचना के संदर्भ में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान धारक कंपनी कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ('इरकॉन') को 75 करोड़ रूपए मूल्य के प्रति 10 के 7,50,00,000 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यु जारी किया है और इस प्रकार प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी 90 मिलियन से बढ़कर 165 करोड़ हो गई है।

इसके अतिरिक्त, इरकॉन के साथ दिनांक 30 अप्रैल 2015 और दिनांक 18 मई 2015 को हस्ताक्षरित 'ऋण करार' और 'ऋण करार हेतु अनुपूरक और संशोधन करार' के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इरकॉन से 80 करोड़ रूपए का उधार लिया है। इसके अतिरिक्त, ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में 352 करोड़ के ऋण की सीमा तक एक काल्पनिक विलेख निष्पादित इरकॉन के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2017 को कंपनी की इक्विटी और ऋण संरचना का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र.सं                                        | विवरण                                                             | राशि करोड़ में |                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                               |                                                                   | कुल            | प्राप्त<br>( 31.03.2017 को) |
| धारक कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से निवेश |                                                                   |                |                             |
|                                               | इक्विटी शेयर पूंजी                                                | 165            | 165                         |
|                                               | ऋण पूंजी (रोक्षित ऋण)<br>(ब्याज दर : एसबीआई मूल दर + 0.5% प्रति व | 352            | 80                          |
|                                               | इरकॉन से कुल पूंजी अंशदान (1 + 2)                                 | 517            | 245                         |
| एनएचएआई से अनुदान (सशर्त इक्विटी सहायता)      |                                                                   |                |                             |
| 4.                                            | एनएचएआई से अनुदान                                                 | 327            | शून्य                       |
|                                               | कुल राशि (3 + 4)                                                  | 844            | 245                         |

#### प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) को निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध-1 के रूप में संलग्न किया गया है।

#### निदेशक एवं प्रमुख कार्मिक

कंपनी के प्रबंधन का कार्य कंपनी के निदेशक मंडल के रूप में चार गैर-कार्यपालक नामिती निदेशकों और तीन प्रमुख कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

#### निदेशक मंडल

(इस रिपोर्ट की तिथि को)

| क्र.सं | निदेशक                                      | नियुक्ति की तिथि | डीआईएन/पीएएन सं. |
|--------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.     | श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष           | 30.09.2014       | 03056457         |
| 2.     | श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक       | 30.09.2014       | 05308809         |
| 3.     | श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक*     | 21.07.2016       | 07018776         |
| 4.     | श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक** | 03.03.2017       | 07752915         |
| 5.     | सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक**         | 09.06.2017       | 07797026         |

\* इरकॉन पीबीटीएल ने अपनी धारक कंपनी, इरकॉन से अनुरोध किया है कि इसके बोर्ड की लेखापरीक्षा और नामांकन तथा पारिश्रमिक समितियों के गठन के लिए वित्तीय क्षेत्र के निदेशक को नामित किया जाए। तदनुसार, इरकॉन ने अपनी 228वीं बोर्ड बैठक में मद सं. 72/16 के तहत इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में अंशकालीन निदेशक के रूप में श्री ए.के.सिंह को नामित किया है।

श्री ए.के.सिंह ने वित्तीय ज्ञान प्राप्त अंशकालीन निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के पद पर कार्य करने की उनकी सहमति की प्राप्ति की तिथि यथा 21.07.2016 से इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

\*\* श्री राजेंद्र सिंह यादव, मप्र/राजमार्ग/इरकॉन, को श्री अनिल जैन, कार्यपालक निदेशक/कार्य/इरकॉन के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इरकॉन पीबीटीएल में अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया था, जिन्होंने 31 अक्टूबर 2016 को अधिवर्षिता प्राप्त की तथा दिनांक 3 मार्च 2017 को फॉर्म डीआईआर-2 में सहमति प्राप्त होने पर, नियुक्ति को उक्त तिथि से प्रभावी किया गया था।

सुश्री अनुपम बान, मप्र / एचआरएम / इरकॉन को धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ('इरकॉन') द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इरकॉन पीबीटीएल में अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया है और फॉर्म डीआईआर-2 में सहमति प्राप्त होने पर दिनांक 2 दिनांक 09 जून 2017 को, उनकी नियुक्ति को उक्त तिथि से प्रभावी किया गया था।

### प्रमुख कार्मिक

| क्र.सं | कंपनी के प्रमुख कार्मिक                                                                  | नियुक्ति की तिथि | डीआईएन/पीएएन |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1.     | श्री अजंय कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी<br>(23.03.2016 को केएमपी के रूप में नामित) | 27.02.2015       | ARLPS4997C   |
| 2.     | श्री संजय पोदार, मुख्य वित्त अधिकारी*                                                    | 15.03.2017       | AFNPP1856R   |
| 3.     | सुश्री सुदोधनी, कंपनी सचिव<br>(17.03.2015 को केएमपी के रूप में नामित)                    | 17.03.2015       | CLPPS8601B   |

\* सुश्री तंजीत कौर को कंपनी के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 17 अक्टूबर 2016 को उन्हें मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया था। उन्होंने दिनांक

15 मार्च 2017 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और केएमपी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया था, और श्री संजय पोद्दार को धारक कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ('इरकॉन') द्वारा अतिरिक्त प्रभार के आधार पर इरकॉन पीबीटीएल के प्रमुख वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और चूंकि नामांकन अतिरिक्त प्रभार के आधार पर था और यह पूर्णकालीन आधार पर नहीं था, इसलिए केएमपी घोषणा नहीं की गई थी।

### **निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण (डीआरएस)**

#### ***(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(ग) के अनुसरण में)***

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

- क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।
- ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।
- ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे "निरंतर" आधार पर तैयार किए हैं।
- ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

#### **अनुच्छेद 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा**

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम-4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149(4) के अनुसरण में, 10 लाख या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनी (नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आंकड़ों के आधार पर) के लिए अपने बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की सांविधिक समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति (एसी), नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और सीएसआर और धारणीयता

(सीएसआर-एसवाई) समिति की संरचना के लिए स्वतंत्र निदेशकों को इन समितियों के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के अनुसार, इरकॉन पीबीटीएल ने दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुप की सीमा को पार कर लिया था (5 करोड़ रुपये से 90 करोड़ रुपए तक अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि) और इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में 'स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति' का प्रावधान लागू हो गया था।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि कंपनी के संगम अनुच्छेदों (एओए) के अनुसार, धारक कंपनी, इरकॉन को इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार है।

तदनुसार, इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता के संबंध में धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ( इरकॉन) को सूचित किया गया है और इस अनुरोध को नोट कर लिया गया है।

#### ***अंतर निगमित ऋण और निवेश (अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186)***

निदेशकों, कॉरपोरेटों तथा अन्य निकायों को ऋण तथा निवेश कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186 द्वारा शासित होते हैं। इन प्रावधानों में दिए जाने वाले ऋण तथा निवेश की शर्तों तथा प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

आज की तिथि तक कंपनी ने कोई अंतरनिगमित ऋण या निवेश नहीं किया है और इस प्रकार आज की तिथि को संव्यवहार शून्य है।

#### ***प्रमोटरों की शेयरधारिता का पैटर्न***

इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, इसलिए इसकी सम्पूर्ण इक्विटी शेयरधारिता रेल मंत्रालय के अधीन एक भारत सरकार के उपक्रम यथा इसकी प्रमोटर कंपनी इरकॉन के पास है।

वर्तमान में, कंपनी के पास 175 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी में से 165 करोड़ रुपए की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी है, जैसा कि पूर्व में कंपनी की पूंजी संरचना में इंगित किया गया है, और 100% इक्विटी इरकॉन और इसके 09 नामिति शेयरधारकों के नाम पर धारित है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: -

तालिका IV : इरकॉन पीबीटीएल की मौजूदा शेयरधारिता पैटर्न

| शेयरधारक का नाम                                                                          | धारित इक्विटी की संख्या | धारित इक्विटी शेयरों का कुल मूल्य | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामिती<br>(प्रति 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर) | 16,50,00,000            | 165,00,00,000                     |                                |
| <b>कुल</b>                                                                               | <b>16,50,00,000</b>     | <b>165,00,00,000</b>              |                                |

**वार्षिक रिपोर्ट का सार - एमजीटी-9**

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुच्छेद 92(3) (अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षा) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का सार अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

**संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी)**

[कंपनी (बोर्ड की बैठके और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 का अनुच्छेद 188 - संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं]

कंपनी के प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधन या उनके संबंधितयों के साथ कोई सामग्रीगत महत्वपूर्ण पक्ष संव्यवहार नहीं हैं, जिनसे कंपनी के हितों के साथ संभावित गतिरोध हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पक्ष संबंधी संव्यवहार आर्म लेंथ आधार पर थे और वे व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया के रूप में थे।

इसके अनुसरण में, पांचवीं लेखापरीक्षा समिति में तथा दिनांक 6 सितंबर 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की 23वीं बैठक में, बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आज की तिथि तक प्रविष्ट और प्रतिस्थापन प्रकृति के संबंधित पक्ष संव्यवहारों को नोट किया गया था।

तदनुसार, कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) के अनुसार अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों के संबंध में प्रकटन फार्म संख्या एओसी-2 में कंपनी द्वारा अनुबंध-III के रूप में संलग्न है।

## **लाभांश और आरक्षित निधियां**

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए तुलनात्मक तुलनात्मक आंकड़ों सहित वित्तीय वर्ष 2016-17 के इंड एस वित्तीय विवरणों के अनुसार, 'आरक्षित निधि एवं अतिरेक शेष' को अब प्रतिधारित आमदनियों के रूप में तुलन पत्रमें अन्य इक्विटी शीर्ष के अंतर्गत तथाकर पश्चातनिवल लाभ को अब कुल वृहत आय (उक्त अवधि के लिए लाभ या (हानि) और अन्य वृहत आय सहित) के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

आपकी कंपनी ने तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, 53.77 लाख रुपए की राशि की कुल वृहत आय (कर पश्चात शुद्ध लाभ) अर्जित की है। पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, कंपनी ने 381.50 लाख रुपए की कुल वृहत आय अर्जित की थी। दिनांक 31 मार्च 2017 के अनुसार आरक्षित निधि और अतिरेक शेष (पूर्ववर्ती वर्ष के लाभ या हानि सहित) अर्जित आय 310.23 लाख रुपए और 31 मार्च 2016 को 263.95 लाख रुपए है। वर्ष 2016-17 में आरक्षित निधि और अतिरेक शेष में वृद्धि लाभ में वृद्धि के कारण हुई है, जबकि पूर्व में हानि हो रही थी।

इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी के परियोजना प्रचालन वर्तमान में शून्य प्रचालनिक आय के साथ निर्माण अवस्था में हैं (अर्थात ऐसी कोई ब्याज आय नहीं है जो कुल वृहत आय में शामिल की गई है), कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए किसी प्रकार के लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया है।

## **जमा राशियां**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसरण में अपने सदस्यों से कोई जमा राशियां आमंत्रित नहीं की हैं।

## **पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण, ऊजा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा आउटगो**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजमार्ग के निर्माण के दौरान पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई द्वारा निर्धारित अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त उपाय किए गए हैं। रियायतग्राही के रूप में कंपनी द्वारा पूरे किए जाने की शर्त के भाग के रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों को विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है।

विदेशी आमदनी और आउटगो को सुनिश्चित किए जाने हेतु एनएचएआई द्वारा निर्धारित उपयुक्त उपाय कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी विशुद्ध रूप से एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई बीओटी आधारित परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है।

## **वित्तीय विवरणों पर सांविधिक और सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा**

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक थे मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षक, फर्म संख्या 00044एन, पंजीकृत कार्यालय - 23, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001 है। दिनांक 28.07.2017 के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शून्य आपत्तियां थीं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है और इसप्रकार उन्होंने "शून्य समीक्षा टिप्पणियां" दी हैं।

## **वित्तीय विवरणों के लिए निदेशक के अवलोकन और टिप्पणियां (लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट में की गई किसी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण)**

वित्तीय विवरण लेखांकन की दोहरी प्रविष्टी प्रणाली के आधार पर लेखों की वास्तविक और न्यायोचित स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें लाभ और हानियों को संचित आधार पर लेखांकित किया जाता है, जरनल में अंकित हर एक संव्यवहार, ट्रायल शेष का निष्पादन, त्रुटियों का शुद्धिकरण और लेखों के शेष को बही में पोस्ट किया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने गहनता से अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों तथा टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरणों का गहन मूल्यांकन किया है और इसे लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए शून्य अर्हताओं सहित पूर्णतः व्यवस्थित पाया है।

## **लागू कानूनों के अनुपालन पर सचिवीय लेखापरीक्षा**

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014, के नियम 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-204 के प्रावधानों के अनुसरण में, श्री प्रशांत मेहता, (होल्टिंग एसोसिएट सदस्यता संख्या 5858 और प्रैक्टिस प्रमाणपत्र (सीओपी) सं.17341), कंपनी के सचिव और मैसर्स लीगा सीएस कॉर्पोरेट सर्विसेज एलएलपी के पेशेवर साझेदार को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

निर्धारित प्रारूप एमआर-3 में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबंध-IV पर संलग्न है।

### **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी उपयुक्तता**

वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक लेखांकन नियंत्रण (आईएससी) स्वीकार की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं, परिसंपत्ति प्रावधान तथा व्ययों और आयों की रिकार्डिंग (वित्तीय रिपोर्टों) के अनुसरण में अपनाए जाने वाले उचित सुरक्षा उपायों से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 तथा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, में प्रावधान है कि लेखा परीक्षकों द्वारा व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति से आरंभ करते हुए कंपनी में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट उल्लेख किया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित विषय के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2015-16 से आरंभ होने वाली परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान निगमित कंपनी के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखपरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट की शर्तों के अनुसार यथापेक्षित इसके सभी सामग्रीगत पहलुओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) विद्यमान है, जैसा कि समान रूप से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटक उपयुक्त पाए गए हैं।

### **जोखिम प्रबंधन**

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अध्याय 3 के पैरा 3.6 के अनुपालन में, 'जोखिम के तत्वों, यदि कोई हो, की पहचान सहित कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन को दर्शाने वाले एक विवरण को बोर्ड की रिपोर्टके भाग के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, चूंकि कंपनी एक रियायतग्राही कंपनी है, जो बीकानेर-फलोदी परियोजना के निष्पादन के लिए बनाई गई है, इस परियोजना से संबंधित जोखिम तत्वों की पहचान निम्नानुसार की गई है:

-

## परियोजना से संबंधित जोखिम तत्व

| क्र.सं | जोखिम तत्व                  | विवरण                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | निर्माण अवधि                | प्रचालनों की अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि (सीओडी) में विलंब नियंत्रित किए जाने वाले प्रमुख कारक निर्माण अवधि में वि इसके अतिरिक्त, दायित्व मुक्त कार्यस्थल की अनुपलब्धता के निर्माण कार्य में विलंब होने की संभावना है। |
| 2      | ऋण सेवा अनुपात              | कंपनी को त्रुटि के जोखिम को कम करने के लिए समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।                                                                                                                                |
| 3      | यातयात संबंधित राजस्व जोखिम | वाणिज्यिक यातायात से राजस्व संभाव्यता अधिक है किन्तु यह चक्रों में उच्चावचन के मद्देनजर है।                                                                                                                        |

इसके अनुसरण में, कंपनी ने दिनांक 03 जनवरी 2017 को आयोजित अपनी 19वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित उल्लेखनीय बिंदुओं सहित कंपनी के लिए "जोखिम प्रबंधन नीति" तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की है: -

- (i) इरकॉन की नीति के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी।
- (ii) कंपनी विशिष्ट कारकों को अधिक महत्व दिया जाएगा।
- (iii) अन्य एनएचएआई बीओटी परियोजनाओं के जोखिम कारकों की समीक्षा की जाएगी।

### कर्मचारी पारिश्रमिक पर प्रकटन

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-197 के अनुसरण में, कंपनी के किसी भी कार्मिक को प्रति वर्ष 60 लाख रूपए या प्रति माह 5,00,000/- रूपए से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था।

### निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के अनुबंध-V के रूप में संलग्न किया गया है।

### **आंतरिक लेखापरीक्षक**

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनच्छेद 138 के अनुसार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनियों को एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना अपेक्षित है।

तदनुसार, मैसर्स बंसल सिन्हा एंड कंपनी, जिसका कार्यालय 18/19, ओल्ड राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 है, को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

### **सांविधिक लेखापरीक्षक (वित्तीय वर्ष: 16-17)**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी, संनदी लेखाकार, फर्म पंजीकरण सं. 000044एन, पंजीकृत कार्यालय- 23, भाई वीर सिंह मार्ग, कोल मार्किट, नई दिल्ली-110001 को नियुक्त किया गया है।

### **कंपनी के बैंकर**

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईसीबी), जिसका शाखा कार्यालय: प्रथम तल, बालिका भवन, ब्लॉक बी, सेक्टर 13, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 में है, कंपनी के नाम पर चालू खाता, एस्करो खाता खोलने और साविधि जमा (एफडी) के अनुरक्षण की सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से कंपनी के लिए एकमात्र बैंकिंग साक्षेदार के रूप में कार्य कर रहा है।

### **सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां**

आज की तिथि को कंपनी की कोई सहायक, संबद्ध या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

### **समझौता ज्ञापन (एमओयू)**

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धारक कंपनी इरकाँन इंटरनेशनल (इरकाँन) के साथ दिनांक 12.06.2017 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पूंजीगत व्यय, बिटुमस कंक्रीट (बीसी) के समापन और डैस बिटुमस मेकेडम (डीबीएम) के समापन की दृष्टि से

निष्पादन मूल्यांकन मापदंड को निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 26.07.2016 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) में हस्ताक्षर किए गए थे।

### **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं निदान)अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन**

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं निदान)अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन महिला कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन पर लागू होता है। यदि एक संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है तो, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 4 की शर्तों के अंतर्गत “आंतरिक शिकायत समिति” का गठन अपेक्षित है।

इसके संदर्भ में, इरकॉन पीबीटीएल की 18वीं बोर्ड बैठक में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन पर चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इसकी कार्यव्यवस्था के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तों और कार्यविधियों व प्रक्रियाओंके अनुरूप इस समिति का गठन किया जाए।

### **शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना**

#### **(i) प्रमुख नीतियां और विनियमन:-**

कंपनी अपने अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा उनकी संबंधित क्षमताओं में कार्मिकों को प्राधिकृत करने की दृष्टि से धारक कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही नीतियों की तर्ज पर नीतियों का अनुसरण करती है।

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी- इरकॉन के पास है, केवल अतिरिक्त, वैकल्पिक या नैमेतिक निदेशकों को छोड़कर। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 59 के अनुसार अध्यक्ष कंपनी के किसी महत्वपूर्ण विषयों पर धारक कंपनी - इरकॉन का निर्णय मान्य होगा, जिसे अध्यक्ष महसूस करे कि धारक कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाना है।

**(ii) लेखापरीक्षित इंड एस वित्तीय परिणाम**

कंपनीके लेखापरीक्षित इंड एस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2017 को पुलन पत्र, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, सारांशित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखा टिप्पणियां और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है, जिसे दिनांक 28 जुलाई, 2017 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

**(iii) सीईओ और सीएफओ प्रमाणन**

प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) - श्री ए.के.सिंह तथा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) - सुश्री तंजित कौर ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के मामलों की सही और वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है और सभी सामग्रीगत सूचनाएं उपलब्ध कराता है। उक्त प्रमाणपत्र अनुबंध-VI के रूप में संलग्न है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के  
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-  
दीपक सबलोक  
अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक : 06.09.2017

स्थान : नई दिल्ली

**प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)**

**(i) औद्योगिक संरचना और विकास**

सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग और अधिक विकास और पूंजी अंशदान की ओर बढ़ा है जिसके कारण एनएचएआई द्वारा प्रदान किए अनुसार बीओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को विकसित और प्रचालित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ऐसी परियोजनाएं प्रदान कर रहा है जिससे निवेशक तथा ठेकेदार, अन्य उद्योगों, जहां सेवा प्रदाताओं के रूप में विकल्पों की उपलब्धता के साथ मांग और आपूर्ति कारक विद्यमान हैं, की तुलना में क्षेत्र के यातायात के आकलन के आधार पर घाटे या अनिश्चितताओं के कम जोखिम के साथ निरंतर आय अर्जित कर सकते हैं। यहां, जब ऐसी परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं, वहां परियोजना के निष्पादन के लिए विश्वसनियता और वित्तीय स्थिति के अनुसार पक्षों को स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व इनका सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि ऐसी परियोजनाओं से अनुमानित आमदनियां बाजार के उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होंगी।

इस प्रकार, एनएचपीडी-चरण IV के अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएआई ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और विस्तार की चुनौती ली है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलोदी खंड (एनएच-15) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का कार्य करने के लिए एनएचएआई द्वारा निविदा फ्लोट की गई थी जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन - 100% धारक कंपनी) ने भाग लिया और निष्पादन के लिए यह निविदा प्राप्त की तथा इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड नामक एसपीवी का निर्माण किया। औद्योगिक रूझानों पर आधारित इस परियोजना में विकास की संभावनाएं हैं और अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष में राजमार्ग ग्राहकों से भारी एकत्रण की संवर्धित संभावनाएं हैं।

**(ii) शक्तियां और कमजोरियां**

**➤ शक्तियां**

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, सड़क तथा राजमार्ग नेटवर्क के और अधिक विस्तारित होने की संभावना है जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। सड़क यातायात में अच्छे विकास से भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गलियारों के कारण बेहतर सड़क संपर्कता

और यातायात के सुगम प्रवाह की मांग बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में अधिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ राजमार्गों पर यातायात की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के साथ वर्ष 2020 तक सड़क यातायात की मांग में और वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश तथा अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

➤ **कमजोरियां**

- (i) प्रकृति में परिवर्तन का नुकसार है।
- (ii) राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में समय पर आउटपुट प्रदान करने के संबंध में कुशलता की समस्याएं होती हैं।
- (iii) पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण असंभावित लागत वृद्धि।

(iii) **अवसर तथा जोखिम**

➤ **अवसर**

- (i) सड़कों और राजमार्गों पर निरंतर बढ़ते वाहनों के कारण प्रचालनों में स्थिरता और विकास हुआ है तथा संबंधित लाभप्रदता बढी है।
- (ii) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनुमानित लाभ-लागत विश्लेषण मॉडल के विकास से अन्य सेवाओं की तुलना में दीर्घकालीन अवधि में संभावित राजस्व (टोल आय) में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

➤ **जोखिम**

- (i) राजमार्ग परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से न केवल परियोजना लागत में वृद्धि होगी बल्कि सीमित रियायत अवधि और ब्याज भुगतानों के संवर्धित बोझ के कारण राजस्व भी प्रभावित होंगे।
- (ii) बीओटी परियोजनाओं में, इनपुटों को अनुमानित स्तरों पर अनुरक्षित रखा जाना होता है और उतारचढ़ाव की कम संभावना के साथ यातायात के पूर्वानुमानों को प्राप्त किया जाना होता है।
- (iii) भूमि दायित्व मुद्दे के कारण प्राधिकरण- एनएचएआई से रियायतग्राही कंपनी को भूमि सौंपनेमें विलंब हुआ।

**(iv) आउटलुक (परिदृश्य)**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी अग्रणी परियोजना “राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)” के अंतर्गत और अधिक राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करके तथा निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके और विकास के लिए सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा निर्माण उद्योग को और बल प्रदान करेगा।

**(v) जोखिम और चिंता**

- कार्यनिष्पादन प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- निर्माण परियोजनाओं के लिए मौजूदा जोखिम आकलन मॉडल विकसित देशों में अनुसरण की जा रही पद्धतियों के अनुरूप नहीं हैं।

**(vi) प्रचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा**

धारक कंपनी के साथ परामर्श करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय संरचना, प्रचालनिक राजस्व, लागतों और कंपनी के तुलनपत्र पर इसके परिणामों को दर्शाते हुए वित्तीय मॉडल विकसित किया है।

कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 से 30 महीनों के अनुमानित समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात राजस्व का अर्जन आरंभ करेगी और ब्याज तथा मूल के पुनर्भुगतान का दायित्व अप्रैल 2018 से आरंभ होगा, जिससे कंपनी को धारक कंपनी से लिए गए 352 करोड़ रूपए के लिए ऋण के लिए पर्याप्त वित्तीय बचाव प्राप्त हो जाएगा।

**वित्तीय परिणामों का तुलनात्मक विवरण**  
(वित्त वर्ष 2016-17 तथा 2015-16)

| विवरण                                          | 31.03.2017 को                      | 31.03.2016 को                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                | समाप्त वर्ष हेतु<br>(लेखापरीक्षित) | समाप्त वर्ष हेतु<br>(लेखापरीक्षित) |
| 1. इक्विटी शेयर पूंजी                          | 16500                              | 9000                               |
| 2. अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि एवं अतिरेक सहित) | 310.23                             | 263.95                             |
| 3. धारककंपनी से ऋण (उधार)                      | 8000                               | -                                  |
| 4. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां              | 22378.20                           | 4589.25                            |
| 5. कुल परिसंपत्तियां और दायित्व                | <b>25379.32</b>                    | <b>12021.68</b>                    |
| 6. प्रचालनों से राजस्व                         | 17788.96                           | 4589.25                            |
| 7. अन्य आय                                     | 87.93                              | 578.33                             |
| 8. कुल आय (6) + (7)                            | <b>17876.89</b>                    | <b>5167.57</b>                     |
| 9. कुल व्यय                                    | <b>17794.18</b>                    | <b>4597.87</b>                     |
| 10. करपूर्व लाभ                                | <b>82.71</b>                       | <b>569.70</b>                      |
| 11. करपश्चात लाभ (कुल वृहत आय)                 | <b>53.77</b>                       | <b>381.50</b>                      |

\* नोट: सभी आय तथा व्ययों को संचित आधार पर रिकार्ड किया गया है और चालू प्रचालनिक व्यय शून्य है।

(vii) नियुक्त लोगों सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों में महत्वपूर्ण गतिविधियां

कंपनी के कार्यपालक कार्यों, वित्तीय गतिविधियों और अनिवार्य अनुपालनों और प्रकटनों, प्रशासनिक और एचआरएम संबंधी कार्यों की व्यवस्था के लिए कंपनी के पे-रोल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), कंपनी सचिव, एओएस/एचआरएम तथा सीएमए प्रशिक्षु उपस्थित हैं। तकनीकी विषयों के लिए, इरकॉन से कंपनी में एक उप प्रबंधक/सिविल को प्रतिनियुक्त किया गया है। इरकॉन से कंपनी में 13 अन्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिन्हें बीकानेर, राजस्थान के परियोजना स्थल में तैनात किया गया है।

इसके अतिरिक्त, ईसीपी ठेकेदारों को भुगतान, लेखापरीक्षा और अन्य मुद्दों के सहयोग करने के लिए इरकॉन पीबीटीएल में संविदा आधार पर लेखा सहायक की नियुक्ति के लिए बोर्ड की अनुमति मांगी गई है।

## अनुबंध - II

### फॉर्म सं.एमजीटी 9 वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

#### I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

|    |                                                                      |                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | सीआईएन                                                               | यू45400डीएल2014जीओआई272220                                                                                         |
| 2. | पंजीकरण तिथि                                                         | 30.09.2014                                                                                                         |
| 3. | कंपनी का नाम                                                         | इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड                                                                                           |
| 4. | कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी                                             | शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) |
| 5. | पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा                              | पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017                                                             |
| 6. | कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध                                    | गैर-सूचीबद्ध कंपनी                                                                                                 |
| 7. | रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा | लागू नहीं                                                                                                          |

#### II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

| क्र.सं | मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम                                                                                                                                                                      | उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल टर्नओवर का % |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.     | राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलोदी खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना :<br>निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से ) | 42101                       | 100%                      |

#### III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

| क्र.सं | कंपनी का नाम व पता      | सीआईएन/जीएलएन             | धारक/सहायक/संबद्ध कंपनियां | धारित शेयरों का प्रतिशत | लागू अनुच्छेद  |
|--------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1      | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | यू45203डीएल1976जीओआई00817 | धारक कंपनी                 | 100% *                  | अनुच्छेद 2(46) |

\* 100%: 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 09 नामितियों के पास हैं।

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

| शेयरधारकों की श्रेणी                   | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या<br>[ 31 मार्च 2016 को] |          |          |                 | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या<br>[ 31 मार्च 2016 को] |           |           |                 | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
|                                        | डीमेट                                                          | फिजिकल   | कुल      | कुल शेयरों का % | डीमेट                                                         | फिजिकल    | कुल       | कुल शेयरों का % |                          |
| <b>क. प्रमोटर</b>                      |                                                                |          |          |                 |                                                               |           |           |                 |                          |
| <b>(1) भारतीय</b>                      |                                                                |          |          |                 |                                                               |           |           |                 |                          |
| क) व्यक्तिगत/<br>एचयूएफ                | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| ख) केन्द्र सरकार                       | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| ग) राज्य सरकार(सरकारें)                | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| घ) निकाय निगम#                         | शून्य                                                          | 90000000 | 90000000 | 100%            | शून्य                                                         | 165000000 | 165000000 | 100%            | 100%                     |
| ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान               | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| च) कोई अन्य                            | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| <b>(2) विदेशी</b>                      |                                                                |          |          |                 |                                                               |           |           |                 |                          |
| <b>प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)</b> | शून्य                                                          | 90000000 | 90000000 | 100%            | शून्य                                                         | 165000000 | 165000000 | 100%            | 100%                     |
| <b>ख. जन शेयरधारिता</b>                |                                                                |          |          |                 |                                                               |           |           |                 |                          |
| <b>1. संस्थान</b>                      |                                                                |          |          |                 |                                                               |           |           |                 |                          |
| क) म्युचुवल फंड                        | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| ख) बैंक / वित्तीय संस्थान              | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| ग) केन्द्र सरकार                       | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| घ) राज्य सरकार (सरकारें)               | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| ड.) उपक्रम पूंजी निधियां               | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| च) बीमा कंपनियों                       | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| छ) एफआईआई                              | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां         | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| झ) अन्य (बताएं)                        | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| <b>उप कुल (ख)(1):-</b>                 | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| <b>2. गैर-संस्थागत</b>                 |                                                                |          |          |                 |                                                               |           |           |                 |                          |
| क) निकाय निगम                          | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| i) भारतीय                              | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |
| ii) विदेशी                             | -                                                              | -        | -        | -               | -                                                             | -         | -         | -               | -                        |

|                                                                    |       |          |          |      |       |           |           |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------|-------|-----------|-----------|------|------|
| ख) व्यक्ति                                                         | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक       | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| ग) अन्य (स्पष्ट करें)                                              | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय                                | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| विदेशी राष्ट्रीय                                                   | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| क्लियरिंग सदस्य                                                    | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| ट्रस्ट                                                             | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| विदेशी निकाय-डीआर                                                  | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| <b>उपकुल(ख)(2):-</b>                                               | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता<br>(ख)=(ख)(1)+<br>(ख)(2)                  | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| <b>ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर</b>      | -     | -        | -        | -    | -     | -         | -         | -    | -    |
| <b>सकल योग (क+ख+ग)</b>                                             | शून्य | 90000000 | 90000000 | 100% | शून्य | 165000000 | 165000000 | 100% | 100% |

# निकाय निगम: पब्लिक लिमिटेड कंपनी के निगमन के लिए और सामान्य बैठकों के लिए न्यूनतम 05 सदस्यों की उपस्थिति की गणपूर्ति हेतु 07 सदस्यों की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 09 नामितियों के पास है। नामिति शेयरधारकों के पास शेयर केवल कंपनी अधिनियम 2013 तथा इससे संबंधित नियमों के अंतर्गत उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए हैं।

ख) प्रमोटर्स की शेयरधारिता:

| क्र.सं | शेयरधारक का नाम           | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता |                          |                                               | वर्ष के अंत में शेयरधारिता |                          |                                              | वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन |
|--------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|        |                           | शेयरों की संख्या            | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋण युक्त शेयरों का % | शेयरों की संख्या           | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का % |                                         |
| 1      | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड\$ | 90000000                    | 100%                     | -                                             | 165000000                  | 100%                     | शून्य                                        | 83.33%                                  |

|     |          |      |   |           |      |       |        |
|-----|----------|------|---|-----------|------|-------|--------|
| कुल | 90000000 | 100% | - | 165000000 | 100% | शून्य | 83.33% |
|-----|----------|------|---|-----------|------|-------|--------|

**\$ प्रमोटरों की शेयरधारिता:** कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात् सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है।

पब्लिक लिमिटेड कंपनी के निगमन के लिए और सामान्य बैठकों के लिए न्यूनतम 05 सदस्यों की उपस्थिति की गणपूर्ति हेतु अनिर्वा अपेक्षा के अनुसार अन्य 09 सदस्यों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नामित हैं।

**ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :**

| क्र.सं | विवरण                                                                                                                                                                     | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता* |                          | वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता * |                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|        |                                                                                                                                                                           | शेयरों की संख्या             | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या                       | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1.     | वर्ष के आरंभ में                                                                                                                                                          | 90000000                     | 100%                     | 90000000                               | 100%                     |
| 2.     | वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि): |                              |                          |                                        |                          |
|        | (क) आवंटन की तिथि: 22 जूलाई, 2016<br>शेयरों की संख्या में वृद्धि<br>शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर                                                                        | 50000000                     | 100%                     | 140000000                              | 100%                     |
|        | ख) आवंटन की तिथि: 17 अक्टूबर 2016<br>शेयरों की संख्या में वृद्धि<br>शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर:                                                                       | 25000000                     | 100%                     | 165000000                              | 100%                     |
| 3.     | वर्ष के अंत में                                                                                                                                                           | 165000000                    | 100%                     | 165000000                              | 100%                     |

\* वर्ष: 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष को दर्शाता है।

**घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न :**

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

| क्र.सं | प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु                                                                                                | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता* |                          | वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता * |                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|        |                                                                                                                                  | शेयरों की संख्या             | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या                       | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1.     | वर्ष के आरंभ में                                                                                                                 |                              |                          |                                        |                          |
| 2.     | वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: |                              |                          |                                        |                          |

लागू नहीं।

|    |                                          |  |
|----|------------------------------------------|--|
|    | आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि): |  |
| 3. | वर्ष के अंत में                          |  |

**ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:**

| क्र.सं | निदेशक(निदेशकों) का नाम # | प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता                                                                                             | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता* |                          | वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता * |                          |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|        |                           |                                                                                                                                                                           | शेयरों की संख्या             | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या                       | कंपनी के कुल शेयरों का % |
|        | <b>श्री दीपक सबलोक</b>    | वर्ष के आरंभ में                                                                                                                                                          | 100                          | 0.0001                   | 10<br>0                                | 0.0001                   |
|        |                           | वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि): |                              |                          |                                        |                          |
|        |                           | (क) आवंटन की तिथि: 22 जुलाई, 2016<br>शेयरों की संख्या में वृद्धि<br>शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर                                                                        | शून्य                        | शून्य                    | शून्य                                  | शून्य                    |
|        |                           | ख) आवंटन की तिथि: 17 अक्टूबर 2016<br>शेयरों की संख्या में वृद्धि<br>शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर:                                                                       | शून्य                        | शून्य                    | शून्य                                  | शून्य                    |
|        |                           | वर्ष के अंत में                                                                                                                                                           | 100                          | 0.00006                  | 100                                    | 0.00006                  |
| 1.     | <b>श्री दीपक सबलोक</b>    | वर्ष के आरंभ में                                                                                                                                                          | 100                          | 0.0001                   | 100                                    | 0.0001                   |
|        |                           | वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि): | शून्य                        | शून्य                    | शून्य                                  | शून्य                    |
|        |                           | (क) आवंटन की तिथि: 22 जुलाई, 2016<br>शेयरों की संख्या में वृद्धि<br>शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर                                                                        | शून्य                        | शून्य                    | शून्य                                  | शून्य                    |
|        |                           | ख) आवंटन की तिथि: 17 अक्टूबर 2016<br>शेयरों की संख्या में वृद्धि<br>शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर:                                                                       | शून्य                        | शून्य                    | शून्य                                  | शून्य                    |
|        |                           |                                                                                                                                                                           |                              |                          |                                        |                          |

|   |                          |                                                                                                                                                                           |       |         |       |         |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|
|   |                          | वर्ष के अंत में                                                                                                                                                           | 100   | 0.00006 | 100   | 0.00006 |
| 3 | श्री राजेन्द्र सिंह यादव | वर्ष के आरंभ में                                                                                                                                                          | शून्य | शून्य   | शून्य | शून्य   |
|   |                          | वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि): |       |         |       |         |
|   |                          | शेयर अंतरण/पृष्ठांकन की तिथि: 14 मार्च, 2017                                                                                                                              | 100   | 0.00006 | 100   | 0.00006 |
|   |                          | वर्ष के अंत में                                                                                                                                                           | 100   | 0.00006 | 100   | 0.00006 |

कंपनी के निदेशक इरकाँन के नामितियों के रूप में शेयर धारण किए हुए हैं (इरकाँन इंटरनेशनल लिमिटेड के कृति और की ओर से); पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमन के समय अपेक्षित सात सदस्यों की न्यूनतम संख्या की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए 100% धारक कंपनी द्वारा नामित (इरकाँन और इसके 6 नामिती)।

# प्रत्येक निदेशक के पास समान संख्या में इक्विटी शेयर हैं।

\* वर्ष: 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले तथा 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष को दर्शाता है।

V) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

| विवरण                                                 | जमा राशियों सहित रक्षित ऋण | अरक्षित ऋण   | जमा राशियाँ | कुल ऋणग्रस्तता |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता</b>                    |                            |              |             |                |
| i) मूल राशि                                           | -                          | -            | -           | -              |
| ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज                         |                            |              |             |                |
| iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज                          |                            |              |             |                |
| <b>कुल (i+ii+iii)</b>                                 |                            | <b>शून्य</b> |             |                |
| <b>वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन</b> |                            |              |             |                |
| * संवर्धन                                             | 8000                       | -            | -           | 8000           |
| * आवर्धन                                              |                            |              |             |                |
| <b>निवल परिवर्तन</b>                                  | 8000                       | -            | -           | 8000           |
| <b>वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन</b>  |                            |              |             |                |
| i) मूल राशि                                           | 8000                       | -            | -           | 8000           |
| ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज                         | 96.27                      | -            | -           | 96.27          |
| iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज                          | -                          | -            | -           | -              |
| <b>कुल (i+ii+iii)</b>                                 | 8096.27                    | -            | -           | 8096.27        |

**VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -**

**क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:**

| क्र.सं | पारिश्रमिक का विवरण @                                                             | एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम |   |   |   | कुल राशि |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|----------|
| 1.     | सकल वेतन                                                                          |                                 |   |   |   |          |
|        | (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन | -                               | - | - | - | -        |
|        | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य          | -                               | - | - | - | -        |
|        | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ          | -                               | - | - | - | -        |
| 2.     | स्टॉक ऑप्शन                                                                       | -                               | - | - | - | -        |
| 3.     | स्वीट क्विटी                                                                      | -                               | - | - | - | -        |
| 4.     | कमिशन                                                                             | -                               | - | - | - | -        |
|        | - लाभ के % के रूप में                                                             |                                 |   |   |   |          |
|        | - अन्य, बताएं...                                                                  |                                 |   |   |   |          |
| 5.     | अन्य, कृपया बताएं                                                                 | -                               | - | - | - | -        |
|        | <b>कुल (क) \$</b>                                                                 | <b>शून्य</b>                    |   |   |   |          |
|        | <b>अधिनियम के अनुसार सीमा</b>                                                     | <b>लागू नहीं</b>                |   |   |   |          |

**ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:**

| क्र.सं | पारिश्रमिक का विवरण @                               | निदेशकों का नाम  |      |      |     | कुल राशि |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----|----------|
|        |                                                     | ----             | ---- | ---- | --- |          |
| 1      | स्वतंत्र निदेशक                                     |                  |      |      |     |          |
|        | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क |                  |      |      |     |          |
|        | कमिशन                                               |                  |      |      |     |          |
|        | अन्य, कृपया बताएं                                   |                  |      |      |     |          |
|        | <b>कुल (1)</b>                                      | <b>लागू नहीं</b> |      |      |     |          |
| 2      | अन्य गैर कार्यपालक निदेशक                           |                  |      |      |     |          |
|        | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क |                  |      |      |     |          |
|        | कमिशन                                               |                  |      |      |     |          |
|        | अन्य, कृपया बताएं                                   |                  |      |      |     |          |
|        | <b>कुल (2)</b>                                      |                  |      |      |     |          |

|  |                                |           |
|--|--------------------------------|-----------|
|  | कुल (ख)=(1+2) \$               | लागू नहीं |
|  | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक       | शून्य     |
|  | अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग | लागू नहीं |

**\$ कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक:** कंपनी अपनी धारक कंपनी- इरकॉन के अनुमोदन पर अपने बोर्ड में कार्यपालक निदेशकों (प्रबंध निदेशक/पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंधन) की नियुक्ति करता है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उनकी नियुक्ति और नामांकन किया जाता है। वर्तमान में, कंपनी के पे-रोल में चार गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जो बैठक शुल्कों या कमिशन के रूप में शून्य पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।

**ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्यूटीडी) का पारिश्रमिक:**

| क्र.सं | पारिश्रमिक का विवरण                                                               | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक |                 |                  |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|        |                                                                                   | सीईओ#                    | सीएस            | सीएफओ            | कुल              |
| 1      | सकल वेतन                                                                          |                          |                 |                  |                  |
|        | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन | 17,34,215                | 3,59,451        | 10,04,220        | 30,97,886        |
|        | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य          | 7,551                    | -               | 1,335            | 8,886            |
|        | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ          | -                        | -               | -                | -                |
| 2      | स्टॉक ऑप्शन                                                                       | -                        | -               | -                | -                |
| 3      | स्वीट क्विटी                                                                      | -                        | -               | -                | -                |
| 4      | कमिशन                                                                             |                          |                 |                  |                  |
|        | - लाभ के % के रूप में                                                             | -                        | -               | -                | -                |
|        | अन्य, बताएं...                                                                    | -                        | -               | -                | -                |
| 5      | अन्य, कृपया बताएं                                                                 | -                        | -               | -                | -                |
|        | <b>कुल</b>                                                                        | <b>17,41,766</b>         | <b>3,59,451</b> | <b>10,05,555</b> | <b>31,06,772</b> |

**# केएमपी के रूप में सीएफओ का पारिश्रमिक:** सुश्री तंजीत कौर ने दिनांक 15 मार्च 2017 से कंपनी के सीएफओ और केएमपी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया था और तदनुसार, केएमपी के रूप में पारिश्रमिक की अवधि केवल 01 अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2017 तक है। इसके अतिरिक्त, चूंकि श्री संजय पोदार को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त प्रभार के आधार पर सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया था, इरकॉनबीटीएल द्वारा पारिश्रमिक देय नहीं था।

**VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति:**

| प्रकार                          | कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद | संक्षिप्त विवरण | जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति का ब्यौरा | प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय ] | की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें) |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>क. कंपनी</b>                 |                           |                 |                                           |                                       |                                    |
| जुर्माना                        |                           |                 | शून्य*                                    |                                       |                                    |
| दंड                             |                           |                 |                                           |                                       |                                    |
| कंपाउंडिंग                      |                           |                 |                                           |                                       |                                    |
| <b>ख. निदेशक</b>                |                           |                 |                                           |                                       |                                    |
| जुर्माना                        |                           |                 | शून्य*                                    |                                       |                                    |
| दंड                             |                           |                 |                                           |                                       |                                    |
| कंपाउंडिंग                      |                           |                 |                                           |                                       |                                    |
| <b>ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी</b> |                           |                 |                                           |                                       |                                    |
| जुर्माना                        |                           |                 | शून्य*                                    |                                       |                                    |
| दंड                             |                           |                 |                                           |                                       |                                    |
| कंपाउंडिंग                      |                           |                 |                                           |                                       |                                    |

- कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

**फार्म सं. एओसी-2**

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु)

\*\*\*\*\*

I) आर्म लैथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार :

दिनांक 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संविदा या व्यवस्थाओंया संव्यवहारों में प्रवेश नहीं किया गया है जो आर्म लैथ आधार पर न हों।

II) आर्म लैथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार :

| क्र.सं. | संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति                                                                                                                                                                                                                         | संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि                                                                                                | मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें                                                                                                                                     | बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो: | अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.      | ईपीसी करार (परियोजना सुविधाओं के विकास सहित प्रदान किए गए कार्य के कार्यक्षेत्र के अनुसार चार या दो लेन परियोजना राजमार्ग के निर्माण कार्य के लिए परियोजना के निष्पादन हेतु ईपीसी कांट्रैक्टर के रूप में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रूप में नियुक्त किया गया है। | ईपीसी करार के निष्पादन की तिथि: 19 जनवरी, 2015<br><br>अनुमानित अवधि: 30 माह (ईपीसी कांट्रैक्टर द्वारा निर्माण की अवधि) सतत संव्यवहार | परियोजना राजमार्ग के विकास के निष्पादन के लिए 646 करोड़ रूपए के मूल्य हेतु संविदा को निष्पादित किया गया है।<br><br>वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इसके लिए इरकॉन को प्रदत्त कार्य व्यय 53.44 करोड़ रूपए है। | 5 जनवरी, 2015 तथा 29 अप्रैल, 2015                   | शून्य (आज की तिथि को)                      |

**फॉर्म सं. एओसी-2**

| क्र.सं. | संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति                                                                                 | संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि | मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें                                                                                                           | बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:                                                   | अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.      | ईपीसी करार में संशोधन (मूल ईपीसी करार के भाग का सृजन) ईपीसी करार का शुद्धिपत्र सं.1, शुद्धिपत्र सं.2 तथा शुद्धिपत्र सं.3 | लागू नहीं                             | ईपीसी करार में शुद्धियां 646 करोड़ रुपए के मूल्य की परियोजना की मूल कुल लागत के लिए संशोधित भूगतान अनुसूची के प्रतिधारण हेतु निष्पादित                                           | शुद्धिपत्र सं..1: 12 मार्च 2015<br>शुद्धिपत्र सं.. 2: 23 मार्च 2016<br>शुद्धिपत्र सं.3: 22 जुलाई 2016 | शून्य (आज की तिथि तक)                      |
| 2.      | पट्टा करार (कार्यालय परिसरों के प्रयोग के लिए किराया)                                                                    | तीन वर्ष (2015 से 2018)               | इरकॉन पीबीटीएल ने सेवा कर को छोड़कर प्रति माह 17,550 रुपए की दर से दिनांक 01.04.2015 से 3 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01.10.2015 को इरकॉन के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर किया है। | -                                                                                                     | शून्य (आज की तिथि तक)                      |

## अनुबंध-IV

**PRASHANT S MEHTA**  
**Practicing Company Secretary**

Office Address: 12A-09 & 12A-09A,  
Parinee Cresenzo, Plot No.  
C/38/39, G Block, behind MCA  
Club, BKC, Bandra (E), Mumbai  
400051.  
Mobile: 09821231387  
email: [prashant.m@legacs.com](mailto:prashant.m@legacs.com)

### **प्रारूप फार्म सं. एमआर-3** **सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

(31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,  
सदस्य,  
इरकॉन पीबीटीएल इंटरनेशनल लिमिटेड,  
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,  
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** (जिसे यहां आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अशिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित

बोर्ड प्रक्रियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों और उपनियमों;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: - लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।
  - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
  - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (15 मई, 2015 से प्रभावी);
  - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009 और समय-समय पर संशोधन;
  - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
  - (ङ.) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
  - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है।
  - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009;
  - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; तथा
  - (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

मैंने कंपनी द्वारा लागू अधिनियमों, नियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्रों हेतु कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया है। कंपनी पर लागू अधिनियमों, नियमों, कानूनों और विनियमों के प्रमुख शीर्षों या समूहों की सूची अनुबंध- ख पर संलग्न है।

मैंने प्रत्यक्ष वित्तीय और अप्रत्यक्ष कर कानूनों और उनके विनियामक अनुपालन जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकन के मददेज्जर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

i. कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार किसी भी स्वतंत्र निदेशक को अपने बोर्ड में नियुक्त नहीं किया है। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति को अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से गठित नहीं किया गया है।

i. कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के के समक्ष दायर होने वाले कुछ ई-फॉर्म दाखिल करने में देरी की है।

उपरोक्त टिप्पणियों के अतिरिक्त, मैं निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा:

i. डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 में उल्लिखित अनुसार, सरकार / अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों द्वारा नियुक्त किए गए नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित रहेगी। हालांकि, कंपनी के पास धारक कंपनी द्वारा नियुक्त 5 नामित निदेशक हैं जो डीपीई दिशानिर्देशों के तहत एक गैर-अनुपालन है।

मैं आगे यह भी सूचित करना हूँ कि:

i. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने और बोर्ड में कार्यपालक निदेशकों की कमी के कारण के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के

साथ विधिवत गठित नहीं किया गया है। ।

- i. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- ii. बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठकमें सार्थक भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।
- iv. बोर्ड की बैठक और समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जैसा कि बोर्ड के निदेशक मंडल या समिति की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।
- v. बोर्ड की बैठक और समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जैसा कि बोर्ड के निदेशक मंडल या समिति की बैठकों, जैसा भी मामला हो के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

मैं आगे सूचित करता हूं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

मैं आगे सूचित करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं हुईं:

- i. कंपनी ने धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 75 करोड़ रुपये की राशि के प्रति 10 रुपए पर राइट आधार पर कुल 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

प्रशांत मेहता,  
एसीएस: 5814  
सीपी सं.: 17341

दिनांक: 06 सितंबर, 2017

स्थान :नई दिल्ली।

इस रिपोर्ट को मेरे समसंख्यक पत्र के साथ पढा जाए, जो अनुबंधों के रूप में संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं।

## अनुबंध -क

सेवामें,  
सदस्य,  
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड,  
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,  
नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

**प्रशांत मेहता,**  
**एसीएस: 5814**  
**सीपी सं.: 17341**

**दिनांक: 06 सितंबर, 2017**  
**स्थान :नई दिल्ली।**

### अनुबंध-ख

1. सार्वजनिक उपक्रम विभाग, गृह मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश।
2. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार ( रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996
3. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
5. दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954
6. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
7. पानी (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
9. वायु (रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1981
10. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
11. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
12. अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971
13. कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923
14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
15. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
16. लीगल मेट्रोलाजी एक्ट, 2009 और उसके नियम बनाए गए।
17. पेटेंट अधिनियम, 1970
18. ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999
19. अभिकल्प अधिनियम, 2000
20. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
21. प्रतियोगिता अधिनियम, 2002

**प्रशांत मेहता,**

**एसीएस: 5814**

**सीपी सं.: 17341**

## निगमित शासन रिपोर्ट

### कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने निर्णय-निर्धारण और कार्यों में सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्ट्रेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

### निदेशक मंडल

#### **(क) निदेशक मंडल की संरचना:-**

कंपनी के संगम अनुच्छेदों (एओए) के अनुच्छेद 49 के अनुसार, निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास है। तदनुसार, धारक कंपनी ने, इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में पांच गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक निदेशक) को नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्र.सं | निदेशक                   | पूर्णकालीन/अंशकालीन/<br>स्वतंत्र | नियुक्ति<br>की तिथि | डीआईएन   |
|--------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| 1.     | श्री दीपक सबलोक          | अंशकालीन अध्यक्ष                 | 30.09.2014          | 03056457 |
| 2.     | श्री अशोक कुमार गोयल     | अंशकालीन निदेशक                  | 30.09.2014          | 05308809 |
| 3.     | श्री आनन्द कुमार सिंह    | अंशकालीन निदेशक                  | 21.07.2016          | 07018776 |
| 4.     | श्री राजेन्द्र सिंह यादव | अंशकालीन निदेशक                  | 03.03.2017          | 07752915 |
| 5.     | सुश्री अनुपम बेन         | अंशकालीन निदेशक                  | 09.06.2017          | 07797026 |

### (क) निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आठ बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया है। चूंकि दो निरंतर बैठकों के बीच 90 दिन के समय अंतराल की अनुमति दी गई है, इसलिए वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तदनुसार है।

उचित नोटिस जारी किए गए थे और समय पर कार्यसूची अभिलेख परिपत्रित किए गए। विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए प्रस्तुत किए गए निर्धारित प्रस्तावों के साथ निदेशकों और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने हेतु बोर्ड तथा शेयरधारक बैठकों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

### बोर्ड की बैठकों की संख्या और निदेशकों की उपस्थिति

(अन्य कंपनियों और बोर्ड समितियों में उनके निदेशक पद और सदस्यता सहित )

#### वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

| क्र.सं | बोर्ड बैठक की सं. | बोर्ड बैठकों की तिथि | पिछले बैठकों के संबंध में समय अंतराल (दिनों की संख्या) | उपस्थित सदस्यों की संख्या | अनुपस्थित सदस्यों की संख्या |
|--------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1.     | 13वीं             | 10 जून, 2016         | -                                                      | 3                         | शून्य                       |
| 2.     | 14वीं             | 22 जुलाई, 2016       | 41                                                     | 4                         | शून्य                       |
| 3.     | 15वीं             | 11 अगस्त, 2016       | 19                                                     | 4                         | शून्य                       |
| 4.     | 16वीं             | 05 सितंबर, 2016      | 24                                                     | 4                         | शून्य                       |
| 5.     | 17वीं             | 26 सितंबर, 2016      | 20                                                     | 4                         | शून्य                       |
| 6.     | 18वीं             | 17 अक्टूबर, 2016     | 20                                                     | 3                         | 1                           |
| 7.     | 19वीं             | 3 जनवरी, 2017        | 79                                                     | 3                         | शून्य                       |
| 8.     | 20वीं             | 14, मार्च 2017       | 71                                                     | 4                         | शून्य                       |

(i) विभिन्न समितियों (वर्ष के दौरान गठित) की बैठकों की संख्या और उपस्थिति रिकार्ड

| क्र.सं | बोर्ड समिति              | बैठकों की संख्या | समिति बैठक की तिथि | उपस्थित सदस्यों की संख्या |
|--------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1.     | लेखापरीक्षा समिति        | 1                | 3 जनवरी, 2017      | 2                         |
|        |                          | 2                | 8 मार्च, 2017      | 2                         |
| 2.     | सीएसआर और धारणीयता समिति | 1                | 8 फरवरी, 2017      | 2                         |

(ii) निदेशकों की उपस्थिति और बोर्डों और समितियों में उनके निदेशक पद या सदस्यता का ब्यौरा:

**बैठकों में निदेशक मंडल को प्रतिनिधित्व: वित्तीय वर्ष 2016-17**

| नाम व पदनाम                  | बोर्ड की बैठकों की संख्या | बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या | कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या |      | बोर्ड समितियों की बैठकों की संख्या (निदेशक कार्यकाल अवधि) |                       |                         | समिति बैठकों में उपस्थिति की संख्या |                       |                         | विभिन्न कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/निदेशक पद |      |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
|                              |                           |                                     | सरकारी                             | अन्य | लेखा परीक्षा                                              | नामांकन एवं परिश्रमिक | सीएसआर व धारणीयता समिति | लेखा परीक्षा                        | नामांकन एवं परिश्रमिक | सीएसआर व धारणीयता समिति | सरकारी                                                      | अन्य |
| श्री दीपक सबलोक अध्यक्ष      | 8                         | 8                                   | 7                                  | 1    | 2                                                         | शून्य                 | 1                       | लागू नहीं                           | लागू नहीं             | शून्य                   | 2                                                           | 1    |
| श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक | 8                         | 8                                   | 3                                  | 1    | 2                                                         | शून्य                 | 1                       | 2                                   | लागू नहीं             | 1                       | 8                                                           | -    |
| श्री आनन्द कुमार सिंह निदेशक | 8                         | 7                                   | 2                                  | -    | 2                                                         | शून्य                 | 1                       | 2                                   | लागू नहीं             | 1                       | 5                                                           | -    |
| श्री आर.एस.यादव निदेशक       | 8                         | 1                                   | 2                                  | -    | 1                                                         | शून्य                 | लागू नहीं               | लागू नहीं                           | लागू नहीं             | लागू नहीं               | 5                                                           | -    |

कंपनी के निदेशकों ने नियमित रूप से बोर्ड की बैठकों में भाग लिया है जिसमें संगठनात्मक कार्यों के लिए सकारात्मक और मूल्यवाला विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

## साधारण बैठकें

वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरधारकों की केवल एक वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन दिनांक 27.09.2016 को किया गया और आज की तिथि तक वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान केवल एक ईजीएम का आयोजन किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

### धारण बैठकें

| क्र.सं | शेयरधारक बैठकों का प्रकार          | बैठक की तिथि                                | संव्यवहार हेतु |                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                    |                                             | सामान्य कार्य  | विशेष कार्य                                                                                                                          |
| 1      | प्रथम असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) | 3 फरवरी, 2015                               | लागू नहीं      | कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 180(1)(ग) के अंतर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों से ऊपर कंपनी की ऋण लेने की शक्तियां |
| 2      | प्रथम वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)  | निगमन से पहली बार आयोजित की जाने वाली एजीएम | लागू नहीं      | लागू नहीं                                                                                                                            |

एनए से तात्पर्य: लागू नहीं

## बोर्ड की समितियों का गठन

### I. लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति

दिनांक 31 मार्च 2015 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5 करोड़ रूपए थी जो धारक कंपनी, इरकॉन को जारी 85 करोड़ रूपए के राइट इश्यु के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में बढ़कर 90 करोड़ रूपए हो गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त शेयर पूंजी के 10 करोड़ रूपए के थ्रेशहोल्ड सीमा को पार करने के कारण कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सांविधिक समितियों के गठन की आवश्यकता को क्रमशः दिनांक 29 अप्रैल 2015 तथा 26 अगस्त 2015 को आयोजित बोर्ड की सातवीं और नवीं बैठक में अधिसूचित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व

पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था और यह लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 की शर्तों के अनुपालन में है।

लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन हेतु अनुमोदन इरकॉन पीबीटीएल की 18वीं बोर्ड बैठक में प्रदान किया गया था।

#### **क. लेखापरीक्षा समिति (एसी)**

संरचना: -

- (i) श्री ए.के. सिंह, मप्र/नि/वित्त, इरकॉन - अध्यक्ष के रूप में नामित निदेशक
- (ii) श्री ए.के. गोयल, कार्यपालक निदेशक/परियोजनाएं, इरकॉन - सदस्य के रूप में नामित निदेशक
- (iii) श्री आर.एस. यादव, मप्र/राजमार्ग, इरकॉन - सदस्य के रूप में नामित निदेशक

#### **संदर्भ की शर्तें:-**

- (i) नियुक्ति, पारिश्रमिक और कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें;
- (ii) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;
- (iii) वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;
- (iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन को अनुमोदन या तत्पश्चात संशोधन;
- (v) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;
- (vi) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
- (vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
- (viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से एकत्र धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) संरचना: -

- (i) श्री ए.के. गोयल, कार्यपालक निदेशक/परियोजनाएं, इरकॉन - अध्यक्ष के रूप में नामित निदेशक
- (iii) श्री ए.के. सिंह, मप्र/नि.का/ वित्त, इरकॉन - सदस्य के रूप में नामित निदेशक
- (iii) श्री आर.एस. यादव, मप्र/राजमार्ग, इरकॉन - सदस्य के रूप में नामित निदेशक

## संदर्भ की शर्त:-

नामांकन और पारिश्रमिक समिति-

- उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक पद के लिए योग्य हैं और जिन्हें वरिष्ठ प्रबंधन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है,
- बोर्ड को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश,
- प्रत्येक निदेशक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।
- प्रत्येक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मापदंड तैयार करना और
- निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना।

## II. सीएसआर समिति और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसरण में पिछले वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रूपए के शुद्ध लाभ या 500 करोड़ रूपए की निवल संपत्ति या 1000 करोड़ रूपए के टर्नओवर पर सीएसआर समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है।

कंपनी को निगमनपूर्व व्ययों की प्रतिपूर्ति और प्रशासनिक व्ययों के कारण 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 1,47,69,915 रूपए (कर पूर्व शुद्ध हानि) का घाटा हुआ था। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी को लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 5,60,73,518/- रूपए का निवल कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ है। इसके कारण, निवल कर पूर्व लाभ की 5 करोड़ रूपए की निर्धारित सीमा को पार करने कारण सीएसआर समिति का गठन अनिवार्य हो गया है।

तदनुसार, सीएसआर समिति का गठन 5 करोड़ रूपए के शुद्ध लाभ (कर पूर्व) की 'थ्रेशहोल्ड सीमा' के संबंध में बैठक करने के लिए आवश्यक था और इसका गठन विधिवत रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया गया था।

इस प्रकार कंपनी की 10 बोर्ड बैठक में सीएसआर और धारणीयता समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा प्रथम सीएसआर और धारणीयता समिति बैठक दिनांक 8 फरवरी 2017

को आयोजित की गई थी जिसमें सीएसआर और धारणीयता नीति को स्वीकृति और 4,12,100 (चार लाख तेरह हजार एक सौ रुपए) के सीएसआर व्यय को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

दिनांक 14 मार्च 2017 को आयोजित 20वीं बोर्ड बैठक में, बोर्ड ने सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर-एसवाई) समिति की सिफारिशों पर विचार किया और कहा कि चूंकि कंपनी इस समय निर्माण के चरण में थी और प्रचालन से शून्य राजस्व प्राप्त हुआ था इसलिए 4,13,100/- रुपए (रुपये चार लाख तेरह हजार एक सौ केवल) की राशि के सीएसआर व्यय को अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

तदनुसार, वित्तीय 4,13,100/- रुपए का सम्पूर्ण निर्धारित सीएसआर व्यय वर्ष 2016-17 के दौरान नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए CSR की वार्षिक रिपोर्ट में **अनुबंध-V(i)** पर संलग्न है।

#### **प्रकटन और सांविधिक अनुपालन :-**

बोर्ड द्वारा व्यवसायिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण की सुस्पष्ट नीति का अनुसरण करते निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहारों, सांविधिक रजिस्ट्रों के अनुरक्षण सं संबंधित पर्याप्त प्रकटनों को प्रस्तुत किया गया है और आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया है ताकि सुज्ञात निर्णय लिए जा सकें। प्रकटनों, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए सूचनाएं समयबद्ध आधार पर की जाती हैं और कोई मामला लंबित नहीं है।

#### **निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र**

डीपीई दिशानिर्देश, 2010, कंपनी (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और अनुसूची क्रियान्वयन - खंड 8.2: अनुपालन) द्वारा अनुसरित निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त किए जाने के लिए एक प्रमाणपत्र निर्धारित करता है।

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए उक्त प्रमाणपत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है जिनका कार्यालय 1005, रूट्स टावर, प्लॉट सं.7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 में है और इसे यहां **अनुबंध-V(III)** के रूप में संलग्न किया गया है।

**निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट**

(राशि लाख में)

|   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | क्या कंपनी ने सीएसआर नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो कंपनी की सीएसआर नीति और निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के प्रति तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% उपलब्ध करना है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। कंपनी ने सीएसआर खर्च के लिए 4.13 लाख रुपये का प्रावधान किया है। कंपनी निर्माण चरण पर है और अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने सीएसआर के लिए कोई राशि खर्च नहीं की है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए राशि को अग्रोषित किया है। |
| 2 | सीएसआर समिति की संरचना                                                                                                                                          | कंपनी में सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए बोर्ड स्तर की समिति विद्यमान है।<br><br>वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर और स्थिरता समिति निम्नानुसार थी:<br><br>1. श्री अशोक कुमार गोयल - अध्यक्ष<br>2. श्री ए.के.सिंह - सदस्य<br>3. श्री आर.एस.यादव - सदस्य<br><br>प्रथम सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर- एसवी ) समिति की बैठक 8 फ़रवरी, 2017 को आयोजित की गई थी।                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ                                                                                                          | पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 206.52 लाख रूपए है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद-3 के अनुसार राशि का दो प्रतिशत)                                                                                             | दो वित्तीय वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ के दो प्रतिशत की दर से सीएसआर पर किा गया व्यय 4.43 लाख रूपए (206.52 x 2%) है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर किया गया व्यय                                                     | वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर कोई राशि खर्च नहीं की है।                                                                                                                                                                                                |
| (क) | वित्तीय वर्ष के लिए किया गया कुल व्यय                                                             | 4.13 लाख रूपए                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ख) | व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो                                                                     | 4.13 लाख रूपए                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ग) | पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भाग के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च न किए जाने के कारण। | चूँकि कंपनी वर्तमान में विकास के चरण में है और प्रचालीन से आय शून्य है, इसलिए, सीएसआर पर किया गया 4.13 लाख रूपए के व्यय को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अग्रेषित किया गया है। इसके कारणों को दर्ज किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शून्य राशि खर्च की गई है। |

अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव

---

**सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), 2010 के निगमित शासन दिशानिर्देशों के  
अधीन कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र**

सेवा में,  
सदस्य,  
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड,  
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,  
नई दिल्ली-110017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2 (45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हालांकि कतिपय मामलों में नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार भावी अनुपालन के लिए बल दिए जाने की आवश्यकता है:

- (i) डीपीई, 2010 द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की शर्तों के अनुसार बोर्ड की सांविधिक समितियों यथा लपेखापरीक्षा समिति, नामांकन और परिश्रमिक समिति तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। तथापि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- (ii) बोर्ड की संरचना में केवल गैर कार्यपालक बोर्ड सदस्य हैं जिनमें चार गैर क्रियाशील, नामिती निदेशक हैं जिन्हें धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नामित किया गया है। तथापि, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- (iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि कंपनीने निगमित शासान पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित डीपीई को तिमाही रिपोर्टें और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

**कृते अरुण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स**  
**कंपनी सचिव**

ह/-

(अरुण कुमार गुप्ता )

एफसीएस- 5551

सीपी सं.- 5086

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 6 सितंबर, 2017

**मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन**

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:-

- (i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।
- (ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।
- (iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।
- (iv) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।
- (v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-

श्री ए.के.सिंह

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)  
(सीएफओ)

ह/-

श्री संजय पोद्दार

मुख्य वित्त अधिकारी

दिनांक: 27.07.2017

स्थान: नई दिल्ली

**लेखापरीक्षक की रिपोर्ट**  
**(वित्तीय वर्ष 2016-2017)**

## इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को स्वतंत्र

### लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

#### **इंड एस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट**

हमने इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च 2017 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां अंगे "इंड एस वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) के सार की लेखापरीक्षा की है।

#### **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्यस वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

#### **3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आंकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और इंड एस वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे इंड एस वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### **4. मत**

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त इंड एस वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना इस प्रकार प्रदान करता है जो इंड एस सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप सही और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है:

(क) दिनांक 31 मार्च 2017 को कंपनी की वित्तीय स्थिति,

(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसकी लाभ (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन),

(ग) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका रोकड़ प्रवाह।

### **अन्य मुद्दे**

इयन इंड एस वित्तीय विवरणों में शामिल दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष और 01 अप्रैल 2015 को आरंभिक तुलन पत्र की पारगमन तिथि हेतु कंपनी की वृहत वित्तीय सूचना में कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना पूर्व में जारी सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं जिनकी लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी इन इंड एस वित्तीय विवरणों पर क्रमशः 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2015, 10 जून 2016 तथा 27 जुलाई 2015 के लिए गैर आशोधित विचार तथा अर्हत विचार प्रस्तुत किए हैं। इंड एस के अंतरण पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों में अंतर के लिए इन वित्तीय विवरणों के समायोजनों की लपेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई आशोधन नहीं है।

### **अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

(2) अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

- (ड) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "अनुबंध-ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- (च) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।
  - डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।
  - ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।
  - कंपनी ने दिनांक 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोटों में होल्डिंग और संव्यवहार के रूप में अपने इंड एस वित्तीय विवरण में अपेक्षित प्रकटन का प्रावधान किया है और ये कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबिहियों के अनुरूप हैं। कृपया इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट 25(xiii) का संदर्भ लें।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

| क्र.सं | विवरण                                                                                                                                                                                       | लेखापरीक्षा का उत्तर                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजडीड के लिए क्लियर टाइटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजडीड के उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनके लिए टाइटल /लीज डीड उपलब्ध नहीं है। | कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि नहीं है और इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है। |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने का कोई मामला है। इसका कारण और इसमें शामिल राशि का उल्लेख करें।                   | वर्ष के दौरान ऋणों/उधारों /ब्याजों आदि में कोई छूट/बट्टा खाता नहीं हुआ है।                                                                                                               |
| 3. | कृपया उल्लेख करें कि क्या पक्षों के पास उपलब्ध इन्वेंटरी तथा सरकार और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपकर के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है? | वर्ष के दौरान कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है।<br><br>वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है। |

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000044एन

ह/-

राहुल अग्रवाल-एफसीए  
साझेदार  
सदस्यता सं. 501642

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 28.07.2017

## लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-क

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5(1) का संदर्भ।

- i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।  
(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे चिपार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।  
(ग) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियां नहीं हैं, इसलिए कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(i)(ग) का प्रावधान लागू नहीं है।
- ii. कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(ii) का प्रावधान लागू नहीं है।
- iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।
- v. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

- vi. कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।
- vii. क) कम्पनी सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2017 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।  
ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें दिनांक 31.03.2017 को विविद के कारण जमा नहीं कराया जा सका।
- viii. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक याकसा से कोई ऋण नहीं लिया है और ना ही डिबेंचरधारक के प्रति कोई देय है, ऋणों या कर्ज के पुनर्भुगतान में कंपनी द्वारा चूक का प्रश्न नहीं उठता।
- ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर या ऋण व्यवस्था के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेशक के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।
- xi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।
- xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस आदेश के पैरा 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

- xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।
- xvi. कंपनी एक गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

**कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी**  
**सनदी लेखाकार**  
**एफआरएन -000044एन**

**ह0/-**  
**राहुल अग्रवाल-एफसीए**  
**भागीदार**  
**सदस्यता सं. 501642**

**स्थान : नई दिल्ली**  
**तारीख : 28.07.2017**

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ख

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के पैरा 6(2)(ड.) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2017 को इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

### **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औं संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अशिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

### **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अशिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट")के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि

क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अशिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अशिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करता है। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रशवित कर सकते हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, शर्ती अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

### मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्त के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2016 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन -000044एन

राहुल अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता सं. 501642

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 28.07.2017

**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड  
के वित्तीय विवरण  
(वित्तीय वर्ष: 2016-17)**

---

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

तुलन पत्र  
31 मार्च 2017 को

(राशि लाख में)

| विवरण                                             | नोट सं | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 1 अप्रैल 2015 |
|---------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. परिसंपत्तियां</b>                           |        |               |               |               |
| <b>1 गैर चालू परिसंपत्तियां</b>                   |        |               |               |               |
| (क) परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण                   | 3      | 0.51          | 0.34          | -             |
| (ख) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य                        |        | -             | -             | -             |
| (ग) निवेश परिसंपत्तियां                           |        | -             | -             | -             |
| (घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां                     | 4      | -             | -             | -             |
| (ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां                | 4      | 22,378.20     | 4,589.25      | -             |
| (च) वित्तीय परिसंपत्तियां                         | 5      | -             | -             | -             |
| (i) निवेश                                         |        | -             | -             | -             |
| (ii) व्यापार प्राप्त्य                            | 5.1    | 95.78         | -             | -             |
| (iii) ऋण                                          | 5.2    | 2.04          | 2.93          | -             |
| (iv) अन्य                                         | 5.3    | 1.19          | 1.33          | -             |
| (छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)               | 6      | 19.55         | 31.43         | 39.13         |
| (ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां                   |        | -             | -             | -             |
|                                                   |        | 22,497.26     | 4,625.27      | 39.13         |
| <b>2 चालू परिसंपत्तियां</b>                       |        |               |               |               |
| (क) दरसूचियां                                     |        | -             | -             | -             |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां                         | 7      | -             | -             | -             |
| (i) निवेश                                         |        | -             | -             | -             |
| (ii) व्यापार प्राप्त्य                            | 7.1    | 1,310.48      | -             | -             |
| (iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य                     | 7.2    | 607.33        | 6,381.30      | 8,842.24      |
| (iv) उपर्युक्त (iii) से इतर बैंक शेष              |        | -             | -             | -             |
| (v) ऋण                                            | 7.3    | 0.86          | 0.81          | -             |
| (vi) अन्य                                         | 7.4    | 0.88          | 100.75        | 9.31          |
| (ग) चालू परिसंपत्तियां (निवल)                     | 8      | 73.97         | -             | 1.09          |
| (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां                       | 9      | 888.55        | 913.54        | -             |
|                                                   |        | 2,882.06      | 7,396.41      | 8,852.64      |
| <b>कुल परिसंपत्तियां</b>                          |        | 25,379.32     | 12,021.68     | 8,891.76      |
| <b>II. इक्विटी एवं देयताएं</b>                    |        |               |               |               |
| <b>1 इक्विटी</b>                                  |        |               |               |               |
| (क) इक्विटी शेयर पूंजी                            | 10     | 16,500.00     | 9,000.00      | 500.00        |
| (ख) अन्य इक्विटी                                  | 11     | 310.23        | 263.95        | (108.57)      |
| (ग) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन                   |        | 16,810.22     | 9,263.95      | 391.43        |
|                                                   |        |               |               | 8,500         |
| <b>2 देयताएं</b>                                  |        |               |               |               |
| <b>(i) गैर-चालू देयताएं</b>                       |        |               |               |               |
| (क) वित्तीय देयताएं                               | 12     |               |               |               |
| (i) ऋण                                            | 12.1   | 8,000.00      | -             | -             |
| (ii) व्यापार देय                                  |        | -             | -             | -             |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएं                        |        | -             | -             | -             |
| (ख) प्रावधान                                      |        | -             | -             | -             |
| (ग) आस्थगित कर देयताएं निः                        |        | -             | -             | -             |
| (घ) अन्य गैरचालू देयताएं                          |        | -             | 8,000.00      | -             |
|                                                   |        |               |               | -             |
| <b>4 चालू देताएं</b>                              |        |               |               |               |
| (क) वित्तीय देयताएं                               | 13     |               |               |               |
| (i) ऋण                                            |        | -             | -             | -             |
| (ii) व्यापार देय                                  | 13.1   | 373.26        | 2,182.00      | 0.05          |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएं                        | 13.2   | 86.69         | -             | -             |
| (ख) अन्य चालू देयताएं                             | 14     | 105.01        | 505.18        | 0.29          |
| (ग) प्रावधान                                      | 15.1   | 4.13          | -             | -             |
| (घ) चालू कर देयताएं निवल                          | 15.2   | -             | 70.54         | -             |
|                                                   |        | 569.10        | 2,757.72      | 0.34          |
|                                                   |        |               |               | -             |
| <b>कुल इक्विटी एवं देयताएं</b>                    |        | 25,379.32     | 12,021.68     | 8,891.76      |
| <b>III. वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट</b> |        |               |               |               |

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन पीबी टॉलवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कुते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी

संनदी लेखाकार

एफआरएन 000044 एन

आनन्द कुमार सिंह

निदेशक

डीआईएन: 07018776

अशोक कुमार गोयल

निदेशक

डीआईएन 05308809

दीपक सबलोक

निदेशक

डीआईएन 03056457

राहुल अग्रवाल

साझेदार

स.स. 501642

संजय पोद्दार

(मुख्य वित्त अधिकारी)

अजय कुमार सिंह

(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

सुदीधनी

कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि : 28.07.2017

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

लाभ और हानि विवरण

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु

(राशि लाख में)

| विवरण                                                                                    | नोट  | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I. राजस्व :                                                                              |      |                                   |                                   |
| प्रचालनों से राजस्व                                                                      | 16   | 17,788.96                         | 4,589.25                          |
| घटा :- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर में कंपनी का भाग                             |      | -                                 | -                                 |
| जमा:- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी का लाभ/(हानि)                                   |      | -                                 | -                                 |
|                                                                                          |      | 17,788.96                         | 4,589.25                          |
| II. अन्य आय                                                                              | 17   | 87.93                             | 578.33                            |
| <b>कुल आय (I + II)</b>                                                                   |      | <b>17,876.89</b>                  | <b>5,167.57</b>                   |
| IV. व्यय:                                                                                |      |                                   |                                   |
| प्रचालनिक एवं प्रशासनिक व्यय:                                                            | 18   |                                   |                                   |
| - प्रचालनिक व्यय                                                                         |      | 17,486.24                         | 4,521.94                          |
| - प्रशासनिक व्यय                                                                         |      | 1.10                              | 0.58                              |
| कर्मचारी लाभ व्यय                                                                        | 19   | 206.29                            | 65.06                             |
| वित्तीय लागते                                                                            | 20   | 100.38                            | 10.15                             |
| मूल्यहास परिशोधन एवं हानि                                                                | 21   | 0.18                              | 0.14                              |
| अन्य व्यय                                                                                |      | -                                 | -                                 |
| <b>कुल व्यय(IV).</b>                                                                     |      | <b>17,794.18</b>                  | <b>4,597.87</b>                   |
| V. आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV)                                        |      | 82.71                             | 569.70                            |
| VI. आपवादिक मदें                                                                         |      | -                                 | -                                 |
| VII. करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)                                                           |      | 82.71                             | 569.70                            |
| VIII. कर व्यय:                                                                           |      |                                   |                                   |
| (1) चाल कर                                                                               | 15.2 | 17.05                             | 180.51                            |
| - वर्ष हेतु                                                                              |      | -                                 | -                                 |
| - पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)                                                          |      | -                                 | -                                 |
| (2) आस्थगति कर (निवल)                                                                    | 6    | 11.88                             | 7.70                              |
| कुल कर व्यय (VIII)                                                                       |      | <b>28.93</b>                      | <b>188.21</b>                     |
| IX निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)                                   |      | <b>53.77</b>                      | <b>381.50</b>                     |
| X बंद प्रचालनों से लाभ/हानि                                                              |      | -                                 | -                                 |
| XI बंद प्रचालनों पर कर व्यय                                                              |      | -                                 | -                                 |
| XII बंद प्रचालनों पर लाभ/हानि (कर पश्चात) (X-XI)                                         |      | -                                 | -                                 |
| XIII अवधि के लिए लाभ/हानि (IX+XII)                                                       |      | <b>53.77</b>                      | <b>381.50</b>                     |
| XIV अन्य वहत आय                                                                          |      |                                   |                                   |
| क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा                             |      | -                                 | -                                 |
| (ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा               |      | -                                 | -                                 |
| ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा                                  |      | -                                 | -                                 |
| (ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा                    |      | -                                 | -                                 |
|                                                                                          |      | -                                 | -                                 |
| XV अवधि के लिए कुल वहत आय (IX +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ (हानि) और अन्य वहत आय शामिल हैं) |      | <b>53.77</b>                      | <b>381.50</b>                     |
| XVI प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (निरंतर प्रचालनों हेतु)                                    |      |                                   |                                   |
| (1) मूल                                                                                  |      | 0.04                              | 0.46                              |
| (2) विलयित                                                                               |      | 0.04                              | 0.46                              |
| XVII प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (बंद प्रचालनों हेतु)                                      |      |                                   |                                   |
| (1) मूल                                                                                  |      | -                                 | -                                 |
| (2) विलयित                                                                               |      | -                                 | -                                 |
| XVIII प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (बंद व निरंतर प्रचालनों हेतु)                            |      |                                   |                                   |
| (1) मूल                                                                                  |      | 0.04                              | 0.46                              |
| (2) विलयित                                                                               |      | 0.04                              | 0.46                              |

**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)**  
**रोकड़ प्रवाह विवरण**  
**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु**

(राशि लाख में)

| विवरण                                                                                                                                                                                                              |           | 31 मार्च 2017 को                                        | 31 मार्च 2016 को                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह<br>असाधारण मदों व करपूर्व शुद्धलाभ<br>समायोजन<br>मूल्यहास परिशोधन तथा हानि<br>ब्याज आय<br>अग्रिम कर के अल्प भुगतान पर ब्याज कर<br>प्रावधान - सीएसआर                             |           | 82.71<br>0.18<br>(87.93)<br>-                           | 569.70<br>0.14<br>(578.33)<br>7.88              |
| कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ<br>समायोजन:                                                                                                                                                     | (1)       | -                                                       | (0.60)                                          |
| व्यापार प्राप्य/ऋणों व अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)<br>दर सूचियों में कमी / (वृद्धि)<br>अन्य परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)<br>व्यापार देयताओं में कमी / (वृद्धि)<br>अन्य देयताओं व प्रावधानों में कमी / (वृद्धि) |           | (1,405.27)<br>124.86<br>(1,808.75)<br>86.69<br>(400.16) | (5.08)<br>(1,003.89)<br>2,181.95<br>-<br>504.89 |
|                                                                                                                                                                                                                    | (2)       | (3,402.62)                                              | 1,677.88                                        |
| प्रचालन से अर्जित रोकड़<br>प्रदत्त आयकर                                                                                                                                                                            | (1+2)     | (3,403.54)<br>(161.56)                                  | 1,677.28<br>(117.85)                            |
| प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़                                                                                                                                                                                 | (क)       | <b>(3,565.10)</b>                                       | <b>1,559.43</b>                                 |
| निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह<br>पूँजी इन्व्यूआईपी सहित नियत परिसंपत्ति की खरीद<br>धारक कंपनियों से ऋण का पुनर्भुगतान<br>प्राप्त ब्याज                                                                          |           | (0.35)<br>(17,788.96)<br>87.93                          | 0.48<br>(4,589.25)<br>578.33                    |
| निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़                                                                                                                                                                                     | (ख)       | <b>(17,701.37)</b>                                      | <b>(4,010.44)</b>                               |
| वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह<br>ऋण<br>इक्विटी शेयर जारी करना<br>संव्यवहार लागत<br>शेयर आवेदन राशि लब्धित आवंटन                                                                                             |           | 8,000<br>7,500.00<br>7.50                               | -<br>8,500<br>(8.97)<br>(8,500.00)              |
| वित्तपोषण गतिविधियों से निवल रोकड़                                                                                                                                                                                 | (ग)       | <b>15,507.50</b>                                        | <b>(8.97)</b>                                   |
| विदेशी मुद्रा रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव                                                                                                                                            | (घ)       | -                                                       | -                                               |
| रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि                                                                                                                                                                            | (क+ख+ग+घ) | <b>(5,758.97)</b>                                       | <b>(2,459.98)</b>                               |
| रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)<br>रोकड़ शेष<br>बैंक शेष<br>अल्पकालीन निवेश                                                                                                                                       | (ड)       | <b>6,381.30</b><br>153.77<br>6,227.54                   | <b>8,842.24</b><br>8,506.69<br>335.54           |
| रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (अंतिम)<br>रोकड़ शेष<br>बैंक शेष<br>अल्पकालीन निवेश                                                                                                                                        | (च)       | <b>607.33</b><br>577.13<br>30.21                        | <b>6,381.30</b><br>153.77<br>6,227.54           |
| रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल कमी                                                                                                                                                                               | (च - ड)   | <b>(5,773.97)</b>                                       | <b>(2,460.93)</b>                               |

- नोट 1. इंड एएस-7 (रोकड़ प्रवाह विवरण) में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया  
2. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में उपलब्ध रोकड़ और बैंक में शेष शामिल है।  
3. रोकड़ के आउटफ्लो को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है।  
4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्निर्धारित किया गया है, जहां आवश्यक हुआ  
5. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (समापन) में मार्जिम राशि/ अंडर ल्यु राशि शामिल है जो शून्य रूप (शून्य रूप) है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी**  
संनदी लेखाकार  
एफआरएन:000044एन

आनन्द कुमार सिंह निदेशक  
डीआईएन: 07018776  
अशोक कुमार गोयल निदेशक  
डीआईएन: 05308809  
दीपक सबलोक निदेशक  
डीआईएन 03056457

राहुल अग्रवाल  
साझेदार  
स.सं501642  
स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 28.07.2017

संजय पोद्दार (मुख्य वित्त अधिकारी)  
अजय कुमार सिंह (मुख्य कार्यपालक अधिकारी)  
सुदोधनी कंपनी सचिव

## इक्विटी परिवर्तन विवरण

इरकॉन पीवी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी परिवर्तन विवरण

| क. इक्विटी शेयर पूंजी         | (राशि लाख में) |
|-------------------------------|----------------|
| 01 अप्रैल 2015 को शेष         | 500.0          |
| जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर  | 8,500          |
| 31 मार्च 2016 को शेष (नोट 10) | 9,000          |

### ख. अन्य इक्विटी

(राशि लाख में)

| विवरण                                      | आरक्षित निधि एवं अतिरिक्त   |                      |                     | अन्य वृहत आय मर्दे           |                                                                |                            | कुल      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|                                            | सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि | सामान्य आरक्षित निधि | प्रतिधारित आमदनियां | ओआईसी के माध्यम से ऋण प्रवेश | विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर | अन्य वृहत आय की अन्य मर्दे |          |
| 01 अप्रैल 2015 को शेष                      | -                           | -                    | (108.57)            | -                            | -                                                              | -                          | (108.57) |
| वर्ष के लिए कुल वृहत आय                    | -                           | -                    | 381.50              | -                            | -                                                              | -                          | 381.50   |
| प्रदत्त लाभांश                             | -                           | -                    | -                   | -                            | -                                                              | -                          | -        |
| लाभांश वितरण कर                            | -                           | -                    | -                   | -                            | -                                                              | -                          | -        |
| शेयर पूंजी इश्यु पर प्रदत्त स्टैम्प ड्यूटी | -                           | -                    | (8.97)              | -                            | -                                                              | -                          | (8.97)   |
| 31 मार्च 2016 को शेष                       | -                           | -                    | 263.96              | -                            | -                                                              | -                          | 263.96   |

## इक्विटी परिवर्तन विवरण

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी परिवर्तन विवरण

| क. इक्विटी शेयर पूंजी         | (राशि लाख में) |
|-------------------------------|----------------|
| 01 अप्रैल 2016 को शेष         | 9,000          |
| जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर  | 7,500          |
| 31 मार्च 2017 को शेष (नोट 10) | 16,500         |

| ख. अन्य इक्विटी                         | आरक्षित निधि एवं अतिरिक्त   |                      |                     | अन्य वृहत आय मदें            |                                                                |                           | (राशि लाख में) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                         | सोएसआर गतिविधि आरक्षित निधि | सामान्य आरक्षित निधि | प्रतिधारित आमदनियां | ओआईसी के माध्यम से ऋण प्रलेख | विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर | अन्य वृहत आय की अन्य मदें | कुल            |
| 01 अप्रैल 2016 को शेष                   | -                           | -                    | 263.95              | -                            | -                                                              | -                         | 263.95         |
| वर्ष के लिए कुल वृहत आय                 | -                           | -                    | 53.77               | -                            | -                                                              | -                         | 53.77          |
| प्रदत्त लाभांश                          | -                           | -                    | -                   | -                            | -                                                              | -                         | -              |
| लाभांश वितरण कर                         | -                           | -                    | -                   | -                            | -                                                              | -                         | -              |
| शेयर पूंजी इश्यु पर प्रदत्त स्टेप इयूटी | -                           | -                    | 7.50                | -                            | -                                                              | -                         | 7.50           |
| 31 मार्च 2017 को शेष                    | -                           | -                    | 325.22              | -                            | -                                                              | -                         | 325.22         |

## इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

### I. वित्तीय विवरणों के नोट

(ii) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("इरकॉन पीबीटीएल") (सीआईएन) यू45400डीएल2014 जीओआई1272220, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब इसका निगमन इरकॉन द्वारा 30.09.2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक विशेष कार्य वाहन के रूप में किया गया था और और इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 में किमी 55.250 से किमी 163.50 तक बीकानेर-फलोदी खंड को चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण की परियोजना को प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी)(टोल) आधार पर किया गया था। कंपनी ने व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 10 अक्टूबर 2014 को फॉर्म सं. 21 पर एमसीए को आवेदन प्रस्तुत किया और 14 नवंबर 2014 को उसे अनुमोदन प्राप्त हो गया था। तदनुसार एसपीवी ने 4 नवंबर 2014 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत करार के अनुच्छेद 24, खंड 24.1 के प्रावधानों के अनुसार, रियायत ग्राही को करार की तिथि से 180 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करना अपेक्षित है ताकि एनएचएआई परियोजना के वास्तविक कार्य आरंभ होने से पूर्व वह नियुक्ति तिथि, जिसे निर्धारित तिथि कहते हैं, की अधिसूचना कर सके। रियायतग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय समापन पूरा कर लिया गया था; तदनुसार, एनएचएआई द्वारा 14 अक्टूबर 2015 को नियुक्ति तिथि निर्धारित की गई थी। निर्माण अवधि सहित 26 वर्ष की रियायत अवधि 14 को आरंभ हुई जैसा कि एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एनएचएआई द्वारा 327.00 करोड़ रूपए के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जाएगा।

### महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 2.1 तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण का आधार

क. दिनांक 31 मार्च 2016 तक तथा को समाप्त वर्ष सहित सभी अवधियों के लिए, कंपनी ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तथा कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत यथाअधिसूचित लेखांकन मानकों (पूर्व में जीएएपी) और लागू स्तर तक यथा संशोधित,

और कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रस्तुतीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

ख. कंपनी मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 4क के साथ पठित अनुच्छेद 133, यथा संशोधित, और दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधानों (समग्र रूप से "इंड एस") के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) को स्वीकार किया है और कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वही दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय इंड एस के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करे। दिनांक 31 मार्च 2017 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ये वित्तीय विवरण (इंड एस वित्तीय विवरण) प्रथम वित्तीय विवरण हैं, जो कंपनी ने इंड एस के अंतर्गत तैयार किए हैं।

ग. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 में संदर्भित लेखांकन मानकों (लेखापरीक्षित पूर्व जीएएपी वित्तीय विवरण) के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2016 तथा दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण को पृथक सेट के रूप में तैयार किए थे, जिन्हें क्रमशः दिनांक 10 जून 2016 तथा 27 जुलाई 2015 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किया गया था। कंपनी के प्रबंधन ने लेखापरीक्षित पूर्व जीएएपी वित्तीय विवरणों का प्रयोग करते हुए विशेष प्रयोजन तुलनात्मक इंड एस वित्तीय विवरणों को समेकित किया है। लेखापरीक्षित पूर्व जीएएपी वित्तीय विवरण और विशेष प्रयोजन तुलनात्मक इंड एस वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित पूर्व जीएएपी वित्तीय विवरणों की संबंधित स्वीकृति तिथि के परिणामस्वरूप हुई घटनाओं के प्रभावों को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

घ. कंपनी ने संव्यवहार तिथि यथा दिनांक 1 अप्रैल 2015 को अपनी आरंभिक इंड एस तुलन पत्र को तैयार करने में इंड एस 101 - "भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस 101) का प्रथम बार अधिग्रहण" के प्रावधानों का अनुसरण किया है। इंड एस-101 के अनुसार, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 को पूर्व जीएएपी और दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एस के अंतर्गत शेरधारक इक्विटी समायोजनों को प्रस्तुत किया है और कर पश्चात लाभ/(हानि) को पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार तथा कुल वृहत आय को इंड एस के अंतर्गत प्रदर्शित किया है। नोट सं. 22 का संदर्भ लें।

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत अभिसमय और संचित आधार पर तैयार किया गया है:-

- i. सेवा रियायत करार के अंतर्गत सम्पत्तियां और देयताएं।
- ii. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओंको उचित मूल्य पर मापा गया है (वित्तीय प्रलेखों के संबंध में लेखांकन नीति का संदर्भ लें)।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र (12 महीने) और इस अधिनियम की अनुसूची-III के अंतर्गत निर्धारित मापदंडक के अनुसार चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों को भारतीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत की क्रियात्मक मुद्रा है।

## 2.2 चालू और गैर चालू के वर्गीकरण का आधार

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर चालू वर्ग में वर्गीकृत किया गया है: परिसंपत्तियों को चालू में वर्गीकृत किया गया है यदि :

- वह कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में वसूली की जानी है या बिक्री या उपभोग के लिए प्रयोग की जानी है, या
- उसे मुख्य रूप से व्यापार किए जाने के लिए रखा गया है, या
- इसे रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीनों के भीतर वसूली किए जाने की संभावना है, या
- यह रोकड़ या रोकड़ समतुल्य है, बशर्ते यह विनियम के लिए प्रतिबंधित है या प्रचालन की तिथि के पश्चात कम से कम बारह महीनों के भीतर देयता के निपटान के लिए प्रयोग की जाएगी।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

देयता को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब

- इसके कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है, या
- इसे मुख्य रूप से व्यापार किए जाने के प्रयोजन से रखा गया है, या
- इसका रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीनों के भीतर निपटान किया जाना है, या
- कंपनी के पास कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान के स्थगन का अशर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

प्रचालन चक्र प्रक्रिया हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और उनके रोकड़ या रोकड़ समतुल्य में वसूली के बीच का समय है।

## मुद्रा की क्रियाशीलता और प्रस्तुतीकरण

इन इंड एस वित्तीय विवरणों को भारतीय रूप में तैयार किया गया है जो कि कंपनी की क्रियाशील मुद्रा है। रूप में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचनाएं दो दशमलब के साथ रूप के निकटतम में राउंडिड ऑफ की गई हैं।

## 2.3 जारी मानक किन्तु अभी प्रभावी नहीं:-

कंपनी द्वारा जारी किए जाने की तिथि तक मानक जो जारी किए गए किन्तु प्रभावी नहीं हैं में संशोधनों को वित्तीय विवरणों में निम्नानुसार प्रकट किया गया है:-

मार्च 2017 में निगमित कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक)(संशोधन) नियम, 2017 जारी किए हैं, जिसमें इंड एस-7 - रोकड़ प्रवाहों का विवरण में संशोधन को अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2017 से कंपनी पर लागू हैं।

#### **इंड एस 7 में संशोधन:**

कंपनी ने इंड-एस 7 में संशोधन को स्वीकार किया है, जिसमें निकायों के लिए अपेक्षित है कि वे ऐसे प्रकटन उपलब्ध कराएं जिससे वित्तीय विवरण के प्रयोक्ता रोकड़ प्रवाहों से उत्पन्न तथा गैर रोकड़ प्रवाहों से उत्पन्न वित्तीय गतिविधियों के कारण देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन कर सके और प्रकटन अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र में आरंभिक तथा समापन शेष के बीच पुनर्विनियोजन को शामिल करने का सुझाव दें। संशोधन को स्वीकार करने से वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है।

#### **2.4 सरकार का अनुदान**

सरकार का अनुदान को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया गया है, जहां यह युक्तिसंगत आश्वासन है कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा और कंपनी सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदान को उन लागतों के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक उक्त अवधि में लाभ या हानि के रूप में आस्थिगत और स्वीकार किया गया है, जो संविदागत राजस्व के भीतर क्षतिपूर्ति और प्रस्तुत किए जाने हेतु है।

#### **2.5 सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों का लेखांकन**

कंपनी के पास टोल रोड रियायत अधिकार हैं जहां कंपनी ने विशिष्ट समायावधि के लिए जन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना का अभिकल्प,निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफटीओ) किया है। इन करारों में सम्पूर्ण उपयोगिता जीवनकाल के लिए सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत करारों में प्रयुक्त अवसंरचना शामिल है। इन व्यवस्थानों को विचाराधीन प्रकृति के आधार पर लेखांकित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल का प्रयोग उस स्तर तक किया गया है कि कंपनी जनसेवा के प्रयोक्ताओं से प्रभाव वसूलने का अधिकार (लाइसेंस) प्राप्त करे। वित्तीय परिसंपत्ति मॉडल का प्रयोग वहां किया गया है जब कंपनी को निर्माण सेवाओं के लिए अनुदाता से या के निदेशों पर अन्य वित्तीय परिसंपत्ति या रोकड़ को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिका प्राप्त है। जहां केवल रोकड़ प्राप्त करने का अशर्त अधिकारी ही सेवा में शामिल

है, वहां प्रत्येक घटक के लिए पृथक लेखांकन हेतु, दो मॉडलों को संयुक्त किया जाता है। यदि कंपनी एकल संविदा या व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक से अधिक सेवा प्रदान करती है (यथा निर्माण या स्तरोन्नयन सेवा और प्रचालन सेवाएं) वहां प्राप्त या प्राप्य धनराशि को प्रदानकी गई सेवाओं के संबंधित उचित मूल्यों के संदर्भ में आवंटित किया गया है।

#### **- अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल**

कंपनी रियायत व्यवस्था से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों को स्वीकार करती है, जब उसे रियायत अवसंरचना के प्रयोगों से प्रभार वसूलने का अधिकार प्राप्त हो। सेवा रियायत करार में निर्माण या स्तरोन्नयन सेवाओंके उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त अमूर्त परिसंपत्ति को प्रदत्त सेवाओं के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। आरंभिक स्वीकृति के उपरांत, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पूंजीगत ऋण लागतें घटा संचित परिशोधन शामिल है।

सेवा रियायत करार में अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगिता जीवनकाल की अवधि जब से होती है जब कंपनी रियायत अवधि के अंतर्ग में अवसंरचना के प्रयोग हेतु जनसाधारण से प्रभार वसूलने में सक्षम होती है।

#### **रियायत अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन**

परिशोधन को अनुमानित उपयोजिता जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा आधार पर प्रभारित किया जाता है। अनुमानित जीवनकाल और परिशोधन विधि की प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है ताकि पूर्वलक्षी आधार पर अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तनों को लेखांकित किया जा सके।

#### **- वित्तीय परिसंपत्ति मॉडल**

कंपनी सेवा रियायत करार से उत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियों को स्वीकार करती है जब कंपनी को निर्माण सेवाओं के लिए अनुदाता से या के निदेशों पर अन्य वित्तीय परिसंपत्ति या रोकड़ को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिक प्राप्त है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और ऋणों और प्राप्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आरंभिक स्वीकृति के उपरांत, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्ति को अनुदाता से अनुदान प्राप्त होती है कम कर दिया जाता है।

## 2.6 अनुमानों का प्रयोग

इंड एस के अनुरूप तैयार वित्तीय विवरणों के लिए अपेक्षित है कि वे प्रबंधन के निर्णयों, अनुमानों तथा संभावनाओं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटन तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय की रिपोर्टिड राशियों और प्रस्तुत वर्षों के लिए राजस्वों और व्ययों की प्रस्तुत राशियों को प्रभावित करने वाले निर्णय, अनुमान और संभावनाएं प्रस्तुत कर सकें। विभिन्न अनुमानों और परिस्थितियों के अंतर्गत ये अनुमान वास्तविक आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और निर्धारित संभावनाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अवधि में लेखांकन अनुमानों में संशोधन किया जाता है, जिसमें अनुमान को संशोधित किया गया है और भावी अवधियां प्रभावित हुई है।

## 2.7 इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष में स्वीकार किया जाएगा, जिस वर्ष यथा उचित शेयरधारकों या निदेशक मंडल द्वारा संबंधित लाभांशों को स्वीकार किया गया है।

## 2.8 परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यहास तथा इम्पेयर्ड घाटों, यदि कोई हो, को घटा कर निर्धारित किया जाता है।

कंपनी ने पारगमन तिथि यथा दिनांक 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों के लिए पूर्वलक्षी प्रभाव से इंड एस का प्रयोग किया है।

मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यहासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अरंभिक लागत में आयात ड्यूटी और गैर-वसूलीयोग्य क्रय सहित उसका क्रय मूल्य, संबंधित ऋण लागत तथा परिसंपत्ति को कार्यशील स्थिति और उसके

प्रयोग स्थल तक लाने की कोई अन्य प्रत्यक्ष संबंधित लागत शामिल है। इसमें परिसंपत्ति को अप्रचालनिक बनाने तथा हटाने और प्रयोग के पश्चात स्थल की पुनःबहाली की संभावित लागत का वर्तमान मूल्य भी शामिल है, यदि उक्त प्रावधान के लिए मान्यता मापदंड पूरा किया गया है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रचालन में लाने के पश्चात किए गए व्यय जैसे मरम्मत और अनुरक्षण को सामान्य रूप से उस अवधि में लाभ और हानि विवरणों में प्रभारित किया जाएगा, जिस अवधि में यह लागते वहन की गई हैं। प्रमुख निरीक्षक और ओवरहॉल व्यय को पूंजीकृत किया जाएगा यदि मान्यता मापदंड को पूरा किया गया है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मर्दों के निपटान पर लाभों और हानियों का निर्धारण परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहनीय लागत के निपटान से प्राप्त राशि से तुलना द्वारा किया जाएगा, और इसे आय एवं व्यय के विवरण में अन्य आय/अन्य व्ययों के भीतर निवल में स्वीकार किया गया है।

परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण के अपशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवनकाल और मूल्यहास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाएगी और इसका समायोजन आगामी रूप से, यदि उचित हो, किया गया है।

## 2.9 मूल्यहास

विकास और निर्माण की प्रक्रिया में परिसंपत्तियों तथा फ्रीहोल्ड भूमि का मूल्यहास निर्धारित नहीं किया गया है।

अन्य परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यहास और हानि हेतु किसी प्रावधान पर लेखांकित किया गया है। मूल्यहास तब आरंभ होता है जब परिसंपत्ति उनके लक्षित प्रयोग हेतु तैयार हो।

मूल्यहास का परिकलन मूल्यहासित राशि पर किया जाता है, जो कि परिसंपत्ति की लागत घटा इसका अवशिष्ट मूल्य है। मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -II द्वारा निर्धारित संपत्तिकी अनुमानित उपयोगिता जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार पर प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए पट्टा खाता घटा अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के परिकलन के लिए किया जाता है।

मूल्यहास विधियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरव्यापी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

## 2.10 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि उस परिसंपत्ति से भावी आर्थिक लाभ उपक्रम को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन और हानि यदि कोई हो पर आका जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अस्वीकृति से उत्पन्न लाभों या हानियों को उनके निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और इन्हें अस्वीकार किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में लेखांकित किया जाता है।

## 2.11 रोकड़ एवं बैंक शेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कम की मूल परिपक्वता वाले बैंक के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के अध्याधीन हैं। इस प्रयोजन हेतु रोकड़ प्राह, रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है।

## 2.12 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह का लेखांकन इंड एस-7 "रोकड़ प्रवाह विवरण" में निर्धारित अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा कर पूर्व लाभ/(हानि) को गैर रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों और किसी पूर्व या भावी रोकड़ पावतियों या भुगतान आस्थगन या संचयन के प्रभावों के समायोजना किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

## 2.13 महत्वपूर्ण अनुमान और निर्धारण

### 1. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय

अनुमान और निर्धारण का एतिहासिक अनुभव और अन्य कारक जैसे भविष्य की संभावनाएं, जिसका निकाय की भावी घटनाओं पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और जो युक्तिसंगत स्तर तक परिस्थितियों के भीतर समझी जाएं, के आधार पर निरंतर मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी भविष्य से संबंधित अनुमान और संभावनाएं निर्धारित करती है। परिणामी वित्तीय अनुमान प्रायः वास्तविक परिणामों के समान होते हैं। अनुमान और संभावनाएं, जिनमें परिसंपत्तियों और देयताओं के वहन मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन करने का प्रमुख जोखिम होता है, निम्नानुसार हैं:-

#### i. राजस्व स्वीकृति

##### सेवा रियायत करार लेखांकन का अनुप्रयोग

इंड एस-11 का "सेवा रियायत करार" परिशिष्ट-क "सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं" पर लागू होता है, जिन्हें संविदाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनको अंतर्गत प्रदाता रियायत ग्राही को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के अधिकार अंतरित करता है जो उसे इन सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अवसंरचना के प्रबंधन के प्रतिफल के रूप में विशिष्ट समयावधि के लिए मुख्य सार्वजनिक सुविधाओं पर पहुंच उपलब्ध कराता है।

अधिक विशिष्ट रूप से, यह सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्था पर लागू होता है यदि अनुदाता:-

- यह नियंत्रित और विनियमित करता है कि प्रचालक अवसंरचना से क्या सेवाएं उपलब्ध कराएगा, किसको उपलब्ध कराएगा और किस कीमत पर उपलब्ध कराएगा, और
- स्वामित्व या अन्यथा के माध्यम से नियंत्रण - व्यवस्था की अवधि की समाप्ति पर कोई विशिष्ट अवसंरचनात्मक अवशिष्ट हित।

कंपनी को कतिपय शर्तों और निबंधनों के अध्याधीन और रियायतअवधि के दौरान टोल रोड के प्रयोक्ता प्रभार हेतु लाइसेंस के मद्देनजर निर्माण अवधि के दौरान एनएचएआई से 327 करोड़ रूपए का नियत अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए, कंपनी ने इंड एस 11 के परिशिष्ट-क में निर्धारित अनुसार क्रमशः "वित्तीय परिसंपत्ति मॉडल" और "अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल", दोनों को स्वीकार किया है।

कंपनी अपनी सभी परियोजनाओं की लागत को लाभ और हानि में प्रभारित करेगी और निर्माण राजस्व को उचित मूल्य यथा शून्य मार्जिन पर स्वीकार करेगी। राजस्व से प्राप्त धनराशि को

आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्ति और आंशिक रूप से अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में बुक किया जाएगा (टोल रोड से प्रयोक्ताओं को प्रभारित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार)।

## 2.14 प्रावधान एवं देयताएं

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

- (i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,
- (ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और
- (iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को की जाती है।

### प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है को करपूर्व रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर निर्धारित किया गया है जो देयता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

## 2.15 आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है:

- i) भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की आवश्यकता हो; या
- ii) वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या
- iii) एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गमन की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

## 2.16 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को यह आकलन किया जाता है कि क्या वहां कोई संकेत है कि परिसंपत्ति (मूर्त या अमूर्त) की हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो, परिसंपत्ति/रोकड़ सृजन इकाई की वसूलीयोग्य राशि का आकलन किया जाता है। वसूलीयोग्य राशि परिसंपत्ति या रोकड़ सृजन इकाई के निवल बिक्री मूल्य और प्रयोग के इसके मूल्य से अधिक होता है। प्रयोग का मूल्य, परिसंपत्ति के निरंतर प्रयोग से और इसके उपयोगी जीवनकाल की समाप्ति पर इसके निपटान से प्राप्त अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। हानि के आकलन के प्रयोजन से, व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए वसूलीयोग्य राशि का निर्धारण किया जाता है, बशर्ते परिसंपत्ति रोकड़ प्रवाह को सृजित न करती हो जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र है। निरंतर प्रयोग से रोकड़ प्रवाह सृजित करने वाली परिसंपत्तियों के लघुतम चिह्नित समूह, जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र हैं, को रोकड़ सृजन इकाई (सीजीयू) माना जाता है। एक परिसंपत्तिया या सीजीयू, जिसका वहन मूल्य उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक है, को हानि माना जाता है और इसे इसके वसूलीयोग्य राशि में अंकित किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह आकलन भी किया जाता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि पूर्व लेखांकन अवधि में परिसंपत्ति के लिए स्वीकार्य हानि अब विद्यमान तो नहीं है या कम हो गई है।

## 2.17 वित्तीय माध्यम

### 1. वित्तीय परिसंपत्ति

#### i. आरंभिक स्वीकृति और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को आरंभिक रूप में उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। संव्यहार लागतें जो वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण या जारी करने से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, जो लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं, उन्हें आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य में समायोजित किया जाता है।

#### ii. अनुवर्ती मापन

#### ➤ परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:-

वित्तीय परिसंपत्तियों को तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि वित्तीय परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है जो मुख्य रूप से मूल बकाया राशि पर मूल और ब्याज के भुगतान हैं। में प्रभाव दर ब्याज ("ईआईआर") विधि के प्रयोग द्वारा इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को वित्तीय आय शामिल है, और

➤ **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां:-**

वित्तीय परिसंपत्तियों को तत्पश्चात अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे उस व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित किया गया है जिसका उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त करना है, और परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान को प्रस्तुत करना है।

➤ **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)**

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके आंतरिकत, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण उपकरण को स्वीकार नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

**वित्तीय देयताएं**

**i. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं**

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभिक रूप में उचित मूल्य पर स्वीकार किया गया है और ऋण और कर्ज के मामले में, प्रत्यक्ष संबंधितलागत के निवल पर स्वीकार किया गया है। आवर्ती प्रकृति के शुल्कों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि में स्वीकार किया गया है।

**ii. अनुवर्ती मापन**

वित्तीय देयताओं को तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर विधि के प्रयोग द्वारा परिशोधित लागत पर मापा जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्वता के लिए देय व्यापार एवं अन्य भुगतानों को इन प्रलेखों की अल्पकालीन परिपक्वता के कारण अनुमानित उचित मूल्य पर वहन किया जाता है।

**2. वित्तीय प्रलेखों की अस्वीकृति**

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को अस्वीकार करती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वह वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतरित कर देते हैं या इंड एस 109 के अंतर्गत अस्वीकृति हेतु अंतरण अर्हक हो जाते हैं। कंपनी के तुलन पत्र से वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के भाग) को अस्वीकार किया जाता है, जब संविदा में विनिर्दिष्ट दायित्व को पूरा या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।

## 2.18 आयकर

कर व्यय, जिसमें चालू आयकर और आस्थगित कर, चालू आयकर व्यय शामिल हैं, को उस राशि पर मापा जाता है जिसके आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर प्राधिकरणों को भुगतान किए जाने की संभावना है। राशि का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त कर दर व कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को अधिसूचित या व्यापक रूप से अधिसूचित हैं।

लाभ और हानि के बाहर स्वीकृत मदों के संबंध में चालू कर को लाभ या हानि (अन्य व्रहत आय या इक्विटी दोनों में से कोई) के बाहर स्वीकृत किया जाता है। चालू कर मदों को ओसीआई या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी, दोनों में से किसी में निर्धारित संव्यवहार के सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है।

आस्थगित कर के लिए प्रावधान रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों हेतु परिसंपत्तियों और देयताओं तथा उनके वहन राशियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों की तुलनपत्र विधि का प्रयोग करके किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उन कर दरों का मापा जाता है जिन्हें उक्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना है, जब परिसंपत्ति से वसूली हो या देयता का निपटान हो, और यह उन कर दरों (और कर नियम) पर आधारित होगा जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को अधिसूचित या व्यापक रूप से अधिसूचित किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों यथा अप्रयुक्त कर ऋणों और किसी अप्रयुक्त कर हानियों के अग्रेषित राशि पर स्वीकार किया जाएगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा, जहां संभवतः करयोग्य लाभ अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटे जिनका प्रयोग किया जा सकता था के कटौती योग्य अस्थायी अंतर के प्रति उपलब्ध करयोग्य लाभ के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

आस्थगित कर से संबंधित मदों को लाभ और हानि के बाहर स्वीकृत मदों के संबंध में चालू कर को लाभ या हानि (अन्य व्रहत आय या इक्विटी दोनों में से कोई) के बाहर स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं ऑफसेट हो जाएंगे यदि, ऑफसेट के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार विद्यमान हैं तो चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसंपत्तियां और समान कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रभारित आयकर से संबंधित आस्थगित कर ऑफसेट हो जाएंगे।

कर नियमों के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भावी आयकर देयता के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्रदान करता है, उसे परिसंपत्ति माना जाता है, यदि वहां प्रत्यायक साक्ष्य विद्यमान हैं कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी को तुलनपत्र में परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब यह संभावित हो कि इससे संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

## 2.19 राजस्व स्वीकृति

राजस्व को प्राप्त या प्राप्य समझे जाने वाले उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा, चाहे भुगतान किसी भी समय किया गया हो।

राजस्वी की स्वीकृति से पूर्व नीचे उल्लिखित विशेष स्वीकृति मापपदंड को भी पूरा किया जाना चाहिए-

- कंपनी ने ग्राहकों के स्वामित्व से आकस्मिक जोखिमों और प्रतिफलों को अंतरित किया है।
- कंपनी ना तो सामान्य रूप से स्वामित्व से संबंधित स्तर पर निरंतर प्रबंधकीय संलिप्तता को बनाए रखती है और ना ही बेची गई वस्तुओं पर प्रभावी नियंत्रण बनाती है।
- यह संभावित है कि संव्यवहारों से संबद्ध आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।
- इन्हें विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और इष्टतम एकत्रण की युक्तिसंगत संभावना है।

## संविदा राजस्व (निर्माण संविदाएं)

सड़क निर्माण से संबंधित संविदा राजस्व को तुलनपत्र तिथि पर समापन के स्तर के संदर्भ द्वारा राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। परियोजना क समापन का स्तर अनुमानित कुल संविदा लागतों के संबंध में तुलनपत्र तिथि तक निष्पादित कार्य के लिए वहन किए गए संविदागतलागत के अनुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है। निर्माण गतिविधि पर मार्जिन का अनुमान कंपनी द्वारा रियायत करार के अंतर्गत प्रदन की गई निर्माण सेवाओं से संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति (राजस्व) और अमूर्त परिसंपत्ति के उचित मूल्य को प्राप्त करके लगाया जाता है। सड़क निर्माण संविदा पर मार्जिन पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि निर्माण संविदा धारक कंपनी को बैंक-टू-बैंक आधार पर प्रदान किया गया है।

संविदागत लागत में वह लागतें शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट संविदा से संबंधित हैं और आवंटित लागत सड़क निर्माण से संबंधित है।

## 2.20 ऋण लागत

ऋण लागत में प्रभावी ब्याज दर विधि के आधार पर ऋण से संबंधित ब्याज, अन्य लागतें शामिल हैं। समान्य एवं विशिष्ट ऋण लागतें प्रत्यक्ष रूप से अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण, उत्पादन या विकास से संबंधित हैं, और ये वे परिसंपत्तियां हैं जो अपने वांछित प्रयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में व्यापक समय लगाती हैं जो इन परिसंपत्तियों की लागत में वृद्धि करती हैं, जबतक कि परिसंपत्तियां अपने वांछित प्रयोग या बिक्री के लिए व्यापक स्तर पर तैयार नहीं हो जाती हैं। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में उन्हें वहन किया गया है।

उस स्तर तक जहां एक निकाय अर्हक परिसंपत्ति को प्राप्त करने के प्रयोजना से विशिष्ट रूप में निधियों को ऋण के रूप में प्राप्त करता है, निकाय को पूंजीकरण हेतु अपनी अर्हक ऋण लागत की राशि का निर्धारण करना होगा, जो उक्त अवधि के दौरान उस ऋण पर किए गए वास्तविक ऋण लागत घटा इन ऋणों के अस्थायी निवेश पर किसी निवेश आय के रूप में किया जाएगा।

## 2.21 सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के सड़क के अभिकल्प, वित्तीयन, अनुरक्षण, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) के कार्य में संलिप्त होने के कारण, यहां एक से अधिक रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने व्यवसाय को केवल एक भौगोलिक क्षेत्र सेगमेंट में निष्पादित कर रही है। इसलिए, कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

## 2.22 कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियुक्त पर होते हैं।

## 2.23 पट्टा

### पट्टेदार के रूप में कंपनी

#### वित्तीय पट्टा:-

- (i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप में परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है, उसे न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।
- (ii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिति दर प्राप्त की जा सके।
- (iii) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।
- (iv) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यहासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यहासित किया जाता है।

#### प्रचालन पट्टा -

- (i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी में अंतरित नहीं किया जाता है।
- (ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है, केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

## 2.24 प्रतिशेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनियों के परिकलन में कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के प्रति वर्ष हेतु निवल लाभ और हानि को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की प्रयुक्त औसत संख्या से भाग किया जाता है।

प्रति शेयर हासित अर्जन का निर्धारण करने के लिए सभी हासित संभावित इक्विटी शेयरों के लिए इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ और उस विधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को समायोजित किया जाता है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

**3 गैर-चाल परिसंपत्तियां**  
**परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण**

(राशि लाख में)

| फुट नोट                    | कम्प्यूटर   | कुल         |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>लागत या मूल्यांकन</b>   |             |             |
| 01 अप्रैल 2015 को          |             | -           |
| संवर्धन                    | 0.48        | 0.48        |
| निपटान/समायोजन             |             | -           |
| <b>31 मार्च 2016 को</b>    | <b>0.48</b> | <b>0.48</b> |
| संवर्धन                    | 0.35        | 0.35        |
| निपटान/समायोजन             | -           | -           |
| <b>31 मार्च 2017 को</b>    | <b>0.82</b> | <b>0.82</b> |
| <b>मूल्यहास और हानि</b>    |             |             |
| 1 अप्रैल 2015 को           | -           | -           |
| वर्ष में प्रभारित मूल्यहास | 0.14        | 0.14        |
| हानि                       |             | -           |
| निपटान/समायोजन             |             | -           |
| <b>31 मार्च 2016 को</b>    | <b>0.14</b> | <b>0.14</b> |
| वर्ष में प्रभारित मूल्यहास | 0.18        | 0.18        |
| हानि                       | -           | -           |
| निपटान/समायोजन             | -           | -           |
| <b>31 मार्च 2017 को</b>    | <b>0.32</b> | <b>0.32</b> |
| <b>निवल बही मूल्य</b>      |             |             |
| 31 मार्च 2017 को           | 0.51        | 0.51        |
| 31 मार्च 2016 को           | 0.34        | 0.34        |
| 1 अप्रैल 2015 को           | 0.00        | 0.00        |

i) वर्ष के लिए मूल्यहास और हानि जिसे लाभ और हानि विवरण के नामे किया गया है:

| विवरण                           | मार्च 2017 को | मार्च 2016 को |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास | 0.18          | 0.14          |
| घाटा                            | -             | -             |
| <b>कुल</b>                      | <b>0.18</b>   | <b>0.14</b>   |

4 गैर-चालू परिसंपत्तियां  
अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि लाख में)

| विवरण                               | विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | अन्य अमूर्त (साफ्टवेयर) |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>01 अप्रैल 2015 को आरंभिक शेष</b> |                                | <b>0.19</b>             |
| वर्ष के दौरान संवर्धन               | 4589.25                        | -                       |
| समायोजन                             | -                              | -                       |
| <b>31 मार्च 2016 को अंतिम शेष</b>   | <b>4,589.25</b>                | <b>0.19</b>             |
| वर्ष के दौरान संवर्धन               | 17,788.95                      | -                       |
| समायोजन                             | -                              | -                       |
| <b>31 मार्च 2017 को अंतिम शेष</b>   | <b>22,378.20</b>               | <b>0.19</b>             |
| <b>परिशोधन और हानि</b>              |                                |                         |
| <b>01 अप्रैल 2015 को आरंभिक शेष</b> | <b>-</b>                       | <b>0.19</b>             |
| परिशोधन                             | -                              | -                       |
| हानि                                | -                              | -                       |
| समायोजन                             | -                              | -                       |
| <b>31 मार्च 2016 को अंतिम शेष</b>   | <b>-</b>                       | <b>0.19</b>             |
| परिशोधन                             | -                              | -                       |
| हानि                                | -                              | -                       |
| समायोजन                             | -                              | -                       |
| <b>31 मार्च 2017 को अंतिम शेष</b>   | <b>-</b>                       | <b>0.19</b>             |
| <b>निवल बही मूल्य</b>               |                                |                         |
| <b>31 मार्च 2017 को</b>             | <b>22,378.20</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>31 मार्च 2016 को</b>             | <b>4,589.25</b>                | <b>0.00</b>             |
| <b>1 अप्रैल 2015 को</b>             | <b>-</b>                       | <b>0.00</b>             |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

5 गैर-चालू परिसंपत्तियां  
वित्तीय परिसंपत्तियां

5.1 व्यापार प्राप्य  
(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

(राशि लाख में)

| विवरण                                                                             | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 01 अप्रैल 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| - व्यापार प्राप्य                                                                 | -             | -             | -              |
| - ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि                                                  | 95.78         | -             | -              |
| - ग्राहकों द्वारा आहरित राशि                                                      | -             | -             | -              |
| घटा : संदिग्ध- व्यापार प्राप्यों हेतु प्रावधान<br>संबंधित पक्षों से प्राप्त योग्य | -             | -             | -              |
| <b>कुल</b>                                                                        | <b>95.78</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>       |

5 गैर-चाल परिसंपत्तियां  
वित्तीय परिसंपत्तियां

5.2 ऋण

(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

(राशि लाख में)

| विवरण                                                                | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 01 अप्रैल 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>क: रक्षित, वसूली योग्य</b><br>कर्मचारी ऋण और अग्रिम               | 2.04          | 2.46          | -              |
| <b>कुल (A) - रक्षित ऋण</b>                                           | <b>2.04</b>   | <b>2.46</b>   | -              |
| <b>ख अरक्षित, वसूली योग्य</b><br>(i) संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम: | -             | -             | -              |
| <b>कुल (i)</b>                                                       | -             | -             | -              |
| (ii) अन्य:<br>स्टाफ ऋण और अग्रिम                                     | -             | 0.48          | -              |
| <b>कुल (ii)</b>                                                      | -             | <b>0.48</b>   | -              |
| <b>कुल (ख) - अरक्षित ऋण (i+ii)</b>                                   | -             | <b>0.48</b>   | -              |
| <b>ग: संदिग्ध समझे गए</b><br>(i) संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम:     | -             | -             | -              |
| <b>कुल (i)</b>                                                       | -             | -             | -              |
| (ii) अन्य:<br>स्टाफ ऋण और अग्रिम                                     | -             | -             | -              |
| <b>कुल (ii)</b>                                                      | -             | -             | -              |
| <b>कुल - (i+ii)</b>                                                  | -             | -             | -              |
| घटा : संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान                                       | -             | -             | -              |
| <b>कुल (ग) - संदिग्ध ऋण</b>                                          | -             | -             | -              |
| <b>सकल योग - ऋण</b>                                                  | <b>2.04</b>   | <b>2.93</b>   | -              |

5.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

(राशि लाख में)

| विवरण                                             | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 01 अप्रैल 2015 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>क) वसूली योग्य</b>                             |               |               |                |
| प्रतिभूति जमा राशि                                |               |               |                |
| - सरकारी विभाग                                    | -             | -             | -              |
| - अन्य                                            | 0.35          | 0.35          | -              |
| स्टाफ को अग्रिम से संचित ब्याज                    | 0.84          | 0.98          | -              |
| <b>कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - शून्य</b>   | <b>1.19</b>   | <b>1.33</b>   | -              |
| <b>ख) संदिग्ध समझे गए</b>                         |               |               |                |
| प्रतिभूति जमा राशियां                             |               |               |                |
| - सरकारी विभाग                                    | -             | -             | -              |
| - अन्य                                            | -             | -             | -              |
| स्टाफ को अग्रिम से संचित ब्याज                    | -             | -             | -              |
| घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान | -             | -             | -              |
| <b>कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध</b> | -             | -             | -              |
| <b>सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां</b>       | <b>1.19</b>   | <b>1.33</b>   | -              |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

**गैर-चालू परिसंपत्तियां**  
6 वित्तीय परिसंपत्तियां

(राशि लाख में)

| विवरण                        | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 01 अप्रैल 2015 |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| अन्य                         | 19.55         | 31.43         | 39.13          |
| <b>31 मार्च को अंतिम शेष</b> | <b>19.55</b>  | <b>31.43</b>  | <b>39.13</b>   |

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समाधान/संचलन

| विवरण                                        | प्रावधान | पीपीई व अमूर्त परिसंपत्तियां | अन्य         | कुल          |
|----------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>1 अप्रैल 2015 को</b><br>(प्रभारित)/नामे : | -        | -                            | 39.13        | 39.13        |
| - लाभ/हानि विवरण में                         | -        | -                            | (7.70)       | (7.70)       |
| - अन्य वृहत आय                               | -        | -                            | -            | -            |
| <b>31 मार्च 2016 को</b><br>(प्रभारित)/नामे : | -        | -                            | <b>31.43</b> | <b>31.43</b> |
| - लाभ/हानि विवरण में                         | -        | -                            | (11.88)      | (11.88)      |
| - अन्य वृहत आय                               | -        | -                            | -            | -            |
| <b>31 मार्च 2017 को</b>                      | -        | -                            | <b>19.55</b> | <b>19.55</b> |

आयकर व्यय

लाभ या हानि खंड

(राशि लाख में)

| विवरण                                           | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>चालू आय कर</b>                               |                  |                  |
| चालू आय कर प्रभार                               | 17.05            | 180.51           |
| पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन    | -                | -                |
| आस्थगित कर:                                     |                  |                  |
| स्थायी अंतरणों की उत्पत्ति और रिवर्सल में संबंध | 11.88            | 7.70             |
| <b>लाभ और हानि विवरण से संबंधित आय कर व्यय</b>  | <b>28.93</b>     | <b>188.21</b>    |

दिनांक 31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2017 को कर व्यय और लेखांकन लाभ के भारत के घरेलू कर दर से गुणा द्वारा समायोजन

| विवरण                                                                      | 31 मार्च 2017 को | 31 March 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| निरंतर प्रचालनों से लेखांकन कर पूर्व लाभ                                   | 82.71            | 569.70        |
| बंद प्रचालनों से कर पूर्व लाभ/(हानि)                                       | -                | -             |
| <b>आय कर पूर्व लेखांकन लाभ</b>                                             | <b>82.71</b>     | <b>569.70</b> |
| भारत की सांविधि आय कर दर 30.9% (31 मार्च 2017), (31 मार्च 2016: 33.06%) पर | 25.56            | 188.36        |
| पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन                               | 2.11             | (2.76)        |
| पूर्व में अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग                                       | -                | -             |
| कर प्रयोजनों हेतु गैर-कटौत व्यय:                                           |                  |               |
| अन्य गैर कटौती व्यय                                                        | 1.28             | 2.61          |
| <b>प्रभावी आयकर दर 34.99% (31 मार्च 2017), 33.4% (31 मार्च 2016) पर</b>    | <b>28.93</b>     | <b>188.21</b> |
| लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय                                   | 28.93            | 188.21        |
| बंद प्रचालनों से संबंधित आयकर                                              | -                | -             |
|                                                                            | <b>28.93</b>     | <b>188.21</b> |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

**चाल परिसंपत्तियां**

**7 वित्तीय परिसंपत्तियां**

**7.1 व्यापार प्राप्य**

(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

(राशि लाख में)

| विवरण                                                 | 31 मार्च 2017   | 31 मार्च 2016 | 01 अप्रैल 2015 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| - व्यापार प्राप्य                                     | 1,310.48        | -             | -              |
| - ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि                      | -               | -             | -              |
| - ग्राहकों द्वारा आहरित राशि                          | -               | -             | -              |
| घटा: संदिग्ध प्राप्यों की व्यवस्था                    | -               | -             | -              |
| ग्राहकों के पास संदिग्ध प्रतिधारण राशियों की व्यवस्था | -               | -             | -              |
| ग्राहकों द्वारा आहरित राशि की व्यवस्था                | -               | -             | -              |
| संबंधित पक्षों द्वारा प्राप्य राशियां                 | -               | -             | -              |
| <b>कुल</b>                                            | <b>1,310.48</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |

**व्यापार प्राप्यों का ब्यौरा**

(राशि लाख में)

| विवरण                                                                   | 31 मार्च 2017   | 31 मार्च 2016 | 01 अप्रैल 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>भुगतान के लिए देय तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया</b> |                 |               |                |
| रक्षित, वसूल योग्य                                                      | -               | -             | -              |
| अरक्षित, वसूल योग्य                                                     | 1,310.48        | -             | -              |
| संदिग्ध                                                                 | -               | -             | -              |
| संदिग्ध प्राप्यों हेतु व्यवस्था                                         | 1,310.48        | -             | -              |
|                                                                         | -               | -             | -              |
|                                                                         | 1,310.48        | -             | -              |
| <b>भुगतान के लिए देय तारीख से छह महीने से कम की अवधि के लिए बकाया</b>   |                 |               |                |
| रक्षित, वसूल योग्य                                                      | -               | -             | -              |
| अरक्षित, वसूल योग्य                                                     | -               | -             | -              |
| संदिग्ध                                                                 | -               | -             | -              |
| संदिग्ध प्राप्यों हेतु व्यवस्था                                         | -               | -             | -              |
|                                                                         | -               | -             | -              |
| <b>कुल व्यापार प्राप्य</b>                                              | <b>1,310.48</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

7 चालू परिसंपत्तियां  
7.2 वित्तीय परिसंपत्तियां  
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(राशि लाख में)

| विवरण                                                | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016   | 01 अप्रैल 2015  |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| उपलब्ध रोकड़                                         | -             | -               | -               |
| उपलब्ध बैंक ड्राफ्ट                                  | -             | -               | -               |
| बैंकों में शेष                                       |               |                 |                 |
| - चालू खातों में                                     | 577.13        | 153.77          | 8,506.69        |
| - फ्लैक्सी खातों में                                 | -             | -               | -               |
| - तीन महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां | 30.21         | 6,227.54        | 335.54          |
|                                                      | <b>607.33</b> | <b>6,381.30</b> | <b>8,842.24</b> |

\* उपर्युक्त शेष राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्क प्राधिकरण के साथ हुए रियायत करार के अनुसार एस्को खाते से संबंधित है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

चालू परिसंपत्तियां  
वित्तीय परिसंपत्तियां

7.3 ऋण  
(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

(राशि लाख में)

| विवरण                                | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 1 अप्रैल 2015 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>क: रक्षित वसूली योग्य</b>         |               |               |               |
| स्टाफ ऋण और अग्रिम                   | 0.56          | 0.47          | -             |
| <b>कुल (क) रक्षित ऋण</b>             | <b>0.56</b>   | <b>0.47</b>   | <b>-</b>      |
| <b>ख: अरक्षित वसूली योग्य</b>        |               |               |               |
| (i) संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम : |               |               |               |
| <b>कुल (i)</b>                       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| (ii) अन्य:                           |               |               |               |
| स्टाफ ऋण और अग्रिम                   | 0.29          | 0.35          | -             |
| <b>कुल(ii)</b>                       | <b>0.29</b>   | <b>0.35</b>   | <b>-</b>      |
| <b>कुल(ख) - अरक्षित ऋण (i+ii)</b>    | <b>0.29</b>   | <b>0.35</b>   | <b>-</b>      |
| <b>ग: संदिग्ध समझे गए</b>            |               |               |               |
| (i) संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम : |               |               |               |
| (ii) अन्य:                           |               |               |               |
| <b>कुल(ग) - संदिग्ध ऋण</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>सकल योग</b>                       | <b>0.86</b>   | <b>0.81</b>   | <b>-</b>      |

7.4 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां  
(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

(राशि लाख में)

| विवरण                                                    | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 1 अप्रैल 2015 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>क) वसूली योग्य</b>                                    |               |               |               |
| संचित ब्याज                                              |               |               |               |
| - स्टाफ को अग्रिम                                        | 0.81          | 0.93          | -             |
| - संबंधित पक्षों को ऋण                                   | -             | -             | -             |
| - भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण                          | -             | -             | -             |
| - बैंकों में जमा राशि                                    | 0.07          | 99.82         | 9.31          |
| - बांड                                                   | -             | -             | -             |
| <b>कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शोध्य</b>            | <b>0.88</b>   | <b>100.75</b> | <b>9.31</b>   |
| <b>ख) संदिग्ध समझे गए</b>                                |               |               |               |
| प्रतिभूति जमा राशियां                                    |               |               |               |
| - सरकारी विभाग                                           | -             | -             | -             |
| - अन्य                                                   | -             | -             | -             |
| घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों (अन्य) हेतु प्रावधान | -             | -             | -             |
| <b>कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>सकल योग- अन्य वित्तीय अन्य</b>                        | <b>0.88</b>   | <b>100.75</b> | <b>9.31</b>   |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

8 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (राशि लाख में)

| विवरण                                                  | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 1अप्रैल 2015 |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| अग्रिम कर/ टीडीएस                                      | 91.02         | 117.85        | 1.09         |
| - घटा: कर हेतु प्रावधान (ब्यौरे के लिए नोट 15.2 देखें) | (17.05)       | (117.85)      | -            |
|                                                        | <b>73.97</b>  | <b>-</b>      | <b>1.09</b>  |

9 अन्य चालू परिसंपत्तियां (राशि लाख में)

| विवरण                                        | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 1अप्रैल 2015 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| क) पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम              | -             | -             | -            |
| कल - पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम            | -             | -             | -            |
| ख) अन्य                                      |               |               |              |
| प्रगतिरत निर्माण कार्य (वसूलीयोग्य मूल्य पर) | -             | -             | -            |
| बिलयोग्य राजस्व                              | 807.00        | 879.12        | -            |
| पूर्व प्रदत्त व्य                            | 24.08         | 34.42         | -            |
| डब्ल्यूसीटी वसूलीयोग्य                       | 57.47         | -             | -            |
| कल अन्य                                      | <b>888.55</b> | <b>913.54</b> | <b>-</b>     |
| ग) संदिग्ध समझे गए अन्य                      | -             | -             | -            |
| घटा: संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान          | -             | -             | -            |
| कुल - संदिग्ध समझे गए                        | -             | -             | -            |
| सकल योग                                      | <b>888.55</b> | <b>913.54</b> | <b>-</b>     |

10 इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि लाख में)

| विवरण                                                                                                                | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 1 अप्रैल 2015 को |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>प्राधिकृत शेयर पूंजी</b>                                                                                          |                  |                  |                  |
| 17,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए<br>(17,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए)                                 | 17,500           | 17,500           | 17,500           |
|                                                                                                                      | <b>17,500</b>    | <b>17,500</b>    | <b>17,500</b>    |
| <b>जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी</b>                                                                                 |                  |                  |                  |
| 16,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णतः प्रदत्त<br>(16,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णतः प्रदत्त) | 16,500           |                  |                  |
| 90,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णतः प्रदत्त<br>(90,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णतः प्रदत्त) |                  | 9,000            |                  |
| 50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णतः प्रदत्त<br>(50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णतः प्रदत्त)       |                  |                  | 500              |
|                                                                                                                      | <b>16,500</b>    | <b>9,000</b>     | <b>500</b>       |

कंपनी में शेयरधारण का ब्यौरा

| शेयरधारक का नाम                         | 31 मार्च 2017 को |                           | 31 मार्च 2016    |                           | 1 अप्रैल 2015    |                           |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                                         | शेयरों की संख्या | श्रेणी में प्रतिशत धारिता | शेयरों की संख्या | श्रेणी में प्रतिशत धारिता | शेयरों की संख्या | श्रेणी में प्रतिशत धारिता |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके 9 नामित | 1,650            | 100.00                    | 900              | 100.00                    | 50               | 100.00                    |
| <b>कुल</b>                              | <b>1,650</b>     | <b>100</b>                | <b>900</b>       | <b>100</b>                | <b>50</b>        | <b>100</b>                |

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/ अधिकार

(क) वोटिंग

कंपनी में प्रति 10 रूपए मूल्य के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है।

प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक शेयर के लिए एक मत हेतु पत्र है।

(ख) लाभांश

कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है।

(ग) दिवालियापन : कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में, इक्विटी का धारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण

के पश्चात शेष परिसंपत्तियों के लिए पात्र होंगे। यह संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या

के अनुपात में होगा।

इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन

| शेयरधारक का नाम                                      | 31 मार्च 2017    |               | 31 मार्च 2016    |              | 1 अप्रैल 2015    |              |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                      | शेयरों की संख्या | रूपए लाख में  | शेयरों की संख्या | रूपए लाख में | शेयरों की संख्या | रूपए लाख में |
| वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और इक्विटी पूंजी बकाया | 900              | 9,000         | 50               | 500          | 50               | 500          |
| जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर                         | 750              | 7,500         | 850              | 8,500        | -                | -            |
| वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और इक्विटी पूंजी बकाया  | <b>1,650</b>     | <b>16,500</b> | <b>900</b>       | <b>9,000</b> | <b>50</b>        | <b>500</b>   |

इरकाॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

11 अन्य इक्विटी

(राशि लाख में)

| विवरण                                           | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 1अप्रैल 2015    |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>(क) प्रतिधारण आमदनी</b>                      |               |               |                 |
| आरंभिक शेष                                      | 263.95        | (108.57)      | -               |
| जमा: वर्ष के दौरान संवर्धन                      | 53.77         | 381.50        | (108.57)        |
| घटा: वर्ष के दौरान उपयोग                        | -             | -             | -               |
| घटा: प्रदत्त पूंजी में वृद्धिहेतु प्रदत्त शुल्क | (7.50)        | (8.97)        | -               |
|                                                 | <b>310.23</b> | <b>263.95</b> | <b>(108.57)</b> |
| <b>कल</b>                                       | <b>310.23</b> | <b>263.95</b> | <b>(108.57)</b> |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

गैर चालू देयताएं

12 वित्तीय देयताएं  
(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

12.1 ऋण

| विवरण                | (राशि लाख में)  |               |               |
|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                      | 31 मार्च 2017   | 31 मार्च 2016 | 1 अप्रैल 2015 |
| रक्षित सावधि ऋण      | -               | -             | -             |
| अरक्षित सावधि ऋण     | -               | -             | -             |
| संबंधित पक्षों से ऋण | 8,000.00        | -             | -             |
| <b>कुल</b>           | <b>8,000.00</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

नोट:

- i. अन्य अल्पकाली ऋणों के लिए पनभुगतान की शर्तों और अन्य रक्षित दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में उपलब्ध प्रतिभूति का ब्यौरा :-

| विवरण                               | पनभुगतान की अवधि एवं प्रतिभूति                                                                                                                                                      | (राशि लाख में) |               |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                     | 31 मार्च 2017  | 31 मार्च 2016 | 1 अप्रैल 2015 |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (रक्षित ऋण) | ऋणी की सभी अचल परिसंपत्तियों और चल परिसंपत्तियों के आडमार द्वारा रक्षित, शुल्क, राजस्वग परियोजना करार, बीमा दावा, अमूर्त परिसंपत्तियां, एस्करो खाता और अन्य परिसंपत्तियां (नीचे नोट | 8,000.00       | -             | -             |

- ii. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा लिए ऋण की अनुमोदन शर्तों के अनुसार, देय ब्याज एसबीआई की मूल दर +0.50 प्रतिशत के समतुल्य होगी, जो वर्तमान में प्रति माह देय के अनुसार प्रतिवर्ष 9.75 है और यह ऋण तिमाही किश्तों में दिनांक 1 अप्रैल 2018 से आरंभ करते हुए 12 महीनों में भगतान किया जाएगा।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
 वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

13 चालू परिसंपत्तियां  
 वित्तीय देयताएं  
 (परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

13.1 व्यापार प्राप्य

(राशि लाख में)

| विवरण                               | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016   | 1अप्रैल 2015 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम<br>अन्य | -             | -               | -            |
| (क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता          | 20.81         | 0.64            | -            |
| (ख) संबंधित पक्ष                    | 352.45        | 2,181.36        | 0.05         |
| <b>कुल</b>                          | <b>373.26</b> | <b>2,182.00</b> | <b>0.05</b>  |

प्रतिभूति जमा और छह महीनों से अधिक देय का ब्यौरा

| विवरण                                                                                      | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016   | 1अप्रैल 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| भुगतान के लिए देय की तिथि से छह महीने से<br>अधिक की अवधि के लिए देय<br>रक्षित, वसूली योग्य | -             | -               | -            |
| अरक्षित, वसूली योग्य                                                                       | -             | -               | -            |
| भुगतान के लिए देय की तिथि से छह महीने से<br>कमकी अवधि के लिए देय<br>रक्षित, वसूली योग्य    | -             | -               | -            |
| अरक्षित, वसूली योग्य                                                                       | 373.26        | 2,182.00        | 0.05         |
| <b>कुल व्यापार देय</b>                                                                     | <b>373.26</b> | <b>2,182.00</b> | <b>0.05</b>  |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

चालू देयताएं

वित्तीय देयताएं

13.2 अन्य वित्तीय देयताएं

(राशि लाख में)

| विवरण                       | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 1अप्रैल 2015 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| अन्य (नोट 24 का संदर्भ लें) | 86.69         |               |              |
| <b>कुल</b>                  | <b>86.69</b>  | <b>-</b>      |              |

14 अन्य चालू देयताएं

| विवरण         | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2016 | 1अप्रैल 2015 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| (क) अन्य      |               |               |              |
| सांविधिक देय: | 79.80         | 483.65        | -            |
| अन्य          | 25.21         | 21.53         | 0.29         |
| <b>कुल</b>    | <b>105.01</b> | <b>505.18</b> | <b>0.29</b>  |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

15 प्रावधान

| विवरण                                                           | फुटनोट | (राशि लाख में) |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                 |        | 31 मार्च 2017  | 31 मार्च 2016 | 1 अप्रैल 2015 |
| कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान                                      | 13.1   | -              | -             | -             |
| संदिग्ध परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान                             |        | -              | -             | -             |
| अन्य प्रावधान - सीएसओर (संदर्भ नोट 25(xiv))                     |        | 4.13           | -             | -             |
|                                                                 |        | <b>4.13</b>    | -             | -             |
| घटा: संदिग्ध परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान (पृथक रूप से प्रस्तुत) |        | -              | -             | -             |
| <b>कुल</b>                                                      |        | <b>4.13</b>    | -             | -             |
| चालू                                                            |        | 4.13           | -             | -             |
| गैर चालू                                                        |        | -              | -             | -             |

एस-37 की अपेक्षाओं के अंतर्गत प्रावधान संचलन का प्रकटन निम्नानुसार है:

15.1 अन्य प्रावधान:

| विवरण                                     | अन्य व्यय   |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>1 अप्रैल 2015 को</b>                   | -           |
| चालू                                      | -           |
| गैर चालू                                  | -           |
| वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान             | -           |
| वर्ष के दौरान उपयोग                       | -           |
| वर्ष के दौरान बटटाखाता                    | -           |
| विनिमय लाभ                                | -           |
| विनिमय हानि                               | -           |
| रियायत बंद करना और रियायत दर में परिवर्तन | -           |
| <b>31 मार्च 2016 को</b>                   | -           |
| चालू                                      | -           |
| गैर चालू                                  | -           |
| वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान             | 4.13        |
| वर्ष के दौरान उपयोग                       | -           |
| वर्ष के दौरान बटटाखाता                    | -           |
| विनिमय लाभ                                | -           |
| विनिमय हानि                               | -           |
| रियायत बंद करना और रियायत दर में परिवर्तन | -           |
| <b>31 मार्च 2017 को</b>                   | <b>4.13</b> |
| चालू                                      | 4.13        |
| गैर चालू                                  | -           |

गैर चालू देयताएं

15.2 प्रावधान आयकर हेतु प्रावधान:

| विवरण                         | आयकर          |
|-------------------------------|---------------|
| <b>1 अप्रैल 2015 को</b>       | -             |
| चालू                          | -             |
| गैर चालू                      | -             |
| वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 188.39        |
| वर्ष के दौरान उपयोग           | 117.85        |
| वर्ष के दौरान बटटाखाता        | -             |
| विनिमय लाभ                    | -             |
| विनिमय हानि                   | -             |
| <b>31 मार्च 2016 को</b>       | <b>70.54</b>  |
| चालू                          | 70.54         |
| गैर चालू                      | -             |
| वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 17.05         |
| वर्ष के दौरान उपयोग           | 161.56        |
| वर्ष के दौरान बटटाखाता        | -             |
| विनिमय लाभ                    | -             |
| विनिमय हानि                   | -             |
| <b>31 मार्च 2017 को</b>       | <b>-73.97</b> |
| चालू (नोट 8 का संदर्भ लें)    | -             |
| गैर चालू                      | -             |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

16 प्रचालनों से राजस्व

(राशि लाख में)

| विवरण         | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| संविदा राजस्व | 17,788.96                         | 4,589.25                          |
| <b>कुल</b>    | <b>17,788.96</b>                  | <b>4,589.25</b>                   |

17 आय कर

(राशि लाख में)

| विवरण                           | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| बैंक ब्याज सकल                  | 87.93                             | 578.28                            |
| घटा: ग्राहकों को अग्रेषित ब्याज | -                                 | -                                 |
| आयकर धनवापसी पर ब्याज           | -                                 | 0.05                              |
| <b>कुल</b>                      | <b>87.93</b>                      | <b>578.33</b>                     |

18 प्रचालनिक और प्रशासनिक व्यय

(राशि लाख में)

| विवरण                                              | फुट नोट    | प्रचालनिक                         |                                   | प्रशासनिक                         |                                   |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                    |            | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु |
| प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण                        |            | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| आरंभिक शेष                                         |            | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| जमा: वर्ष के दौरान खरीद                            |            | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| घटा: समापन शेष                                     |            | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| कार्य व्यय                                         |            | 17,143.49                         | 4,464.51                          | -                                 | -                                 |
| निरीक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय आदि |            | 270.94                            | 39.63                             | -                                 | -                                 |
| मशीनों का किराया प्रभार                            |            | 0.58                              | -                                 | -                                 | -                                 |
| किराया - गैर आवासीय                                |            | 6.31                              | 2.35                              | -                                 | -                                 |
| दर एवं कर                                          |            | 19.16                             | 0.54                              | -                                 | -                                 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण                                |            | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| -- भवन                                             |            | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| -- कार्यालय एवं अन्य                               |            | 0.36                              | -                                 | -                                 | -                                 |
| ऊर्जा, बिजली एवं जल प्रभार                         |            | 0.35                              | -                                 | -                                 | -                                 |
| बीमा                                               |            | 34.07                             | 13.02                             | -                                 | -                                 |
| यात्रा एवं कन्वेंयेंस                              |            | 0.42                              | 0.41                              | -                                 | -                                 |
| मद्रण एवं स्टेशनरी                                 |            | 1.01                              | 0.02                              | -                                 | -                                 |
| पोस्टेज, टेलीफोन व टैलेक्स                         |            | 0.24                              | -                                 | -                                 | -                                 |
| विविध एवं व्यावसायिक प्रभार                        | (iii)      | 4.47                              | 1.45                              | 0.26                              | -                                 |
| लेखापरीक्षक पारिश्रमिक                             | (i) व (iv) | -                                 | -                                 | 0.84                              | 0.57                              |
| विविध व्यय                                         |            | 0.72                              | -                                 | -                                 | #REF!                             |
| सीएसआर प्रावधान                                    |            | 4.13                              | -                                 | -                                 | -                                 |
| <b>कुल</b>                                         |            | <b>17,486.24</b>                  | <b>4,521.94</b>                   | <b>1.10</b>                       | <b>#REF!</b>                      |

सांविधिक लेखापरीक्षकों को भगतान

(राशि लाख में)

| विवरण                                 | 2016-17     | 2015-16     |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| (i) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू          | 0.68        | 0.57        |
| (ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष | -           | -           |
| (iii) प्रमाणन शुल्क                   | 0.19        | -           |
| (iv) यात्रा और आउट ऑफ पॉकेट भत्ता     | -           | -           |
| - स्थानीय                             | 0.16        | -           |
| - विदेशी                              | -           | -           |
| <b>कुल</b>                            | <b>1.03</b> | <b>0.57</b> |

इरकॉन पीवी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

19 कर्मचारी परिश्रमिक और लाभ

| विवरण                                   | फुट नोट | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु |           |               | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु |           |              |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
|                                         |         | प्रचालनिक                         | प्रशासनिक | कुल           | प्रचालनिक                         | प्रशासनिक | कुल          |
| वेतन, परिश्रमिक और बोनस                 |         | 163.51                            | -         | 163.51        | 53.34                             | -         | 53.34        |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान |         | 13.20                             | -         | 13.20         | 4.38                              | -         | 4.38         |
| विदेशी सेवा अंशदान                      |         | -                                 | -         | -             | -                                 | -         | -            |
| सेवानिवृत्ति लाभ                        |         | 29.58                             | -         | 29.58         | 7.33                              | -         | 7.33         |
| वीआरएस व्यय                             |         | -                                 | -         | -             | -                                 | -         | -            |
| कर्मचारी कल्याण                         |         | -                                 | -         | -             | -                                 | -         | -            |
| <b>कुल</b>                              |         | <b>206.29</b>                     | <b>-</b>  | <b>206.29</b> | <b>65.06</b>                      | <b>-</b>  | <b>65.06</b> |

20 वित्तीय लागत

| विवरण                        | फुट नोट | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु |               | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु |              |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
|                              |         |                                   |               |                                   |              |
| ब्याज व्यय                   | (i)     |                                   | 96.59         |                                   | 7.88         |
| अन्य ऋण लागत                 |         |                                   |               |                                   |              |
| - बैंक गारंटी और अन्य प्रभार |         |                                   | 3.79          |                                   | 2.27         |
| <b>कुल</b>                   |         |                                   | <b>100.38</b> |                                   | <b>10.15</b> |

फुट नोट:

(i) आयकर पर ब्याज सहित : शून्य रूपए (पिछले वर्ष: 7.88 लाख रूपए)

21 मूल्यहास परिशोधन एवं हानि

| विवरण                | फुट नोट | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु |             | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु |             |
|----------------------|---------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                      |         |                                   |             |                                   |             |
| अमूर्त परिसंपत्तियां |         |                                   | 0.18        |                                   | 0.14        |
| निवेश परिसंपत्तियां  |         |                                   | -           |                                   | -           |
| <b>कुल</b>           |         |                                   | <b>0.18</b> |                                   | <b>0.14</b> |

## **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)**

### **वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट**

#### **नोट-22 : इंड एस की प्रथम बार स्वीकृति**

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण, इंड-एस के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए प्रथम विवरण हैं। 31 मार्च 2016 तक और इस समयावधि के लिए, कंपनी ने भारतीय जीएएपी के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए, जिसमें कंपनियों (लेखा मानक) नियम, 2006 (संशोधित) के तहत अधिसूचित लेखा मानक शामिल हैं।

तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2016 को या उसके बाद की अवधि के लिए लागू इंड-एस के साथ अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, और दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मक अवधि के आंकड़ों के साथ, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में उल्लिखित है, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी का दिनांक 1 अप्रैल 2015 को तैयार किया गया तुलनपत्र इंड एस के अनुसार है। यह नोट कंपनी द्वारा उसके भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों को निर्धारित करने के लिए गए प्रमुख समायोजन की व्याख्या करता है, जिसमें 1 अप्रैल 2015 तक और 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के तुलन पत्र शामिल हैं।

#### **प्रयुक्त छूट**

इंड एस के तहत कंपनी को इंड एस के अंतर्ग प्रमाणन आवश्यकताओं के अप्रभावी अनुप्रयोग के लिए पूर्वलक्षी प्रभावसे कुछ छूटों की अनुमति दी गई है।

कंपनी ने निम्नलिखित छूटों के लिए आवेदन किया है:

#### **1. अनुमान**

दिनांक 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 के अनुमान भारतीय जीएएपी के अनुसार समान तिथि को तैयार अनुमानों के अनुरूप हैं (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को प्रदर्शित करने के पश्चात्) ।

इंड एस के अनुसार इन राशियों को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए गए अनुमान 1 अप्रैल 2015 को, इंड -एस की स्वीकृति की तारीख और 31 मार्च 2016 तक की स्थितियों को दर्शाते हैं।

#### **2. वांछित लागत**

चूंकि क्रियात्मक मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी ने सभी परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति को पिछले जीएएपी मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुना है, जैसा कि पिछली जीएएपी वित्तीय विवरणों में स्वी कार किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल 2015 को इक्विटी समायोजन (अंतरण की तिथि)

(रूपए लाख में)

| विवरण |                                      | भारतीय(जीएपी) | समायोजन | इंड एए       |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------|--------------|
| I.    | <b>परिसंपत्तियां</b>                 |               |         |              |
| 1     | <b>गैर चालू परिसंपत्तियां</b>        |               |         |              |
|       | (क) परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण      | -             | -       | -            |
|       | (ख) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य           | -             | -       | -            |
|       | (ग) निवेश परिसंपत्तियां              | -             | -       | -            |
|       | (घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां        | -             | -       | -            |
|       | (ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां  | -             | -       | -            |
|       | (च) वित्तीय परिसंपत्तियां            | -             | -       | -            |
|       | (i) निवेश                            | -             | -       | -            |
|       | (ii) व्यापार प्राप्य                 | -             | -       | -            |
|       | (iii) ऋण                             | -             | -       | -            |
|       | (iv) अन्य                            | -             | -       | -            |
|       | (छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)  | 39.13         | -       | 39.13        |
|       | (ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां      | 1.09          | -       | 1.09         |
|       | <b>चालू परिसंपत्तियां</b>            | 40            |         | 40           |
| 2     | (क) दरसूचियां                        | -             | -       | -            |
|       | (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां            | -             | -       | -            |
|       | (i) निवेश                            | -             | -       | -            |
|       | (ii) व्यापार प्राप्य                 | -             | -       | -            |
|       | (iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य        | -             | -       | -            |
|       | (iv) उपर्युक्त (iii) से इतर बैंक शेष | 8,842         | -       | 8,842        |
|       | (v) ऋण                               | -             | -       | -            |
|       | (vi) अन्य                            | -             | -       | -            |
|       | (ग) चालू परिसंपत्तियां (निवल)        | 9             | -       | 9            |
|       | (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां          | -             | -       | -            |
|       | <b>कुल परिसंपत्तियां</b>             | 8,852         | -       | 8,852        |
|       |                                      | <b>8,892</b>  | -       | <b>8,892</b> |
|       | <b>इक्विटी एवं देयताएं</b>           |               |         |              |
| II.   | <b>इक्विटी</b>                       |               |         |              |
| 1     | (क) इक्विटी शेयर पूंजी               | 500           | -       | 500          |
|       | (ख) अन्य इक्विटी                     | (108.57)      | -       | (108.57)     |
|       | (ग) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन      | 8,500         | -       | 8,500        |
|       | <b>देयताएं</b>                       | <b>8,891</b>  | -       | <b>8,891</b> |
|       | <b>गैर- चालू देयत</b>                |               |         |              |
| 2     | (क) वित्तीय देयताएं                  |               |         |              |
| (i)   | (i) ऋण                               | -             | -       | -            |
|       | (ii) व्यापार देय                     | -             | -       | -            |
|       | (iii) अन्य वित्तीय देयताएं           | -             | -       | -            |
|       | (ख) प्रावधान                         | -             | -       | -            |
|       | (ग) आस्थगित कर देयताएं निल           | -             | -       | -            |
|       | (घ) अन्य गैरचालू देयताएं             | -             | -       | -            |
|       | <b>चालू देताएं</b>                   |               |         |              |
| (k)   | (क) वित्तीय देयताएं                  | -             | -       | -            |
| (ii)  | (i) ऋण                               | -             | -       | -            |
|       | (ii) व्यापार देय                     | -             | -       | -            |
|       | (iii) अन्य वित्तीय देयताएं           | -             | -       | -            |
|       | (ख) अन्य चालू देयताएं                | 0.05          | -       | 0.05         |
|       | (ग) प्रावधान                         | 0.29          | -       | 0.29         |
|       | (घ) चालू कर देयताएं निवल             | -             | -       | -            |
|       |                                      | -             | -       | -            |
|       |                                      | -             | -       | -            |
|       | <b>कुल इक्विटी एवं देयताएं</b>       | 0.34          | -       | 0.34         |
|       | <b>कुल इक्विटी एवं देयताएं</b>       | <b>8,892</b>  | -       | <b>8,892</b> |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

31 मार्च 2016 को इक्विटी का समायोजन

(रूपए लाख में)

| विवरण |                                      | भारतीय(जीएएपी)   | समायोजन  | इंड एए           |
|-------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| I.    | <b>परिसंपत्तियां</b>                 |                  |          |                  |
| 1     | <b>गैर चालू परिसंपत्तियां</b>        |                  |          |                  |
|       | (क) परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण      | 0.34             | -        | 0.34             |
|       | (ख) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य           | -                | -        | -                |
|       | (ग) निवेश परिसंपत्तियां              | -                | -        | -                |
|       | (घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां        | -                | -        | -                |
|       | (ङ.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां  | 4,589.25         | -        | 4,589.25         |
|       | (च) वित्तीय परिसंपत्तियां            | -                | -        | -                |
|       | (i) निवेश                            | -                | -        | -                |
|       | (ii) व्यापार प्राप्य                 | -                | -        | -                |
|       | (iii) ऋण                             | 2.93             | -        | 2.93             |
|       | (iv) अन्य                            | 1.33             | -        | 1.33             |
|       | (छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)  | 31.43            | -        | 31.43            |
|       | (ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां      | -                | -        | -                |
|       |                                      | 4,625.27         | -        | 4,625.27         |
| 2     | <b>चालू परिसंपत्तियां</b>            |                  |          |                  |
|       | (क) दरसूचियां                        | -                | -        | -                |
|       | (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां            | -                | -        | -                |
|       | (i) निवेश                            | -                | -        | -                |
|       | (ii) व्यापार प्राप्य                 | -                | -        | -                |
|       | (iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य        | 6,381.30         | -        | 6,381.30         |
|       | (iv) उपर्युक्त (iii) से इतर बैंक शेष | -                | -        | -                |
|       | (v) ऋण                               | 0.81             | -        | 0.81             |
|       | (vi) अन्य                            | 100.75           | -        | 100.75           |
|       | (ग) चालू परिसंपत्तियां (निवल)        | 913.54           | -        | 913.54           |
|       | (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां          | 7,396.41         | -        | 7,396.41         |
|       | <b>कुल परिसंपत्तियां</b>             | <b>12,021.68</b> | <b>-</b> | <b>12,021.68</b> |
| II.   | <b>इक्विटी एवं देयताएं</b>           |                  |          |                  |
| 1     | <b>इक्विटी</b>                       |                  |          |                  |
|       | (क) इक्विटी शेयर पूंजी               | 9,000            | -        | 9,000            |
|       | (ख) अन्य इक्विटी                     | 263.95           | -        | 263.95           |
|       | (ग) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन      | 9,263.95         | -        | 9,263.95         |
| 2     | <b>देयताएं</b>                       |                  |          |                  |
| (i)   | <b>गैर- चालू देयत</b>                |                  |          |                  |
|       | (क) वित्तीय देयताएं                  | -                | -        | -                |
|       | (i) ऋण                               | -                | -        | -                |
|       | (ii) व्यापार देय                     | -                | -        | -                |
|       | (iii) अन्य वित्तीय देयताएं           | -                | -        | -                |
|       | (ख) प्रावधान                         | -                | -        | -                |
|       | (ग) आस्थगित कर देयताएं निल           | -                | -        | -                |
|       | (घ) अन्य गैरचालू देयताएं             | -                | -        | -                |
| (ii)  | <b>चालू देताएं</b>                   |                  |          |                  |
|       | (क) वित्तीय देयताएं                  | -                | -        | -                |
|       | (i) ऋण                               | 2,182.00         | -        | 2,182.00         |
|       | (ii) व्यापार देय                     | -                | -        | -                |
|       | (iii) अन्य वित्तीय देयताएं           | 505.18           | -        | 505.18           |
|       | (ख) अन्य चालू देयताएं                | -                | -        | -                |
|       | (ग) प्रावधान                         | 70.54            | -        | 70.54            |
|       | (घ) चालू कर देयताएं निवल             | 2,757.72         | -        | 2,757.72         |
|       |                                      | <b>12,021.68</b> | <b>-</b> | <b>12,021.68</b> |
|       | <b>कुल इक्विटी एवं देयताएं</b>       |                  |          |                  |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)  
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी का समायोजन

(लाख रूप में)

| विवरण                                                                                  | भारतीय(जीएएपी) | समायोजन  | इंड एएस  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| I. राजस्व :                                                                            |                |          |          |
| प्रचालनों से राजस्व                                                                    | -              | 4,589.25 | 4,589.25 |
| घटा :- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर में कंपनी का भाग                           | -              | -        | -        |
| जमा:- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी का लाभ/(हानि)                                 | -              | -        | -        |
| II. अन्य आय                                                                            | 578.33         | -        | 578.33   |
| III. कुल आय (I + II)                                                                   | 578.33         | 4,589.25 | 5,167.57 |
| IV. व्यय:                                                                              |                |          |          |
| प्रचालनिक एवं प्रशासनिक व्यय:                                                          |                |          |          |
| - प्रचालनिक व्यय                                                                       | 0.17           | 4,521.77 | 4,521.94 |
| - प्रशासनिक व्यय                                                                       | 0.57           | 0.00     | 0.58     |
| कर्मचारी लाभ व्यय                                                                      | -              | 65.06    | 65.06    |
| वित्तीय लागतें                                                                         | 7.88           | 2.27     | 10.15    |
| मूल्यहास परिशोधन एवं हानि                                                              | -              | 0.14     | 0.14     |
| अन्य व्यय                                                                              | 8.97           | (8.97)   | -        |
| कुल व्यय(IV).                                                                          | 17.59          | 4,580.28 | 4,597.87 |
| V. आपवादित मर्दों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV)                                    | 560.73         | 8.97     | 569.70   |
| VI. आपवादित मर्दे                                                                      | -              | -        | -        |
| VII. करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)                                                         | 560.73         | 8.97     | 569.70   |
| VIII. कर व्यय:                                                                         |                |          |          |
| (1) चाल कर                                                                             |                |          |          |
| - वर्ष हेतु                                                                            | 180.51         | -        | 180.51   |
| - पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)                                                        | -              | -        | -        |
| (2) आस्थगति कर (निवल)                                                                  | 7.70           | -        | 7.70     |
| कुल कर व्यय (VIII)                                                                     | 188.21         | -        | 188.21   |
| IX निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)                                 | 372.53         | 8.97     | 381.50   |
| X बंद प्रचालनों से लाभ/हानि                                                            | -              | -        | -        |
| XI बंद प्रचालनों पर कर व्यय                                                            | -              | -        | -        |
| XII बंद प्रचालनों पर लाभ/हानि (कर पश्चात) (X-XI)                                       | -              | -        | -        |
| XIII अवधि के लिए लाभ/हानि (IX+XII)                                                     | 372.53         | 8.97     | 381.50   |
| XIV अन्य वृहत आय                                                                       |                |          |          |
| क. (i) मर्दे जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा                          | -              | -        | -        |
| (ii) आयकर संबंधी मर्दे जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा            | -              | -        | -        |
| ख. (i) मर्दे जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा                               | -              | -        | -        |
| (ii) आयकर संबंधी मर्दे जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाएगा                 | -              | -        | -        |
| अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX+X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय शामिल हैं) | 372.53         | 8.97     | 381.50   |
| XV प्रति इक्विटी शेयर आमदनी:                                                           |                |          |          |
| (निरंतर प्रचालनों हेतु)                                                                |                |          |          |
| (1) मूल                                                                                | 0.45           | -        | 0.46     |
| (2) विलयित                                                                             | 0.45           | -        | 0.46     |
| XVII प्रति इक्विटी शेयर आमदनी:                                                         |                |          |          |
| (बंद प्रचालनों हेतु)                                                                   |                |          |          |
| (1) मूल                                                                                | 0.45           | -        | 0.46     |
| (2) विलयित                                                                             | 0.45           | -        | 0.46     |

23 वित्तीय प्रलेख

(रूपए लाख में)

| विवरण                        | उचित मूल्य | वहन मूल्य       |                 |                 | उचित मूल्य      |                 |                 |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              |            | 31 मार्च 2017   | 31 मार्च 2016   | 1 अप्रैल 2015   | 31 मार्च 2017   | 31 मार्च 2016   | 1 अप्रैल 2015   |
| <b>वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b> |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>परिशोधित लागत</b>         |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| व्यापार प्राप्त्य            | स्तर 3     | 1,310.48        | -               | -               | 1,310.48        | -               | -               |
| गाहकों के पास प्रतिधारण राशि | स्तर 3     | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य      | स्तर 3     | 607.33          | 6,381.30        | 8,842.24        | 607.33          | 6,381.30        | 8,842.24        |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ   | स्तर 3     | 2.06            | 102.07          | 9.31            | 2.06            | 102.07          | 9.31            |
| <b>अन्य परिसंपत्तियाँ</b>    |            | <b>1,919.88</b> | <b>6,483.38</b> | <b>8,851.54</b> | <b>1,919.88</b> | <b>6,483.38</b> | <b>8,851.54</b> |
| <b>वित्तीय देयताएं</b>       |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>परिशोधित</b>              |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ऋण                           | स्तर 3     | 8000.00         | -               | -               | 8000            | -               | -               |
| व्यापार प्राप्त्य            | स्तर 3     | 373.26          | 2,182.00        | 0.05            | 373.26          | 2,182.00        | 0.05            |
| अन्य वित्तीय देयताएं         | स्तर 3     | 86.69           | -               | -               | 86.69           | -               | -               |
| <b>कुल देयताएं</b>           |            | <b>8,459.95</b> | <b>2,182.00</b> | <b>0.05</b>     | <b>8,459.95</b> | <b>2,182.00</b> | <b>0.05</b>     |

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है जिस पर सहमत पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में साधनों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

**अन्य नोट**

- प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि रोकड़ और रोकड़ समतुल्य, व्यापार प्राप्त्य, व्यापार का भुगतान, अल्पकालिक उधार, और अन्य वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य इन प्रलेखों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी वहन मात्रा का अनुमान लगाते हैं।
- वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहन मूल्यल उनके उचित मूल्यों के बराबर होती हैं।
- वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस पर संभविता या परिसमापन बिक्री के अतिरिक्तम अन्य इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में प्रलेखों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।  
उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियाँ और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:
- ऋणों के लिए उचित मूल्यों की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके रियायती रोकड़ प्रवाह के आधार पर की गई थी। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम सहित अप्रमाणित आदानों के समावेश के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे महत्वहीन माना गया है।
- गैर-चालू ऋणों के उचित मूल्य मौजूदा ऋण दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह पर आधारित हैं। उन्हें अपने स्वयं के क्रेडिट जोखिमों सहित अप्रमाणित आदानों को शामिल किए जाने के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका कि महत्वहीन होने के लिए तलन पत्र तिथि पर मूल्यांकन किया गया था।
- दिनांक 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, स्तर 1 और स्तर 2 उचित मूल्य माप के बीच कोई हस्तांतरण नहीं किए गए थे, और स्तर 3 उचित मूल्य माप में और बाहर कोई हस्तांतरण नहीं था।

**ख उचित मूल्य पदानुक्रम का स्पष्टीकरण**

कंपनी वित्तीय प्रलेखों को मापती है, जैसे कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर निवेश। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया गया है। सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए जाते हैं, जो निम्न स्तर पर आधारित होते हैं, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर होता है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें सूचीबद्ध इकाइयों प्रलेख, ट्रेडिंग बॉन्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं, जिन्होंने कीमत उद्धृती है। सभी इक्विटी उपकरणों (बांड सहित) का उचित मूल्य जो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान समापन मूल्य का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है। म्यूचुअल फंड को बंद करने वाली एनएवी का उपयोग किया जाता है।
- वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, व्यापार बांड, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो कि पर्यवेक्षित बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई पर यथासंभव कम आश्रय करते हैं- विशिष्ट अनुमान। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य हैं, तो उपकरण को स्तर-2 में शामिल किया गया है।
- यदि महत्वपूर्ण आदानों में से एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो स्तर-3 को स्तर में शामिल किया गया है। यह गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों के लिए मामला है, आकस्मिक विचार स्तर 3 में शामिल है।

**वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्त प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण और अधिम, व्यापार और अन्य प्राप्तियाँ, और नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन के लिए प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी ने अपने वित्तीय जोखिमों को कम नहीं किया है। सभी जोखिम मकतज जोखिम।

**ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्यवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है।

**व्यापार और अन्य प्राप्तियाँ**

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और देश जिसमें ग्राहक संचालित होता है, के चूक जोखिम सहित, ऋण जोखिम मूल्यांकन पर भी प्रभाव पड़ता है।

**निवेश**

कंपनी आमतौर पर नकदी प्रतिभूतियों में निवेश करके और केवल एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले समकक्षों के साथ ऋण जोखिम के लिए अपने जोखिम को सीमित करती है। कंपनी इन प्रतिपक्षों द्वारा गैर निष्पादन से किसी भी नुकसान की उम्मीद नहीं करती है, और विशेष उद्योग क्षेत्रों के लिए जोखिम की कोई महत्वपूर्ण एकयता नहीं है।

**नकदी जोखिम**

नकदी जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है, जहां तक संभव हो, कि देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त नकदी होगी।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता, वित्त पोषण के साथ-साथ निपटान प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाएँ और नीतियाँ वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा देखरेख की जाती हैं।

कंपनी की कार्यशैली पूंजी की स्थिति निम्नानुसार है:

| विवरण                  | (रुपए लाख में)   |                  |                   |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                        | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
| रोकड़ एवं रोकड़ समतल्य | 607.33           | 6,381.30         | 8,842.24          |
|                        | 607.33           | 6,381.30         | 8,842.24          |

नीचे दी गई तालिका दिनांक 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 तथा 1 अप्रैल 2015 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता के संबंध में व्योरा प्रस्तुत करती है:

**31 मार्च 2017 को**

| विवरण                | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2 वर्ष और अधिक |
|----------------------|--------------|----------|----------------|
| ऋण                   | -            | 8,000    | -              |
| व्यापार प्राप्य      | 373.26       | -        | -              |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | 86.69        | -        | -              |

**31 मार्च 2016 को**

| विवरण                | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2 वर्ष और अधिक |
|----------------------|--------------|----------|----------------|
| ऋण                   | -            | -        | -              |
| व्यापार प्राप्य      | 2,182.00     | -        | -              |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | -            | -        | -              |

**1 अप्रैल 2015 को**

| विवरण                | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2 वर्ष और अधिक |
|----------------------|--------------|----------|----------------|
| ऋण                   | -            | -        | -              |
| व्यापार प्राप्य      | 0.05         | -        | -              |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | -            | -        | -              |

**अत्याधिक जोखिम संभाव्यता**

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में कार्यशील होते हैं, या समान आर्थिक विशेषताएँ होती हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने की उनकी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का कारण बनती हैं। सांद्रता किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्याधिक सांद्रता से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। संबंध और उद्योग दोनों स्तरों पर जोखिम सांद्रता का प्रबंधन करने के लिए कंपनी के भीतर चयनात्मक हेजिंग का उपयोग किया जाता है।

**पूंजी प्रबंधन**

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्यक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

पूंजी संरचना इस प्रकार है:

| विवरण                                            | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2016 को | 01 अप्रैल 2015 को |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के प्रति कुल इक्विटी | 16,810.22        | 9,263.95         | 391.43            |
| कुल पूंजी प्रतिशत के रूप में                     | 67.76            | 100.00           | 100.00            |
| चावल ऋण                                          | -                | -                | -                 |
| गैर चाल ऋण                                       | 8,000.00         | -                | -                 |
| कुल ऋण                                           | 8,000.00         | -                | -                 |
| कुल पूंजी प्रतिशत के रूप में                     | 32.24            | -                | -                 |
| <b>कुल पूंजी (ऋण और इक्विटी)</b>                 | <b>24,810.23</b> | <b>9,263.95</b>  | <b>391.43</b>     |

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड  
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

24 संबंधित पक्ष संव्यवहार

a. संबंधित पक्षों की सूची

- (i) धारक कंपनी  
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत सरकार

| क्र.सं. | संव्यवहार का पक्ष                   | (रूपए लाख में)                        |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| (i)     | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड             |                                       |
| क.      | सेवा प्रदान करना                    |                                       |
|         | कार्य संविदा                        | 17,623.28<br>(4464.50)                |
|         | उपयोगिता अंतरण                      | 1,941.99<br>(879.12)                  |
|         | किराया                              | 2.11<br>(2.11)                        |
|         |                                     | <b>19,567</b><br><b>(5345.73)</b>     |
| ख.      | वित्तीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अंतरण |                                       |
|         | ऋण                                  | 8,000.00<br>(-)                       |
|         | इक्विटी अंशदान                      | 7,500.00<br>(8,500.00)                |
|         | ऋण पर ब्याज                         | 96.46<br>(-)                          |
|         |                                     | <b>15,596.46</b><br><b>(8,500.00)</b> |
| ग.      | निकायों की ओर से देयताओं का निपटान  |                                       |
|         | व्ययों की प्रतिपूर्ति               | 109.12<br>(53.76)                     |
|         |                                     | <b>109.12</b><br><b>(53.76)</b>       |

पिछले वर्ष के आकड़ों प्रकाश में प्रस्तुत हैं

|             |                                            |                                       |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>(ii)</b> | <b>वर्ष के अंत में बकाया शेष</b>           |                                       |
| <b>क.</b>   | <b>सेवा प्रदान करना</b>                    |                                       |
|             | व्यापार प्राप्य                            | 352.45<br>(2,181.36)                  |
|             |                                            | <b>352.45</b><br><b>(2,181.36)</b>    |
| <b>ख.</b>   | <b>वित्तीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अंतरण</b> |                                       |
|             | वित्तीय देयताएं - ऋण<br>- ऋण               | 8,000.00<br>(-)                       |
|             | इकिवटी अंशदान                              | 16,500.00<br>(9,000.00)               |
|             |                                            | <b>24,500.00</b><br><b>(9,000.00)</b> |
| <b>ग.</b>   | <b>अन्य वित्तीय देयताएं</b>                |                                       |
|             | ऋण पर ब्याज                                | 86.69<br>(-)                          |
| <b>घ.</b>   | <b>अन्य चालू देयताएं</b>                   |                                       |
|             | व्यय की प्रतिपूर्ति                        | 24.02<br>(20.89)                      |
|             |                                            | <b>110.71</b><br><b>(20.89)</b>       |

पिछले वर्ष के आंकड़ों प्रकाश में प्रस्तुत हैं

**25. प्रकटनों सहित लेखों के भाग का निर्माण करने वाले नोट**

i. आकस्मिक देयता(उस स्तर तक जहां प्रावधान नहीं किया गया है):

- कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य रूपए।
- प्रतिबद्धता: व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में की गई बिक्री/प्रापण के संबंध में कंपनी की पूंजीगत प्रतिबद्धता **42,347.04 लाख रूपए (पिछले वर्ष - 60,136.00 लाख रूपए)** तथा अन्य प्रतिबद्धताएं **शून्य रूपए (पिछले वर्ष - शून्य)** है, जिसे विस्तृत विवरण से बचने के लिए प्रकट नहीं किया गया है।

ii. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

कंपनी की प्रति शेयर आमदनी का निर्धारण करने के लिए शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ (यथा कर पश्चात और सांविधिक/विनियामक विनियोजनों के पश्चात लाभ) को ध्यान में रखा जाता है। प्रति शेयर मूल अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या होती है।

(राशि लाख रूपए में)

| 31.03.2017 को समाप्त वर्ष                          | 31.03.2017 को समाप्त वर्ष | 31.03.2017 को समाप्त वर्ष | 31.03.2017 को समाप्त वर्ष |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| मूल और हासित                                       |                           |                           |                           |
| वर्ष के लिए निवल लाभ/(घाटा) (क)                    | रूपए                      | 53.77                     | 381.50                    |
| मूल ईपीएसके लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (ख)   | संख्या                    | 1264.38                   | 832.65                    |
| हासित ईपीएसके लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (ग) | संख्या                    | 1264.38                   | 832.65                    |
| प्रति शेयर आमदनी – मूल (क/ख)                       | रूपए                      | 0.04                      | 0.46                      |
| प्रति शेयर आमदनी – हास (क/ग)                       | रूपए                      | 0.04                      | 0.46                      |

iii. कंपनी को किसी "आपूर्तिकर्ता" से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आते हैं और इसलिए, इस

अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित प्रदत्त/देय ब्याज सहित समग्र रूप से वर्ष के अंत में अप्रदत्त राशि से संबंधित कोई प्रकटन, यदि कोई हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है। सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को देय का निर्धारण प्रबंधन द्वारा एकत्र सूचना के आधार पर चिह्नित ऐसे पक्षों तक सीमित है। इसका उत्तर लेखापरीक्षकों द्वारा दिया गया है।

iv. कंपनी ने किसी लघु उद्योग इकाई के आपूर्तिकर्ता की कोई सेवा प्राप्त नहीं की है। इस सूचना के आधार पर लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम को देय राशि को 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए बकाया है, वह 31 मार्च 2017 को शून्य रूप है।

v. कंपनी के कर्मचारियों को इरकॉन (धारक कंपनी) से पीबीटीएल में नामांकन/सेकमेंट आधार पर तैनात किया गया है। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक कर्मचारियों से संबंधित पारिश्रमिक आदि का भुगतान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के मापदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है।

#### vi. कर्मचारी लाभ

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/सेकमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को धारक कंपनी से प्राप्त बीजकों/ऋण पत्रों के आधार पर लेखांकित किया जाता है। लेखांकन मानक -19 (सांशोधित) की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

vii. वर्ष के दौरान आयात और विदेशी मुद्रा व्यय के शून्य मामले हुए हैं और इसलिए आयातों और विदेशी मुद्रा व्यय पर सीआईएफ मूल्य के प्रकटन का प्रावधान लागू नहीं है।

viii. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों (यथा गृह निर्माण अग्रिम, बहु-उद्देशीय अग्रिम तथा वहन अग्रिम आदि) को आईपीबीटीएल उनके नामांकन/सेकमेंट पर केवल वसूली प्रयोजन से इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को अंतरित किया गया था। आईपीबीटीएल की किसी निधि का प्रयोग कर्मचारियों को अग्रिमों के लिए नहीं किया गया था। इसप्रकार, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर संचित ब्याज को इरकॉन को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है।

**ix. प्रचालन सेगमेंट (इंड एस - 108 के अंतर्गत प्रकटन)**

चूंकि कंपनी सड़क अभिकल्प, वित्त, अनुरक्षण, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) के कार्य में क्रियाशील है इसलिए एक से अधिक रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है।

- x. एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता सेवाओं के स्थानान्तरण का कार्य करने की आवश्यकता है, यदि ये उपयोगिता सेवाएं परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पर सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस प्रकार की सेवाओं के स्थानान्तरण की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) उस सेवा के स्वामी निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

कंपनी ने एनएचएआई की स्वीकृति के पश्चात उपयोगिता के सम्पूर्ण कार्य को बैंक-टू-बैंक आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को उपठेके पर अंतरित किया है। दिनांक 31 मार्च 2017 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने कंपनी को 282,110,779 रुपए (पिछले वर्ष 87,912,000 रुपए) का बिल प्रस्तुत किया है। तदनुसार कंपनी ने एनएचएआई को 201,411,065 रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) का बिल प्रस्तुत किया है और दिनांक 31 मार्च 2017 को शेष 80,699,714 रुपए (पिछले वर्ष 87,912,000 रुपए) का बिल अभी प्रस्तुत किया गया है जिसे अन्य चालू परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है।

एनएचएआई ने 201,411,065 रुपए के कुल बिल में से जुलाई 2017 तक 191,553,792 रुपए का भुगतान किया है। शेष राशि यथा 9,857,273 रुपए अभी एनएचएआई द्वारा स्वीकृत किए जाने हैं। कंपनी ने पुष्टि की है कि आज की तिथि तक एनएचएआई द्वारा स्वीकृत न की गई राशि पूर्णतः वसूलनीय है।

- xi. वित्तीय विवरणों में चालू और गैर चालू वर्गीकरणों के प्रयोजन हेतु कंपनी का प्रचालन चक्र एक वर्ष का है।
- xii. आरेखणों की स्वीकृति प्राप्त होने में विलंब, स्थानीय ग्रामवासियों की मांग, उपयोगिता परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण और वन क्लियरेंस प्राप्त न होने, आदि से संबंधित मुद्दों के कारण कुछ क्षेत्रों में कार्य आरंभ नहीं हुआ है/विलंबित हुआ है। इन प्रचालनिक कारकों की वजह से लक्ष्य-11 (दिनांक 14 अक्टूबर 2015 की निर्धारित तिथि से 400 दिनों के भीतर प्राप्त किए जाने हेतु) को प्राप्त करने में विलंब हुआ। इस परिस्थिति में, कंपनी ने एनएचएआई से संविदा निष्पादन समय को बढ़ाने का अनुरोध किया है। प्रबंधन को विश्वास है कि उन्हें समयविस्तार मिल जाएगा। एनएचएआई द्वारा भूमि को सुपुर्द न किए जाने आदि के कारण कंपनी द्वारा संविदा के निष्पादन में विलंबों के लिए कंपनी द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- xiii. कंपनी की दिनांक 08 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान

विशिष्ट बैंक नोटों में कोई होल्डिंग नहीं है।

- xiv. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत उपलब्ध कराना होगा। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूच-vii के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। कंपनी ने सीएसआर व्यय के लिए 4,13,100 रूपए का प्रावधान किया है। कंपनी निर्माण चरण पर है और उसने अभी अपना प्रचालन आरंभ नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने सीएसआर के प्रति कोई राशि खर्च नहीं की है और इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत किया गया है।
- xv. सरकारी अनुदानों का लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन विषय पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के अनुसार, सरकार से प्राप्त अनुदान को उसके उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, जहां यह युक्तसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेगी। एनएचएआई के साथ करार के अनुसार, कंपनी ने इक्विटी सहायता के प्रथम भाग को जारी करने का अनुरोध किया है। तथापि, एनएचएआई ने पुष्टि की है कि इस स्तर पर अनुदान अनुमेय नहीं है, क्योंकि कंपनी ने करार के अनुसार इक्विटी से ऋण का अनुपात प्राप्त नहीं किया है। इसलिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकारी अनुदान को लेखांकित नहीं किया है। क्योंकि दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान प्राप्त होने का कोई युक्तसंगत आश्वासन नहीं है।
- xvi. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है जहां गई चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के लिए आवश्यक हुआ।  
हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 000044एन

|                                                    |                                                         |                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ह/-<br>सीए राहुल अग्रवाल<br>भागीर<br>सं.सं: 501642 | ह/-<br>(आनन्द कुमार सिंह)<br>निदेशक<br>डीआईएन: 07018776 | ह/-<br>(ए के गोयल)<br>निदेशक<br>डीआईएन: 05308809   | ह/-<br>(दीपक सबलोक)<br>निदेशक<br>डीआईएन: 03056457 |
| स्थान : नई दिल्ली<br>दिनांक: 28.07.2017            | ह/-<br>(संजय पोद्दार)<br>मुख्य वित्त अधिकारी            | ह/-<br>(अजय कुमार सिंह)<br>मुख्य कार्यपालक अधिकारी | ह/-<br>(सुदोधनी)<br>कंपनी सचिव                    |

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड**  
**के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख)**  
**के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां**

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 28 जुलाई 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है।

कृते एवं की ओर से  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(बी.आर.मंडल)

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक  
रेल वाणिज्य, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29 अगस्त, 2017



## इरकॉन पीबीटीएल

### इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U45400DL2014GOI272220

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: 91-11-29565666, फैक्स:91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी:busi.info.irconpbt@gmail.com